₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कथांतर

फ़रवरी 2018



- प्रसाद के उपन्यास में यथार्थ बोध
  –मुहम्मद इलियास हुसैन
- चिंताजनक है बढ़ती बेरोज़गारी
  –संपादकीय
- संपत्ति में स्त्री का हिस्सा
  –प्रदीप श्रीवास्तव
- ख़ुशख़बरी दो नफ़रत नहीं
  –मतीन तारिक़ बाग़पती
- पर्यावरण प्रदूषण का ख़तरा
  –शेख़ अहमद वमीज़

With Best Wishes From :



QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

FACTORY

PLOT NOS. 5B 39 & 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALCETE, GOA-403 703
TEL. : 91 832 2865610/11/12, FAX : 832 2865609
E-mail : qualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

QUALITY EXPORTS

SEAFOOD PROCESSORS & EXPORTERS

FACTORY

Plot Nos. 5B 64, 65 66 & 67 Cuncolim Industrial Estate
Cuncolim, Salcete, GOA-403 703
E-mail : qualityexportsgoa@yahoo.com/mmigoa@yahoomail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 27 अंक 8 फ़रवरी 2018

हर व्यक्ति का दर्जा उसके कर्म के अनुसार है और तुम्हारा रब लोगों के कर्मों से बेख़बर नहीं है । तुम्हारा रब निस्पृह है और दयालुता उसकी नीति है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ़्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

इन्सान की तलाश

एक थे दार्शनिक,
दिन में लालटेन लिए हुए,
रास्ते से गुज़र रहे थे,
लगा, जैसे कुछ खोज रहे हों ।
लोगों ने पूछा, क्या बात है ?
बोले, कुछ खो गया है, उसकी तलाश में निकला हूं ।
दिन के उजाले में, वह भी लालटेन लेकर ?
हां, दिन के उजाले में ही उसे खोज पाऊंगा,
रात के अंधेरे में तो पहचान करना बड़ा कठिन है,
उसमें तो सब एक जैसे लगते हैं ।
आख़िर क्या है वह ? कुछ तो मालूम हो ?
उत्तर मिला, मुझे जिसकी तलाश है,
उसे लोग 'इन्सान' कहते हैं ।
यह सुनकर कुछ चकित रह गये, कुछ गुस्सा में आ गये,
बोले, क्या हम इन्सान नहीं हैं ?
क्या हम कुछ और दिखायी पड़ते हैं ?
दार्शनिक बोला, मैं सच कह रहा हूं,
आप मान लीजिए,
नहीं मानते तो सुनिए,
आप जैसे लोग,
या तो व्यापारी हैं, या कारोबारी,
या डॉक्टर हैं, या इंजीनियर
या शिक्षक हैं, या गुरु,
या नेता हैं, या 'समाज के बड़े',
या स्त्री हैं या पुरुष,
ईमानदारी से बताओ,
क्या इनमें से कोई ऐसी भी है जो,
हर एक का हक़ अदा करे
एक-दूसरे का अधिकार पहचाने,
सबको समान समझे,
कोई भेद-भाव न करे,
सबको प्यार करे,
दुख-दर्द में काम आए,
एक-दूसरे की सेवा में लगा रहे,
और सबसे बड़ी बात यह है कि
वह अपने स्वामी, रचयिता, पालनहार,
कर्ता-धर्ता को पहचाने और उसी को समर्पित हो ।

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

इन्सान की तलाश	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
क़ुरआन ज्योति		5
उपदेश और नसीहत (हदीस मंजरी)		6
चिंताजनक है बढ़ती बेरोज़गारी (संपादकीय)		7
अल-फ़ातिहा का महत्व (आपके पत्र)		9
अल्लाह का ज़िक्र (आस्था)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	11
हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशिमी	13
न्याय की दुनिया	–संपादन प्रभाग	15
ख़ुशख़बरी दो नफ़रत नहीं (प्रेरणा)	–मतीन तारिक़ बाग़पती	19
संपत्ति में स्त्री के हिस्से की हक़ीक़त (महिला जगत)	–प्रदीप श्रीवास्तव	21
खाना घटाएगा अब आपका वज़न (स्वास्थ्य चर्चा)		23
वेदना (लघुकथा)	–डॉ॰ पूरन सिंह	25
प्रसाद के उपन्यास यथार्थ के संदर्भ में	–मुहम्मद इलियास हुसैन	26-27
कवि हो तो कुंवर नारायण जैसा ! (दृष्टिकोण)	–वेद व्यास	33
पर्यावरण प्रदूषण-जीवन के लिए ख़तरा (पर्यावरण)	–मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी	35
कैरियर बदलने की योजना (कैरियर)	–संपादन प्रभाग	37
आधार-डाटाबेस सुरक्षित नहीं	–पवन दुग्गल	39
मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है ?	–संपादन प्रभाग	41
छोटा-बड़ा अधिकारी (कहानी)	–डॉ॰ वक़ार अनवर	44
मध्य पूर्व के परिदृश्य (दृष्टिकोण)	–सैयद शाहिद हाशिमी	45
सच कभी नहीं मरता (विचार)	–वेद व्यास	47
जयसलमेर : थार मरुस्थल का सुनहरा मुकुट (बालवीथी)		48

कुरआन ज्योति

(48) कहते हैं, अगर तुम्हारी यह धमकी सच्ची है तो आख़िर यह कब पूरी होगी ? (49) कहो, "मेरे अधिकार में तो स्वयं अपना लाभ व हानि भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की इच्छा पर आश्रित है ।[57] हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है । जब यह मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर के लिए भी आगे-पीछे नहीं होती ।"[58] (50) इनसे कहो, "कभी तुमने यह भी सोचा कि अगर अल्लाह का अज़ाब अचानक रात को या दिन को आ जाए (तो तुम क्या कर सकते हो ?)", आख़िर यह ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए अपराधी जल्दी मचाएं ? (51) क्या जब वह तुम पर आ पड़े उसी समय तुम उसे मानोगे ?–अब बचना चाहते हो ? हालांकि तुम स्वयं ही उसके जल्दी आने की मांग कर रहे थे ! (52) फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा कि अब सदा के अज़ाब का मज़ा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो, उसके बदले के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है ?

(53) फिर पूछते हैं, क्या वास्तव में यह सच है जो तुम कह रहे हो ? कहो, "मेरे रब की क़सम ! यह बिल्कुल सच है और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे प्रकट होने से रोक दो ?"

–क़ुरआन, 10 : 48-53

57. अर्थात मैंने यह कब कहा था कि यह फ़ैसला मैं चुकाऊंगा और न मानने वालों को मैं अज़ाब दूंगा । इसलिए मुझसे क्या पूछते हो कि फ़ैसला चुकाये जाने की धमकी कब पूरी होगी । धमकी तो अल्लाह ने दी है, वही फ़ैसला चुकाएगा और उसी के अधिकार में है कि फ़ैसला कब करे और किस शक्ल में उसको तुम्हारे सामने लाए ।

58. अर्थ यह है कि अल्लाह जल्दबाज़ नहीं है । उसका यह तरीक़ा नहीं है कि जिस समय रसूल का सन्देश किसी आदमी या गिरोह को पहुंचा, उसी समय जो ईमान ले आया बस वह तो रहमत का हक़दार क़रार पाया और जिस किसी ने उसको मानने से इन्कार किया या मानने से संकोच किया उस पर तुरन्त अज़ाब का फ़ैसला लागू कर दिया गया । नहीं, अल्लाह का नियम यह है कि अपना सन्देश पहुंचाने के बाद वह हर आदमी को उसकी वैयक्तिक हैसियत के अनुसार और हर गिरोह और क़ौम को उसकी सामूहिक हैसियत के अनुसार सोचने-समझने और संभलने के लिए पर्याप्त समय देता है । यह मोहलत का ज़माना कभी-कभी सदियों तक लंबा होता है और इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको कितनी मोहलत मिलनी चाहिए । फिर जब वह मोहलत जो भरपूर न्याय के साथ उसके लिए रखी गयी थी, पूरी हो जाती है और वह आदमी या गिरोह अपने द्रोहपूर्ण रवैये से बाज़ नहीं आता, तब अल्लाह उस पर अपना निर्णय लागू करता है । यह निर्णय का समय अल्लाह की निश्चित की हुई अवधि से न एक घड़ी पहले आ सकता है और न समय आ जाने के बाद एक क्षण के लिए टल सकता है ।

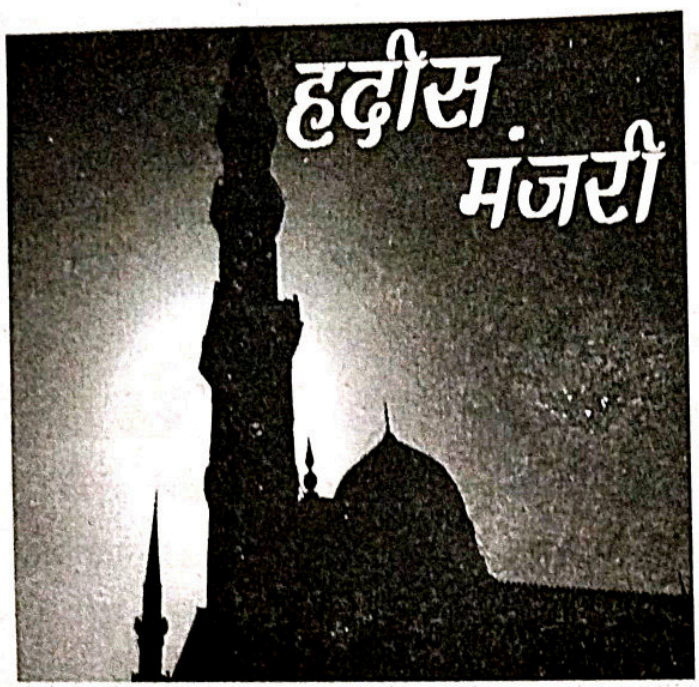

उपदेश और नसीहत में मध्यमार्ग अपनाना

● हज़रत अबू वायल सक़ीक़ बिन सलमह से रिवायत है । वे कहते हैं कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि॰) हर गुरुवार को हमें उपदेश दिया करते थे । एक व्यक्ति ने उनसे कहा : ऐ अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि आप हमें प्रत्येक दिन उपदेश दिया करें । इस पर उन्होंने कहा : ऐसा करने से मुझे केवल यह चीज़ रोकती है कि मुझे यह नापसन्द है कि मैं तुम्हें उकताहट में डाल दूं । मैं तुम्हें अन्तराल के साथ उपदेश देता हूं जैसा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) इस भय से कि कहीं हम उकता न जाएं अन्तराल के साथ हमें उपदेश देते थे । –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू एकजान अम्मार बिन यासिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "किसी आदमी की लंबी नमाज़ और उसके ख़ुत्बे (धार्मिक अभिभाषण) का संक्षिप्त होना उसके बुद्धिमान होने का प्रमाण है । अत: नमाज़ लंबी पढ़ो और ख़ुत्बे को संक्षिप्त रखो ।" –मुस्लिम

● हज़रत मुआविया बिन अल-हकम अस-सुलमी (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि सहसा लोगों में से किसी ने छींक मारी । मैंने कहा : 'या रहमकल्लाह' (अल्लाह तुझ पर दया करे) इस पर लोग मुझे घूरने लगे । मैंने कहा : हाय तुम्हारी मांएं खो जाएं, मुझे क्यों घूर रहे हो ? इस पर वे अपने हाथ अपनी रानों पर मारने लगे । जब मैंने उन्हें देखा कि वे मुझे चुप करना चाहते हैं, तो (मुझे क्रोध तो आया) लेकिन मैं चुप हो गया । फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने नमाज़ पूरी कर ली–मेरे मां-बाप आप पर निछावर हों । मैंने आपसे अच्छा शिक्षक न आपसे पहले देखा और न आपके बाद आपसे अच्छी शिक्षा देने वाला देखा । अल्लाह की क़सम, आपने न तो मुझे झिड़का और न मारा–आपने कहा : "यह नमाज़ है । इसमें लोगों की बात की कोई गुंजाइश नहीं है । नमाज़ तो सर्वथा 'तसबीह' और 'तकबीर' (अल्लाह की महानता और उसकी बड़ाई का वर्णन) और क़ुरआन का पाठ है ।" या जैसा भी अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा । मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अभी जल्द ही जाहिलियत (अज्ञानकाल) के जीवन को त्यागा है और जल्द ही अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत दी है और हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों (भविष्यवक्ता, ज्योतिषी आदि) के पास जाते हैं ? आपने कहा : "तुम उनके पास न जाया करो ।" मैंने कहा : और हममें कुछ लोग शकुन–अपशकुन का विचार रखते हैं ? आपने कहा : "यह ऐसी चीज़ है जो उनके दिलों में आती है किन्तु इसके कारण उन्हें किसी काम से रुकना नहीं चाहिए ।" –मुस्लिम

('रियाजुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

चिंताजनक है बढ़ती बेरोज़गारी

मोदी सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि उसके अब तक के कार्यकाल में रोज़गार के अवसर लगातार घट रहे हैं । युवा बेरोज़गारी से त्रस्त हैं । जो सेवारत थे, उनमें से बहुतों की नौकरियां छूट गयी हैं और कुछ की नौकरियों पर ख़तरे मंडरा रहे हैं । भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के रोज़गार के आंकड़ों का प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी समाचार पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में ज़्यादातर कंपनियों में पिछले वर्षों की तुलना में नौकरियां कम हुई हैं । इस समाचार पत्र के पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कंपनियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की 121 कंपनियों के रोज़गार से जुड़े आंकड़े हैं । ये सभी कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी॰एस॰ए॰) में सूचीबद्ध हैं और वित्त वर्ष 2016-17 से जुड़े इनके आंकड़े उपलब्ध हैं । आंकड़ों के अनुसार इन कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के 742,012 की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 में केवल 730,694 नौकरियां दीं । रोज़गार में 11,318 की ये कमी धातु, ऊर्जा, कैपिटल गुड्स, निर्माण क्षेत्र और एफ॰एम॰सी॰जी॰ क्षेत्र की कंपनियों में हुई है । इन कंपनियों के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि नौकरियों में कमी लगातार दूसरे साल जारी है । जिन 107 कंपनियों के पिछले तीन वित्त वर्षों के आंकड़े हैं उनमें मार्च 2015 तक कुल 684,452 कर्मचारी थे जिनकी संख्या मार्च 2016 में घटकर 677,296 रह गयी और मार्च 2017 तक ये संख्या घटकर 669,784 हो गयी । नौकरी में कमी की संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह एक प्रवृत्ति को दिखाती है जो चिंता का विषय है । देश की सबसे बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों में कमी से इन कंपनियों के विस्तार की योजनाओं और निकटवर्ती विकास के निराशा की स्थिति का पता चलता है । कुछ समय पहले पेश किये गये सरकारी आंकड़ों में यह बात उजागर हुई थी कि बेरोज़गार लोगों में पढ़े-लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे अधिक है । बेरोज़गारों में 25 फ़ीसदी 20 से 24 आयु वर्ग के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवकों की तादाद 17 फ़ीसदी है । 20 साल से ज़्यादा उम्र के 14.30 करोड़ युवाओं को नौकरी की तलाश है । विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता बेरोज़गारी का यह आंकड़ा सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय है । ख़बरों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में छंटनी के मामले में देश की बड़ी कंपनियों के नाम भी सामने आये हैं । अध्ययन में स्पष्ट रूप से पता चला है कि लगातार दूसरे साल इन कंपनियों के कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गयी । ख़ासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में मानव संसाधन समेत कई तरह के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कंपनियां नयी नौकरियां देने के बदले अपने कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी कर रही हैं । अब सरकार ने यह बात स्वीकार भी कर ली है कि देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आयी है और राजकोषीय घाटा बढ़ा है ।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर एक सरकारी अध्ययन में यह बात पायी गयी कि महिलाओं में बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है । भौतिकवाद ने उन्हें इसके लिए विवश किया है कि वे कमाएं भी । अत: हमारे देश में नौकरी की तलाश करने वालों में लगभग आधी महिलाएं शामिल हैं । बेरोज़गारों में 10वीं या 12वीं तक पढ़े युवाओं की तादाद 15 फ़ीसदी है । यह तादाद लगभग 2.70 करोड़ है । तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले 16 फ़ीसदी युवा भी बेरोज़गारों की क़तार में हैं । इससे साफ़ है कि देश के तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत में और बेहतर तालमेल ज़रूरी है । पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी युवा बेरोज़गारी की ओर अग्रसर हैं । यह भी एक चिंताजनक स्थिति है, जिससे निबटने के लिए रोज़गार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए लाया गया निजी विधेयक पिछले दिनों राज्यसभा में नामंज़ूर कर दिया गया । समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने रोज़गार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन का विधेयक पेश किया । विधेयक पर दो घंटे की चर्चा के बाद मत विभाजन के ज़रिए विधेयक निरस्त कर दिया गया । चर्चा के बाद श्रम व रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने जब निषाद से विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया । इस पर उपसभापति पी॰जे॰ कुरियन ने कहा कि चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे मत विभाजन के ज़रिए ही पारित कराया जाएगा । उन्होंने निषाद से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा लेकिन निषाद नहीं माने तब इस विधेयक पर मत विभाजन कराया गया और सदन ने 18 के मुक़ाबले 21 मतों से इसे नामंज़ूर कर दिया । एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया । इससे पहले श्री गंगवार ने कहा बेरोज़गारी बेहद संवेदनशील विषय है और सरकार नवजवानों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है । इसके लिए कई राष्ट्रीय योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं । सरकार सदस्य के सुझावों पर विचार करते हुए रोज़गार की अन्य योजना भी बनाएगी । उन्होंने बताया कि मनरेगा, कौशल विकास, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं रोज़गार को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं । उनका जवाब देते हुए सपा सांसद निषाद ने कहा कि सरकार के पास बेरोज़गारी के आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हैं, तो बेरोज़गारी दूर करने की योजना कैसे क़ाम करेगी ? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में हर साल दो करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी । इस हिसाब से पिछले तीन वर्षों में छह करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ । देश में 30 वर्ष की आयु तक के लगभग 15 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बेरोज़गार युवाओं की तेज़ी से बढ़ती तादाद देश के लिए ख़तरे की घंटी है । अत: सरकार को इस समस्या की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ रीजनल डेवलपमेंट के अमिताभ कुंडू कहते हैं, ''यह ख़तरे की स्थिति है । केंद्र सरकार भारी तादाद में रोज़गार देने वाले उद्योग नयी नौकरियां पैदा करने में नाकाम रही है । इसी से यह हालत पैदा हुई है ।'' एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर डी॰के॰ भट्टाचार्य कहते हैं, ''बेरोज़गारों को नयी सरकार से काफ़ी उम्मीदें है । इस समस्या के समाधान के लिए कौशल विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना ज़रूरी है ।'' वे कहते हैं कि युवाओं को नौकरी के लायक़ बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिये कौशल विकास बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ।

अल-फ़ातिहा का महत्व

सूरा अल-फ़ातिहा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की नुबूवत के बिल्कुल आरंभिक काल की पवित्र कुरआन की सूरा है, बल्कि विश्वसनीय कथनों से मालूम होता है कि सबसे पहली पूर्ण सूरा जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरी, वह यही है । इससे पहले कुछ आयतें उतरी थीं जो सूरा 96 अलक, सूरा 73 मुज़्ज़म्मिल और सूरा 74 मुद्दस्सिर आदि में शामिल हैं ।

वास्तव में यह सूरा एक दुआ है जो अल्लाह ने हर उस इन्सान को सिखायी है जो उसकी किताब का अध्ययन करने जा रहा हो । किताब के शुरू में इसको रखने का मतलब यह है कि अगर तु सचमुच इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले जगत के स्वामी से यह दुआ करो । इन्सान स्वभावत: उसी चीज़ की दुआ किया करता है जिसकी तलब और चाहत उसके मन में होती है और उसी दशा में करता है जबकि उसे यह एहसास हो कि उसकी अभीष्ट वस्तु उस हस्ती के अधिकार में है जिससे वह दुआ कर रहा है ।

इसलिए कुरआन के शुरू में इस दुआ को सिखाकर मानो इन्सान को यह बताया जा रहा है कि वह इस किताब को सत्य की तलब रखने वाले की-सी भावना को साथ पढ़े और यह जान ले कि इल्म (ज्ञान) का स्रोत जगत का प्रभु है, इसलिए उसी से रहनुमाई की दरख़्वास्त करके पढ़ने की शुरुआत करे ।

इस विषय को समझ लेने के बाद यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि कुरआन और सूरा फ़ातिहा के बीच वास्तविक संबंध किताब और उसके प्राक्कथन जैसा नहीं बल्कि दुआ और दुआ के जवाब जैसा है । सूरा फ़ातिहा एक दुआ है बन्दे की ओर से और कुरआन उसका जवाब है खुदा की ओर से । बन्दा दुआ करता है ऐ पालनहार मेरा मार्गदर्शन कर, जवाब में पालनहार पूरा कुरआन उसके सामने रख देता है कि यह है वह हिदायत और मार्गदर्शन जिसकी दरख़्वास्त तूने मुझसे की है ।

इस सूरा का हिन्दी अनुवाद निम्नलिखित है–प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो संपूर्ण सृष्टि का रब (पालनहार) है (2) अत्यंत कृपाशील और दयावान है (3) बदले के दिन का मालिक है हम तेरी ही इबादत (बन्दगी) करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं (5) हमें सीधा रास्ता दिखा (6) उन लोगों का रास्ता जिन्हें तूने पुरस्कृत किया (7) जो तेरे प्रकोप के शिकार नहीं हुए जो भटके हुए नहीं हैं ।

इस्लाम जो सभ्यता इन्सान को सिखाता है उसका एक नियम यह भी है कि अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करे ।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सूरा फ़ातिहा वास्तव में एक दुआ है लेकिन दुआ की शुरुआत उस हस्ती की प्रशंसा से की जा रही है जिससे हम दुआ मांगना चाहते हैं । इसमें मानों यह बात सिखायी जा रही है कि दुआ शिष्टता के साथ मांगो और जिससे दुआ कर रहे हो पहले उसके गुणों को उसके उपकारों को और उसकी महानता को स्वीकार करो ।

प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है यह कहकर एक बड़ी सच्चाई पर से परदा उठाया गया है । दुनिया में जहां जिस चीज़ और जिस रूप में भी कोई सौंदर्य और कोई कमाल (श्रेष्ठता) है उसका स्रोत अल्लाह ही की ज़ात है इसलिए अगर कोई इसका हक़दार है कि हम उसके कृतज्ञ बने तो वह कमाल को पैदा करने वाला है न कि कमाल वाला ।

अरबी भाषा में 'रब' शब्द के तीन अर्थ होते हैं ।

(1) मालिक व स्वामी (2) पालने-पोसने वाला, ख़बरगीरी और देखभाल करने वाला और (3) शासक हाकिम प्रशासक और व्यवस्थापक इन सभी अर्थों में अल्लाह सृष्टि का रब है ।

इबादत का शब्द भी अरबी भाषा में तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है–

(1) पूजा और उपासना (2) आज्ञापालन और (3) बन्दगी और गुलामी एक ही वक़्त में यहां तीनों अर्थ लिए गये हैं । अर्थात हम तेरे उपासक भी हैं आज्ञापालक और बन्दा और गुलाम भी ।

श्यामनारायण चौहान
विशुनपुरा, चन्दौली, उ॰प्र॰

हमारी नई पुस्तकें

मग़रिब की प्यास	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
तफ़हीमुल-कुरआन(भाग-३)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	580.00
सामूहिक बिगाड़ और उसका अंजाम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
ईमान और इताअत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
मानव-रचित क़ानून और ईश्वरीय क़ानून	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	14.00
भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	12.00
क़ुरआन का ख़ानदानी निज़ाम	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	26.00
भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और मुसलमान	डॉ० मुहम्मद अहमद	75.00
मानवता और इस्लाम	डॉ० मुहम्मद अहमद	80.00
इस्लाम में ज्ञान का महत्व	डॉ० मुहम्मद अहमद	28.00
शिक्षण-प्रशिक्षण कला-१	अफ़ज़ल हुसैन	325.00
पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का रवैया अपने दुश्मनों के साथ	श्री नाथू राम	34.00
वक्त की अहमियत	अल्लामा यूसुफ़ अल-करज़ावी	68.00
साहसी चींटी (बच्चों के लिए)	डॉ० शम्सुल इस्लाम फ़ारुक़ी (अलीग)	30.00
कीड़ों का म्यूज़ियम	डॉ० शम्सुल इस्लाम फ़ारुक़ी (अलीग)	34.00
हमारे आपसी ताल्लुक़ात	ख़ुर्रम मुराद (रह०)	56.00
भक्ति की धारणा और इस्लाम	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	24.00
क्षितिज के पार (काव्य संग्रह)	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	35.00
एकेश्वरवाद और न्याय की स्थापना	मुहम्मद जरजीस करीमी	56.00
मालूमाती कहानियाँ	इब्ने फ़रीद	20.00
नबी (सल्ल०) के ज़माने की बहादुर औरतें	माइल ख़ैराबादी	35.00
सहाबियात (रज़ि०) के हालात-१	तालिब हाशिमी	66.00
सहाबियात (रज़ि०) के हालात-२	तालिब हाशिमी	66.00
सहाबियात (रज़ि०) के हालात-३	तालिब हाशिमी	66.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

अल्लाह का 'ज़िक्र'

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक ख़ां

अल्लाह की याद और उसका 'ज़िक्र' वास्तव में 'इस्लाम' का मूल आधार है । इसके बिना मनुष्य को वह जीवन प्राप्त ही नहीं होता जो इस्लाम को अभीष्ट है । अल्लाह का स्मरण और उसका ख़याल ज्ञान ही है जो मानव-जीवन को स्थायी रूप से अल्लाह और उसकी बन्दगी के साथ जोड़े रखता है । जिस प्रकार शारीरिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि सांस लेने की क्रिया का क्रम निरन्तर चलता रहे, ठीक उसी प्रकार हमारे नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि हम हर क्षण अल्लाह की ओर प्रवृत्त रहें । हमारी जिह्न सदैव उसके नाम से पावन होती रहे । अल्लाह का ख़याल मन में कुछ इस तरह बस जाए कि वह हमारी चेतना से आगे अचेतना और अचेतन मन तक में उतर जाए । और फिर हमारी गतिविधि, हमारी चाल-ढाल, हमारी बातचीत और हमारी ख़ामोशी, तात्पर्य यह है कि हमारी हर चीज़ से इस बात का संकेत हो कि हम एक अल्लाह के बन्दे और उसके ग़ुलाम हैं । उसकी महानता का एहसास हमें ग़ाफ़िल और बेपरवाह होने से रोके रखे और उसकी ख़ुशी पाने की कामना हर क्षण हमें इस बात का जिज्ञासु बनाए रखे कि किस प्रकार से हम अधिक-से-अधिक अच्छे कर्म कर सकते हैं । हम कोई अच्छा काम करें तो हम अल्लाह के आभारी हों और कृतज्ञता दिखलाएं ।

दुख और संकट के समय हम उसकी दयालुता के अभिलाषी हों । हर मुसीबत के समय उसी की ओर रुजू करें, गुनाह और बुराई का कोई मौक़ा सामने आए तो हम अल्लाह से डर जाएं । हमसे कोई अपराध हो जाए तो तुरन्त उससे क्षमा चाहें । हर आवश्यकता और ज़रूरत के समय उससे दुआ मांगे । हर काम अल्लाह के नाम से करें । खाना खाएं तो अल्लाह का नाम लेकर खाएं, सोने जाएं तो अल्लाह को याद करके सोएं, सोकर उठें तो अल्लाह का नाम लेते हुए उठें । साधारण अवस्था में भी किसी-न-किसी बहाने से अल्लाह का नाम ज़बान पर आता रहे । यही वास्तव में इस्लामी ज़िन्दगी की जान है ।

इस्लामी जीवन की मांग यह है कि अल्लाह की याद आदमी की रग-रग में रच-बस गई हो । इस चिर-स्मरण के बिना हमारी वे इबादतें और उपासनाएं भी जो विशेष समय में अदा की जाती हैं कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा सकतीं । इसलिए क़ुरआन में केवल 'ज़िक्र' की नहीं बल्कि 'ज़िक्रे-कसीर' (अधिक स्मरण) की ताकीद की गई है । कहा गया है :

"ऐ ईमान लानेवालो! अल्लाह को अधिक याद करो ।"
(क़ुरआन, 33:41)

एक दूसरी जगह कहा : "और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते रहो ताकि तुम सफल हो ।" (क़ुरआन, 62:10)

अल्लाह के 'ज़िक्र' के इसी महत्व के कारण पूरे 'दीन' (धर्म) को 'ज़िक्रे-रब' कहा गया । क़ुरआन में है :

"और यह कि यदि वे मार्ग पर ठीक-ठीक लग जाते तो हम उन्हें भली-भांति जल सम्पन्न कर देते ताकि हम उसमें उनकी परीक्षा लें, और जो कोई अपने 'रब' के 'ज़िक्र' से मुंह मोड़ेगा तो वह उसे यातना में चढ़ाता चला जाएगा ।"
(72, 16:17)

'ज़िक्र' के इसी महत्व के कारण क़ुरआन में 'ईमानवालों' को हुक्म दिया गया है कि वे अल्लाह को याद करते रहें :

"और अपने 'रब' को प्रातः काल और संध्या समय याद करते रहो, अपने जी में गिड़-गिड़ाते और डरते हुए और धीमी आवाज़ के साथ, और उन लोगों में से न हो जाओ जो ग़ाफ़िल हैं ।"
(7:205)

अल्लाह के 'ज़िक्र' से ग़ाफ़िल होने को हानि एवं घाटे का कारण बताया गया :

"ऐ ईमानवालो ! तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न करें और न तुम्हारी औलाद । और जो कोई ऐसा करेगा, तो ऐसे ही लोग घाटा उठानेवाले हैं ।"
(क़ुरआन, 63:9)

ईमानवालों के गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया :

"और अल्लाह का बहुत अधिक 'ज़िक्र' करनेवाले

पुरुष और बहुत अधिक ज़िक्र करनेवाली स्त्रियां, अल्लाह ने उनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान तैयार कर रखा है ।"

(क़ुरआन, 33:35)

कहा गया कि जो बन्दे मुझको याद करेंगे, मैं भी उनको याद रखूंगा : "(मेरे बन्दो!) मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा और मेरे कृतज्ञ बनो और अकृतज्ञता न दिखाओ ।"

(क़ुरआन, 2:152)

'ज़िक्र' को हृदय-परितोष का कारण बताया गया और बताया गया कि जो ईमान वाले है । उनकी आत्मा को अल्लाह के 'ज़िक्र' से ही शांति और सन्तुष्टि प्राप्त होती है ।

"ये वे लोग हैं जो 'ईमान' लाए और जिनके दिलों को अल्लाह के 'ज़िक्र' से इत्मीनान् हासिल होता है । सुन रखो! अल्लाह की याद से ही दिलों को शांति मिलती है ।"

(क़ुरआन, 13:28)

'इबादत' से निवृत्ति के पश्चात् विशेष रूप से अल्लाह के 'ज़िक्र' की ताकीद की गई । इसमें इस बात की ओर संकेत है कि अल्लाह का 'ज़िक्र' एक ऐसी 'इबादत' है जिससे किसी भी दशा में निवृत्ति या अवकाश अपेक्षित नहीं । यह 'इबादत' हर समय जारी रहनी चाहिए :

"जब तुम 'नमाज़' अदा कर लो तो अल्लाह का 'ज़िक्र' करो (हर दशा में) खड़े, बैठे और अपने पहलुओं के बल लेटे ।" (क़ुरआन, 4:103)

'जुमआ' की नमाज़ के बारे में कहा गया :

"फिर जब (जुमआ की) नमाज़ सामाप्त हो जाए तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल (रोज़ी) तलाश करो, और अल्लाह को अधिक याद करो ताकि तुम सफल हो जाओ ।" (क़ुरआन, 62:10)

क़ुरआन की कतिपय आयतों से ज्ञात होता है कि ऊंचे-से-ऊंचे कर्म और इबादतों का मूल तत्व और अभिप्राय अल्लाह का 'ज़िक्र' और उसकी याद ही है । उदाहरणार्थ नमाज़ के बारे में कहा :

"मेरी याद के लिए नमाज़ क़ायम करो ।"

(क़ुरआन, 20:14)

'हज' संबंधी इबादतों और कर्मों के बारे में नबी (सल्ल०) कहते हैं :

"अल्लाह के घर (काबा) का 'तवाफ़' और सफ़ा और मरवा के बीच 'सई' और जमरात की रमी, ये सब चीज़ें अल्लाह के 'ज़िक्र' के लिए निश्चित हुई हैं ।"

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

सूझ-बूझ रखनेवालों के बारे में बताया गया कि उनका सोच-विचार अल्लाह की याद से ख़ाली नहीं होता । वे किसी दशा में अल्लाह से ग़ाफ़िल नहीं होते, ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु उन्हें अल्लाह की महानता और उसके न्याय की याद दिलाती रहती है :

"निस्सन्देह आकाशों और धरती की बनावट में और रात-दिन के एक-दूसरे के बाद बारी-बारी से आने में बुद्धि रखने वालों के लिए निशानियां हैं । वे (बुद्धि रखने वाले) जो खड़े, बैठे और लेटे (प्रत्येक दशा में) अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की बनावट में सोच-विचार करते हैं, (और कहते हैं) : हमारे रब! तूने ये सब व्यर्थ नहीं बनाया है । महिमा हो तेरी ! तो (ऐ रब!) तू हमें आग (जहन्नम) की यातना से बचा ले ।" (क़ुरआन, 3:190-191)

अल्लाह का 'ज़िक्र' और उसकी याद सारे कर्मों की जान है, इसके बिना सारे आमाल (कर्म) बेजान हो जाते हैं । इसी बात को एक 'हदीस' में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है–

"मुआज़-बिन-अनस जुहनी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्ल०) से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जिहाद करने वालों में सबसे बढ़कर बदला पानेवाला कौन है? आप (सल्ल०) ने कहा : जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करनेवाला है । उसने कहा : रोज़ा रखनेवालों में सबसे ज़्यादा बदला पानेवाला कौन है? कहा : जो उनमें सबसे अधिक अल्लाह को याद करनेवाला है । फिर उस व्यक्ति ने इसी प्रकार नमाज़, हज और सदक़ा अदा करनेवालों के बारे में पूछा और अल्लाह के रसूल (सल्ल०)ने हर एक का यही उत्तर दिया कि जो उनमें सबसे अधिक अल्लाह को याद करने वाला हो ।" (हदीस : मुसनद अहमद)

भूल सुधार

'कान्ति' मासिक के इस्लामी जीवन दर्शन विशेषांक, (दिसम्बर 2017 ई०) में ''मुस्लिम शासकों की न्यायप्रियता'' शीर्षक से प्रकाशित लेख (पृष्ठ संख्या 95) पर दूसरे कॉलम की 11वीं पंक्ति में, 'अपनी पुत्री हज़रत हफ़सा' के स्थान पर अपनी पत्नी हज़रत हफ़सा टाइप हो गया है, जिसके लिए हमें खेद है । कृपया सुधार कर पढ़ें, धन्यवाद ।

–संपादक

हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह (रज़ि॰)

■ तालिब हाशमी

ख़ैबर की जंग के बाद की एक घटना है । एक दिन एक प्रतिष्ठित महिला आप (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुई और अपनी कुछ आवश्यकताओं का उल्लेख करके आप (सल्ल॰) से निवेदन किया कि कुछ नक़्दी या सामान उन्हें प्रदान किया जाए । अल्लाह का करना उस समय आप (सल्ल॰) के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद न थी । इसलिए उन्होंने मआज़रत फ़रमा ली, लेकिन वह महिला आग्रह करती रही कि मेरे निवेदन को स्वीकार किया जाए ।

तभी अज़ान की आवाज़ आने लगी और आप (सल्ल॰) मस्जिद की ओर चल पड़े । वह महिला भी उठी और अपनी बेटी के घर आयी । उसकी बेटी की शादी मशहूर सहाबी हज़रत शरजील बिन हसना (रज़ि॰) से हुई थी । वहां उस महिला ने देखा कि उनके दामाद हज़रत शरजील (रज़ि॰) तहबन्द बांधे घर में ही बैठे हैं और नमाज़ के लिए मस्जिद नहीं गये हैं । अपने दामाद को घर में बैठा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर वे उन्हें बुरा-भला कहने लगीं कि नमाज़ का समय हो गया है और तू घर में ही बैठा है ।

जब वह महिला किसी तरह भी ख़ामोश न हुईं तो हज़रत शरजील ने कहा :

''ख़ाला जान, मुझे बुरा-भला न कहिये । बात यह है कि मेरे पास एक ही क़मीज़ थी जिस पर मैंने पैवन्द लगा रखा था । आप (सल्ल॰) ने उसे मुझसे (आरयतन) मांग लिया है । मैं नहीं चाहता कि नंगे बदन मस्जिद जाऊं और जब लोग मुझसे इसका कारण पूछें तो मैं उनको बताऊं कि मेरी क़मीज़ आप (सल्ल॰) ने ले ली है ।''

वह भद्र महिला दामाद की बात सुनकर सकते में आ गयी और कहने लगीं, ''मेरे मां-बाप अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) पर क़ुर्बान, मुझे क्या मालूम था कि आप (सल्ल॰) का आजकल यह हाल है । मैंने अपने निवेदन पर आग्रह करके ख़ाह-मख़ाह आप (सल्ल॰) को कष्ट पहुंचाया ।

वह महिला जो नमाज़ के समय अपने दामाद को घर में बैठे देखकर इतना दुखी हुई कि उन्हें बुरा-भला कहने लगीं और फिर अनजाने में आप (सल्ल॰) के सामने अनुचित आग्रह करके बहुत पछतायीं, वे हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह (रज़ि॰) थीं ।

हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह (रज़ि॰) का शुमार बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबियात में होता है । आपका ताल्लुक़ क़ुरैश के अदी ख़ानदान से था । आपके पिता का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दे शम्स और मां का नाम फ़ातिमा बिन्ते वहब था । आपकी शादी अबू हसमा बिन हुज़ैफ़ा अदवी से हुई थी । हिजरत से पहले ही बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में इस्लाम स्वीकार किया । हाफ़िज़ बिन हिज्र (रह॰) ने ''असाबा'' में लिखा है कि वे उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थीं जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की आवाज़ पर लब्बैक कहा था और मक्का-मुअज़्ज़मा को हमेशा के लिए छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ बसी थीं ।

जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आये तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) को रहने के लिए एक घर की व्यवस्था कर दी जिसमें वे अपने बेटे सुलैमान (रज़ि॰) के साथ एक लंबी अवधि तक रहीं ।

हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) क़ुरैश की उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थीं जो लिखना-पढ़ना जानती थीं । उनके पास तरह-तरह के रोगी आते थे जिनका वह झाड़-फूक के ज़रिया इलाज किया करती थीं । इतिहासकारों ने उनके चूंटी काटने के मंत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया है । अल्लामा इब्न असीर लिखते हैं कि जब किसी को कोई ज़हरीला कीड़ा काटता तो वे मंत्र पढ़कर काटे की जगह पर फूकतीं ।

सन 3 हिजरी में अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने हज़रत हफ़सा (रज़ि॰) से निकाह किया तो आप (सल्ल॰) ने हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) से कहा कि ''हफ़सा (रज़ि॰) को भी पढ़ना लिखना सिखा दो ।'' हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) ने आप (सल्ल॰) के आदेशानुसार हज़रत हफ़सा (रज़ि॰) को पढ़ना-लिखना सिखाया ।

एक बार हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुईं और कहा, ''ऐ अल्लाह के रसूल

(सल्ल॰), मैं चूंटी काटने पर यह बोल बोला करती थी । क्या मुझे अब भी ऐसा करने की अनुमति है ।'' चूंकि उस बोल में कोई शिर्क नहीं था इसलिए उन्हें अनुमति दे दी गयी बल्कि आप (सल्ल॰) ने यह भी कहा कि यह बोल हफ़सा (रज़ि॰) को भी सिखा दो । इब्ने हिज्र (रह॰) ने आप (सल्ल॰) के ये शब्द नक़ल किये हैं ।

''हफ़सा (रज़ि॰) को भी चूंटी का मंत्र सिखा दो जैसा कि तुमने उसे लिखना सिखाया ।''

कहा जाता है कि हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) बहुत ही बुद्धिमान एवं विवेकशील महिला थीं । आप (सल्ल॰) से उनको बड़ा लगाव था । आप (सल्ल॰) भी उनको बहुत चाहते थे और कभी-कभी उनके घर भी चले जाते थे । हाफ़िज़ इब्ने हिज्र (रह॰) के अनुसार आप (सल्ल॰) कभी-कभी हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) के घर आराम भी फ़रमा लिया करते थे ।

उन्होंने एक बिस्तर और तहमद आप (सल्ल॰) के लिए अलग रख छोड़ा था । चूंकि उन चीज़ों से आप (सल्ल॰) का पाक शरीर मस (Touch) हुआ था, अतएव उन्होंने इन दोनों चीज़ों को ज़िन्दगी भर अपनी जान के साथ रखा । आप (रज़ि॰) की मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने भी इन चीज़ों को बड़े एहतिमाम से संभाल कर रखा । बाद में अमवी हुक्मरान मरवान बिन अल-हकम ने ये दोनों चीज़ें उनसे ले लीं ।

हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) को आप (सल्ल॰) से जो कुर्बत (निकटता) हासिल थी, उसी वजह से तमाम सहाबी (रज़ि॰) उनका बड़ा सम्मान किया करते थे । हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) तो उनसे कुछ मामलों में सलाह लिया करते थे । हाफ़िज़ इब्ने हिज्र ने इब्ने साद के हवाले से लिखा है कि हज़रत उमर (रज़ि॰) को हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) की फ़ज़ीलत और शय का बड़ा पास था और वे उनको बाज़ार की व्यवस्था देखने की ज़िम्मेदारी भी दिया करते थे ।

इससे पता चलता है कि हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) की हर मामले में एक अलग राय हुआ करती थी और उनके अन्दर प्रशासनिक क्षमता भी मौजूद थी । अल्लामा इब्ने असीर (रज़ि॰) ने ''उसुदुल ग़ाबा'' में लिखा है कि एक बार हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) ने अपने ख़िलाफ़त के दौर में हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) को बुला भेजा । जब वे हज़रत उमर (रज़ि॰) के पास पहुंची तो उसी समय वहां हज़रत आतिका बिन्त उसैद (रज़ि॰) भी वहां आ गयीं ।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने दोनों को एक-एक चादर भेंट की । जो चादर हज़रत आतिका (रज़ि॰) को दी गयी थी वह बेहतर थी । हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) को यह बात अच्छी न लगी । उन्होंने हज़रत उमर को संबोधित करते हुए कहा :

''तुम्हारे हाथों पर मिट्टी पड़े । मैं आतिका (रज़ि॰) से पहले इस्लाम में आयी । तुम्हारी (चचेरी) बहन भी हूं । फिर तुमने मुझे ख़ुद बुलाया था । लेकिन इन सारी बातों के होते हुए भी तुमने आतिका (रज़ि॰) को मुझसे अच्छी चादर दी । हालांकि वह बिन बुलाये इत्तिफ़ाक़ से यहां आ गयी थीं ।''

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा : ''अल्लाह की क़सम, वह चादर तुम्हारे ही लिए थी, लेकिन जब आतिका (रज़ि॰) आ गयीं तो मुझे उनकी रिआयत करनी पड़ी क्योंकि उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ मुहम्मद (सल्ल॰) से ज़्यादा क़रीब है ।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) के आख़िरी दौर में या हज़रत उस्मान (रज़ि॰) के शुरुआती दौर में हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) का इन्तिक़ाल हुआ । उनको एक बेटा और एक बेटी थी । दोनों को सहाबी होने का सम्मान प्राप्त हुआ । उनकी बेटी हज़रत शरजील बिन हसना (रज़ि॰) के निकाह में थीं ।

हज़रत शिफ़ा (रज़ि॰) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) से कुछ हदीसें रिवायत की हैं । रावियों में उनके बेटे सुलैमान (रज़ि॰), पोते अबू बक्र (रह॰) और उस्मान (रह॰), उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा (रज़ि॰), अबू सलमा (रह॰) और अबू इसहाक़ (रह॰) शामिल हैं ।

''धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी-बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं, जो उठते-बैठते और लेटते, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच-विचार करते हैं ।''

(क़ुरआन, 3:190, 191)

A Well Wisher

DARBHANGA (BIHAR)

न्याय की दुनिया

■ संपादन प्रभाग

समाज की सुरक्षा व हित के लिए न्याय का व्यवहार नितान्त आवश्यक है । न्याय से वंचित समाज प्रगति एवं उन्नति के मार्ग पर न चल सकता है और न कभी फल-फूल ही सकता है । न्याय मानवजाति का वह अधिकार है, जिसको न धन-दौलत से ख़रीदा जा सकता है और न बलपूर्वक छीना जा सकता है । आप देख लीजिए कि जिस समाज ने धन, शक्ति और वैभव के बल पर न्याय को दबाना चाहा है, उसको इतिहास ने माफ़ नहीं किया और न भविष्य में ही क्षमा करेगा । एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, जब न्याय का गला घोंटनेवालों का गला घोटा जाएगा । दुखी मानवता को शक्ति से दबानेवालों को स्वयं की दुखों की चक्की में पिसना पड़ेगा ।

इस संसार का यह अटल नियम है, जिसको कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता से बदल नहीं सकता । वे लोग बहुत शीघ्र अपने-आपको भुला देते हैं, जो न्याय की कुर्सियों पर बैठते हैं कि वे कितनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके एक-एक क्षण और एक-एक अक्षर का मानवता के न्यायग्रह में हिसाब किया जाएगा । अगर इससे बचकर निकल गए, तो अल्लाह और ईश्वर की अदालत से किसी भी प्रकार से बचकर नहीं निकल सकेंगे ।

इस सिलसिले में इस्लामी शिक्षाओं ने किसी का पक्ष नहीं लिया है, बल्कि साफ़-साफ़ उन लोगों को होशियार रहने का आदेश दे दिया है, जो न्यायाधीश की कुर्सियों पर विराजमान हैं । अन्याय करनेवालों को कठोर-से-कठोर दण्ड की चेतावनी दी गई है, इसी लिए इस्लामी न्याय इतिहास के पन्नों में उदाहरण बन गया । न्याय के सिलसिले में अल्लाह कहता है–

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न्याय व इन्साफ़ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो, यद्यपि तुम्हारा इन्साफ़ और तुम्हारी गवाही स्वयं तुम्हारे अपने या तुम्हारे मां-बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न पड़ती हो । मामले से संबंध रखनेवाला पक्ष चाहे धनवान हो या निर्धन, अल्लाह तुमसे अधिक उनका हितैषी है । अतः अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो और अगर तुमने लगी-लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है ।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-135)

एक इन्सान के लिए न्याय का मार्ग अपनाना कुछ मुश्किल नहीं है मगर उसकी आज़माइश उस समय हो जाती है, जब कोई समस्या स्वयं उसके या उसके परिवार के सामने आ जाती हैं । यही वह अवसर होता है जब उसके न्याय व इन्साफ़ की पोल खुल जाती है । ऐसी स्थिति में अल्लाह फ़रमाता है–

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर क़ायम रहनेवाले और इन्साफ़ की गवाही देनेवाले बनो । किसी गरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इन्साफ़ (न्याय) से फिर जाओ । इन्साफ़ करो, यह ईशभक्ति और विनम्रता से अधिक अनुकूल है । अल्लाह से डरकर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है ।" (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-8)

एक अवसर पर ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी चहेती बेटी फ़ातिमा को भी दण्ड देने की बात कर दी थी ।

घटना इस तरह है कि मक्का में एक औरत रहती थी, जिसका संबंध मख़ज़ूम क़बीले के एक प्रतिष्ठित परिवार से था । एक बार उसने चोरी की और पकड़ी गई । परिणामस्वरूप उसे उसका हाथ काटने की सज़ा मिली । उस औरत का नाम फ़ातिमा था । ईशदूत मुहम्मद (सल्ल०) की बेटी का नाम भी फ़ातिमा था । इस्लाम से पूर्व अरब में प्रतिष्ठित लोगों के लिए जो क़ानून था, उससे भिन्न क़ानून उन लोगों के लिए था, जो कमज़ोर वर्ग के थे । उनमें से एक ऊंचे घराने की अपराधी औरत को अन्ततः सज़ा मिलकर रहेगी, इस बात से बनी-मख़ज़ूम क़बीले के लोग ख़ुश न थे । (यह चोरी की घटना उस समय की है, जब अरब के लोग क़बीले-के-क़बीले इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे और बहुत-से लोग इस्लाम क़बूल कर चुके थे ।)

वे आपस में कहने लगे, "यह कैसे हो सकता है? क्या उस औरत को बचाने के लिए कोई राह नहीं निकल सकती ।" चिन्ता बढ़ती गई । प्रश्न यह था कि ईशदूत

मुहम्मद (सल्ल०) को इस बात पर कैसे सहमत किया जाए कि फ़ातिमा (अपराधी औरत) को दण्ड से बचाया जा सके। वे भली-भांति जानते थे कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सज़ा में नर्मी बरतने के लिए आप (सल्ल०) से कहना व्यर्थ होगा।

अत: क़बीला बनी-मख़ज़ूम के लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि इस कार्य में उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि०) की सहायता ली जाए। उसामा (रज़ि०) ईशदूत मुहम्मद (सल्ल०) के मुंहबोले बेटे ज़ैद-बिन-हारिसा (रज़ि०) के बेटे थे। आप (सल्ल०) उसामा से बहुत प्यार करते थे। बनी-मख़ज़ूम के लोग उसामा (रज़ि०) के पास गए और उस अपराधी औरत (फ़ातिमा) के बारे में पूरी बात बताई। उन लागों की पूरी बात सुन लेने के बाद उसामा (रज़ि०) ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) को इस बात पर राज़ी करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप (सल्ल०) फ़ातिमा के दण्ड के मामले में नर्मी बरतें।

उसामा (रज़ि०) अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, यहां तक कि उन्होंने रसूल (सल्ल०) को अकेले में पा लिया और अपनी बात कहनी शुरू की। उसामा (रज़ि०) जितनी शीघ्रता से बात कर सकते थे, कह रहे थे। तभी नबी (सल्ल०) ने उनकी तरफ़ से मुंह फेर लिया और उसामा (रज़ि०) समझ गए कि रसूल (सल्ल०) उनकी बातों से अप्रसन्न हो गए हैं।

शाम को नमाज़ के बाद ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए और फ़रमाया–

"अल्लाह महान है। तुमसे पहले की कई क़ौमों का पतन हुआ और वे कमज़ोर हुईं और अन्ततः विनष्ट होकर रहीं, केवल इसलिए कि उनमें जब उच्च वर्ग का कोई प्रतिष्ठित व कुलीन व्यक्ति अपराध करता तो वे उसे छोड़ देते, और जब कमज़ोर वर्ग का कोई निर्धन व्यक्ति वही अपराध करता तो उसे दंड देते। मैं क़सम खाता हूं उसकी, जिसके हाथ में मेरी जान है कि यदि मेरी चहेती बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काटने का आदेश देता।"

अगर आप इस्लामी इतिहास पर एक उचटती हुई नज़र भी डाल दें, तो आपका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। विश्व में संभवत: कोई ऐसा राज्य न होगा, जिसके संविधान में न्याय और इन्साफ़ के संबंध में विशेष धाराएं मौजूद न हों। किन्तु विश्व के किसी राज्य के पास ऐसा संविधान मौजूद नहीं है, जिसकी पीठ पर ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी होने का विश्वास मौजूद नहीं है, जिसकी पीठ पर ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी होने का विश्वास मौजूद हो। यह विशेषता केवल इस्लामी संविधान को प्राप्त है। यही कारण है कि आज विश्व के हर राज्य में न्याय और इन्साफ़ की दुर्दशा हो रही है और सबसे अधिक न्याय की दुर्दशा शासक वर्ग के हाथों हो रही है। जो न्याय को स्थापित करने का उत्तरदायी है, वही न्याय के नियमों को अपने लाभ और उद्देश्यों के अनुसार उपयोग कर रहा है और न्याय के नाम पर अपने विरोधियों पर खुल्लम-खुल्ला अत्याचार कर रहा है। शासक वर्ग ने ऐसे नियम बना रखे हैं, जिनके द्वारा जिसको चाहते हैं न्यायालय में मुक़दमा चलाए बिना जेल में डाल देते हैं और उसे स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर देते हैं, जो अन्याय है। आमतौर पर इस तरह की ख़बरें मीडिया के ज़रिए सुनने में आती रहती हैं।

इस्लामी शासन में सबसे सरल काम न्याय प्राप्त करना था। वह भी किसी ख़र्च के बिना लोग सच्चा न्याय प्राप्त कर लेते थे। इसका कारण यह था कि इस्लामी शासन का नियम मुनष्यों का बनाया हुआ न था, ईश्वरीय नियम था। इसलिए शासक व प्रजा दोनों के दिलों में उसका सच्चा सम्मान था। उसकी अवज्ञा को शासक व प्रजा दोनों लोक-परलोक के विनाश-तुल्य समझते थे। इस विधान की पीठ पर ईश्वर और ईश-सन्देश की ताड़नाएं और चेतावनियों भी मौजूद थीं, जिन पर उनका सच्चा विश्वास था और वे उनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकते थे। रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"क़ियामत (प्रलय) के दिन न्याय करनेवाले न्यायाधिकारी (क़ाज़ी) के समझ भी ऐसा ईश्वर का भय होगा कि वह चाहेगा कि काश! उसने एक खजूर के संबंध में भी दो व्यक्तियों के बीच निर्णय न किया होता।"

हज़रत अबू-बक्र सिद्दिक़ (रज़ि०) जब इस्लामी शासन के पहले ख़लीफ़ा (शासनाध्यक्ष) हुए तो न्याय व इन्साफ़ संबंधी एवं महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षा और आदेश उनके सामने थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के समूह में जो प्रथम भाषण दिया, उसमें अपने शासन की नीति बयान करते हुए घोषणा की–

"तुम्हारे बीच जो निर्बल है, वह मेरे निकट बलवान है,

यहां तक कि उसका छीना हुआ अधिकार उसको पुनः वापस दिला दूं और तुम्हारे बीच जो बलवान है, वह मेरे निकट निर्बल है, यहां तक कि मैं उससे उस अधिकार को प्राप्त कर लूं, जो उसने हनन कर रखा है ।".

इसी प्रकार इस्लामी राज्य के दूसरे ख़लीफ़ा (शासनाध्यक्ष) हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) हुए, तो उन्होंने अपने संबोधन में फ़रमाया–

"मैं किसी व्यक्ति को इसका अवसर न दूंगा कि वह किसी का अधिकार छीने या किसी पर कोई अत्याचार करे । जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसका एक गाल मैं धरती पर रखूंगा और उसके दूसरे गाल पर अपना पांव रखूंगा, यहां तक कि वह सत्य के सामने झुक जाए ।"

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) ने ऐसे नियम बना दिए थे कि ग़रीब-से-ग़रीब आदमी को न्याय प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो । न्यायालय में मुक़दमा पेश करने से लेकर फ़ैसला पाने तक किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता था । निर्धन-से-निर्धन व्यक्ति क़ाज़ी (न्यायाधीश) के पास पहुंच कर मुक़दमा दाख़िल कर देता और उसे आसानी से न्याय मिल जाता । न्यायाधीशों को आदेश था कि कोई निर्धन व असहाय व्यक्ति वादी बनकर आए तो उसके साथ नम्रता व सहिष्णुता का व्यवहार किया जाए, ताकि वह अपना वाद उपस्थित करने में किसी प्रकार का दबाव न अनुभव करे ।

न्याय व इन्साफ़ से संबंधित एक दूसरा उदाहरण है कि एक बार इस्लामी राज्य के ख़लीफ़ा (शासनाध्यक्ष) हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) के पुत्र अब्दुर्रहमान ने मिस्र में शराब पी । होश आया तो स्वयं ही मिस्र के शासक हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ि॰) की सेवा में उपस्थित हुए और अपने अभियोग को स्वीकार करके प्रार्थना की कि उन्हें शराब पीने की सज़ा दी जाए । हज़रत अम्र-बिन-आस (रज़ि॰) ने डॉट-डपटकर टाल देना चाहा, किन्तु अब्दुर्रहमान जानते थे कि मिस्र के शासक ने उनको क्षमा भी कर दिया तो क्या हुआ, क़ियामत (प्रलय) के दिन अल्लाह क्षमा न करेगा और वे परलोक के अपमान से बच न सकेंगे । इसलिए उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि उनको सज़ा दी जाए, वरना वे मदीना जाकर इस्लामी राज्य के शासनाध्यक्ष हज़रत उमर (रज़ि॰) से शिकायत करेंगे । उनके इस आग्रह पर मिस्र के शासक ने अपने आवास के प्रांगण में उनको सज़ा दी ।

इस घटना की सूचना जब हज़रत उमर (रज़ि॰) को मिली तो उन्होंने मिस्र के शासक को ताड़नापूर्वक यह पत्र लिखा–

"ऐ इब्ने-आस ! मुझको तुम्हारी धृष्टता और प्रतिज्ञा-भंग पर आश्चर्य है । मेरे निकट तुम मिस्र की गवर्नरी के पद से हटा दिए जाने योग्य हो । तुमने अब्दुर्रहमान को अपने आवास के प्रांगण में सज़ा दी और मकान के अन्दर ही उसका सिर मूण्डा । यद्यपि तुम्हें भली-भांति मालूम है कि इस प्रकार का पक्षपात मेरे नियम के विरुद्ध है । अब्दुर्रहमान तुम्हारी प्रजा में से एक था । तुम्हें चाहिए था कि जिस प्रकार तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी प्रकार उसके साथ भी करते । किन्तु तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया है, इस विचार से कि वह इस्लामी राज्य के शासनाध्यक्ष का बेटा है । यद्यपि तुम जानते हो कि मैं न्याय के संबंध में किसी के साथ पक्षपात से काम नहीं लेता । इसलिए तुमको आदेश देता हूं कि मेरा पत्र पाते ही अब्दुर्रहमान को मेरे पास भेज दो, ताकि मैं उसको उसके किए का मज़ा चखाऊं ।" एक कथनानुसार हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰) ने अपने पुत्र अब्दुर्रहमान को जनता के समूह के समक्ष पुनः सज़ा दी ।

क्या इस्लामी राज्य और इस्लामी समाज के अतिरिक्त भी सत्यप्रियता और न्यायशीलता के ऐसे विचित्र दृश्य देखे जा सकते हैं? दोषी दोष छिपाता है और अपने-आपको बचाने की भरपूर चेष्टा करता है, किन्तु वास्तविक इस्लामी समाज का एक दोषी स्वयं अपने को सज़ा प्राप्त करने के लिए उपस्थित करता है और उसके साथ नरमी की जाती है, तो वह शासक को धमकी देता है कि मुझे सज़ा दो अन्यथा तुम्हारी शिकायत इस्लामी राज्य के शासनाध्यक्ष से करूंगा ।

भारतवर्ष में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उनका उद्देश्य अंग्रेज़ों की तरह भारत को अपना उपनिवेश बनाकर इसे लूटना फिर यहां कि धन-दौलत से अपने देश को भरना कदापि नहीं था । वे यहां आए तो भारत को ही सदैव के लिए अपना देश बना लिया और यहां की दौलत यहां से कहीं और नहीं जाने दी । उन्होंने भारत को ख़ुशहाली और अमन-चैन, शांति का देश बनाने के लिए हर संभव उपाय किए और न्याय तथा इन्साफ़ की बुनियादों पर हुकूमत क़ायम करने और चलाने की भरपूर कोशिश की । भारत को एक महान देश बनाने के लिए उन्होंने उत्तरोत्तर संघर्ष किया

और इसे अखण्ड राष्ट्र का व्यावहारिक रूप देकर छोटे-छोटे राज्यों को एक लड़ी में गूंथकर भारत को एक महान एवं शक्तिशाली देश बना दिया ।

इन्साफ़ और न्यायप्रियता मुस्लिम बादशाहों का विशिष्ट गुण रहा है । जनकल्याण और न्यायशीलता की इस्लामी शिक्षाएं उनका लक्षय थीं । हज़रत बख़्तियार काकी (रह०) की पुस्तक वाणी संग्रह के "फ़वाएदुस्सालिकीन" में है कि "इलतुतमिश" की ओर से आम अनुमति थी कि जो लोग फ़ाक़ा (भूखे रहा) करते हों उसके पास लाए जाएं । जब वे लाए जाते तो वह उनमें से प्रत्येक को कुछ-न-कुछ देता और उन्हें क़स्में देकर नसीहत करता कि जब उनके पास खाने-पीने को कुछ न रहे या उन पर कोई अत्याचार करे तो वे यहां आकर न्याय की ज़ंजीर, जो बाहर लटकी हुई है, हिलाएं ताकि वह उनके साथ न्याय कर सके, नहीं तो प्रलय के दिन उनकी फ़रियाद का बोझ वह सहन नहीं कर सकेगा ।

ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में मौलाना ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि वह दान, अनुदान, पुरस्कार एवं न्याय करने में भाइयों, लड़कों और रिश्तेदारों का बिल्कुल ख़याल नहीं करता था और जब तक मज़लूम (पीड़ित) के साथ न्याय न कर लेता, उसके दिल को आराम व शांति नहीं पहुंचती । उसके न्याय और इन्साफ़ के क़िस्से बहुत प्रसिद्ध हैं । उस काल के हिन्दुओं ने भी खुले दिल से उसकी हुकूमत की प्रशंसा की है । 1337 विक्रमि तदनुसार सन् 1280 ई० का एक संस्कृत शिलालेख पालम में मिला है, जिसमें लिखा है कि बलबन के राज्य में खुशहाली है । उसकी बड़ी और अच्छी हुकूमत में ग़ौर से ग़ज़ना और द्रविड़ से रामेश्वरम् तक हर जगह ज़मीन पर बहार-ही-बहार की मोहकता फैली है । उसकी सेना ने ऐसा अमन व शांति स्थापित की है, जो हर व्यक्ति को प्राप्त है । सुलतान अपनी प्रजा की देखभाल इतने अच्छे तरीक़े से करता है कि खुद विष्णु दुनिया की चिंता से मुक्त होकर दुग्ध-सागर में जाकर सो रहे हैं ।

मुग़लकाल से पूर्व के दिल्ली के मुस्लिम बादशाहों ने न्याय व इन्साफ़ की जो परंपरा स्थापित की, उसे मुग़ल बादशाहों ने और भी शानदार तरीक़े पर बरक़रार रखा । बाबर ने अपनी "तुजुक" (शाही रोज़नामचे) में स्वयं लिखा है कि उसकी सेना भीरह से गुज़र रही थी, तो उसे मालूम हुआ कि सिपाहियों ने भीरहवासियों को सताया है और उनपर हाथ डाला है, तो तुरंत उन सिपाहियों को गिरफ़्तार करके कुछ की नाकें कटवाकर और कुछ को मृत्यु की सज़ा देकर सबको उनकी करतूतों के बारे में बताया ।

'इस्लाम, मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिम'

मानव-समाज की भलाई और कामयाबी के लिए ईश्वरीय ग्रन्थ कुरआन द्वारा प्रस्तुत न्याय और उसके सिद्धात को त्याग देने के कारण आज मानवता सिसक रही है, क्योंकि न्याय और इन्साफ़ के दरवाज़े निर्धनों तथा निर्बलों के लिए बन्द हो चुके हैं । अब जब तक उनको फिर से नहीं खोला जाएगा, उस समय तक समाज को सिसकना पड़ेगा ।

क्षतिग्रस्त

मंत्री महोदय ने बताया है कि देश भर में
100 पुल क्षतिग्रस्त और ढहने की कगार पर हैं।
मन में सवाल उठता है कि आख़िर ऐसी
स्थिति आने ही क्यों दी जाती है ?
स्पष्ट है कि नियमित देख-रेख का अभाव
मेंटेनेंस का न होना ही इसका क़ारण है ।
प्रकट है कि अपने यहां प्राथमिकता पर
उचित ध्यान नहीं दिया जाता !
करोड़ों रुपये के नये-नये काम हो रहे हैं
बुलेट ट्रेनें दौड़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है ।
किन्तु बने हुए इस्तेमाल में आ रहे पुलों
के रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा ?
पुल सड़कें रेल मार्ग राष्ट्र की जीवन रेखा हैं
जिन पर करोड़ों देशवासियों का रोज़
आना-जाना होता है अस्तित्व निर्भर है ।
कई पुलियों पर बरसों तक नोटिस लगे रहते हैं
कि "पुलिया क्षतिग्रस्त" और बस ।
न जाने स्वाधीनता से पहले के बने पुल
इमारतें, रेलपथ अब तक कैसे चल रहे हैं ?

ओमप्रकाश बजाज
पोस्ट बाक्स-595, जी०पी०ओ०,
इंदौर, म०प्र०

'ख़ुशख़बरी दो और नफ़रत पैदा न करो'

■ मतीन तारिक़ बाग़पती

मानवता के सबसे बड़े उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया है कि–"ख़ुशख़बरी दो और नफ़रत न पैदा करो ।" (हदीस)

बातचीत में मिठास, निरंतर अच्छा व्यवहार और ख़ुलूस का प्रभाव होना लाज़मी है । आप जिससे बात कर रहे होते हैं, एक न एक दिन वह सोच-विचार करने पर ज़रूर मजबूर होगा । यही आपकी सफलता का सुबूत है । जो फल पक गया हो वह ज़रूर किसी न किसी दिन आपकी झोली में गिरेगा । यह उन जादू रूपी शब्दों का प्रभाव होगा जो आपने अपने संबंधों के बीच प्रयोग किये थे और मुख़ातब के दिल से हठधर्मी और विरोध का निकल जाना आपकी नरमी और हमदर्दी के अमल का नतीजा है । यह एक ऐसी हक़ीक़त है कि जिसके लिए अल्लाह तआला ने अपने नबी हज़रत मूसा (अलैहि०) को फ़िरऔन जैसे कठोर और अत्याचारी बादशाह के पास भेजते हुए हिदायत की थी–

"जाओ तुम दोनों (यानी मूसा और हारून) फ़िरऔन के पास, वह सरकश हो गया है । उससे नर्म बात करना, ताकि वह याददिहानी हासिल करे या डरे ।"

(क़ुरआन, 20:43,44)

अस्ल में वाद-विवाद का मसला उस वक़्त पैदा होता है, जब आदमी अपने-आपको एक फ़रीक़ समझता है । आजकल क़ौमी और गिरोही भेदभाव का एहसास बहुत तेज़ है । उसने एक वबाई सूरत इख़्तियार कर ली है, जिसकी वजह से क़ौमों-क़ौमों और मुल्कों-मुल्कों में रस्साकशी है । हसद, घमंड, कीना, जलन और दुश्मनी की आग हर तरफ़ फैल रही है । मुसलमान भी एक मुद्दत से उसकी लपेट में है ।

लेकिन हक़ की दावत देने वाले के लिए यह कैफ़ियत ठीक नहीं है, उसको गरोही भेदभाव से ऊपर उठकर और इस्लाम का नुमाइन्दा बनकर दुनिया के सामने आना चाहिए । उसका दामन क़ौमी-दासता के हर धब्बे से पाक होना चाहिए । उसके दिल में तास्सुब का एक अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्ल०) का फ़रमान है–"तमाम मख़लूक़ ख़ुदा का कुन्बा है ।"

(हदीस)

इस लिहाज़ से दुनिया का हर आदमी चाहे वह यूरोप का रहने वाला हो या पूर्व-पश्चिम कहीं का, छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, सब आपकी दया के पात्र हैं, चुनांचे सूरा निसा में विशेष रूप से फ़रमाया–

और तुम सब अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ और अच्छा व्यवहार करो, मां-बाप के साथ, नातेदारों, अनाथों और मुहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और अपरिचित पड़ोसियों के साथ, और साथ रहने वाले आदमी के साथ और मुसाफ़िर के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों ।"

(क़ुरआन, 4:36)

यहां पर अपरिचित पड़ोसियों से मुराद वे पड़ोसी हैं, जिनसे रिश्तेदारी और क़ौमी कोई संबंध न हो । इसमें ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी भी शामिल हैं । मुसीबत के मारों की मदद, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने, किसी ज़ख़्मी दिल पर प्यार का मरहम रखने में मुस्लिम, ग़ैर-मुस्लिम का कोई भेद नहीं है । मौजूदा राजनीतिक खींच-तान, आर्थिक बदहाली और आपसी झगड़ों से हमारी तरह हमारे ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी भी परेशान हैं । आप मुसीबत के समय में दो शब्द प्यार के कहते हैं और ज़ात-पात से ऊपर उठकर उनको गले लगाते हैं, उनके दुख-दर्द में शरीक होते हैं तो उनके दिल में आपके लिए जगह पैदा हो जाएगी, फिर आप अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं ।

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

KIDS CARE

MONTESSORI & PRIMARY SCHOOL



- Montessori to Class - V
- A Huge Playground for Outdoor Games
- Efficient and Trained Teachers
- Learning through Computers
- Homely Environment
- CCTV Monitored

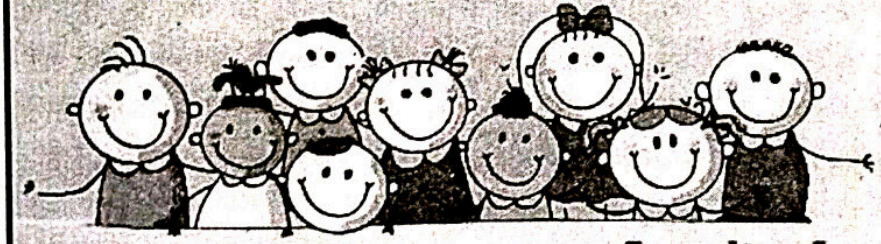

ADMISSION OPEN

A unit of
Al-Falah Educational & Welfare Trust

58, Tiljala Road, Kolkata - 700046

CONTACT : 9874359433 / 9432340275

Website: www.kidscareschool.org

संपत्ति में स्त्री के हिस्से की हक़ीक़त

■ प्रदीप श्रीवास्तव

महिलाओं को निजी संपत्ति में हिस्सा देने की बहस काफ़ी पुरानी है । हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही यह बहस तेज़ हो गयी थी । ब्रिटिश राज और उससे आज़ादी के बाद समय-समय पर क़ानून बनाए गये हैं, जो महिलाओं को निजी संपत्ति का अधिकार तो देते हैं, लेकिन समाज में पुरुष प्रधान सोच के कारण क़ानून पंगु बना रहा । वर्तमान समय में फैक्टरी, कार्यालय, खेत या घर-हर जगह महिलाएं समान रूप से श्रम कर रही हैं । इसके बावजूद सामाजिक तौर पर निजी संपत्ति के बंटवारे के समय उनकी अनदेखी की जाती है । इस बारे में क़ानून महज़ दिखावा साबित होते हैं । पूंजीवाद महिलाओं को समानता का हक़ तो देता है, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर । वह महिलाओं को श्रम के तौर पर बाज़ार और फैक्ट्री तक लाता है, लेकिन उनके श्रम को सामाजिक श्रम का हिस्सा मानने से हिचकता है । इसीलिए पूरी दुनिया में मानव श्रम की गणना की जाती है तो महिलाओं की अनदेखी की जाती है । इनमें महिलाओं द्वारा घरेलू काम या बच्चों की परवरिश के लिए किये जाने वाले श्रम की गणना नहीं होती है । वर्तमान व्यवस्था भी किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रचार माध्यमों से इस ग़ैर बराबरी को बनाए रखना चाहती है ।

महिलाओं को जब संपत्ति में हिस्सा देने की बारी आयी तो नीति-निर्माताओं ने महिला संपत्ति की उल्टी-सीधी व्याख्या करनी शुरू कर दी । कभी विवाहित महिला द्वारा बचाए गये पैसे-ज़ेवर आदि को स्त्री की निजी संपत्ति के रूप में माना गया, कभी शादी के बाद पति की संपत्ति को महिला की निजी संपत्ति मान लिया गया । लेकिन वक़्त बदलने के साथ ही महिलाएं समान अधिकार को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक होने लगी हैं, जिस कारण संपत्ति अधिकार क़ानून के व्यावहारिक पक्ष पर बहस तेज़ हुई है । प्राचीन काल से मध्यकाल तक की सांस्कृतिक अवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति ऐसी बनी कि वे संपत्ति और दूसरे अधिकारों के मामले में लगातार हाशिये पर चली गयीं । लेकिन आधुनिक भारत में महिला अधिकार आंदोलनों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा ।

आज़ादी की लड़ाई के दौरान सभी प्रभावशाली नेताओं ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने की वकालत की । उस समय के नेताओं ने महसूस किया कि आर्थिक आज़ादी महिलाओं को संपत्ति में हक़ देने की लड़ाई से पूरी तरह से घुली-मिली है । सैद्धांतिक तौर पर प्रकृति भी महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं करती है और न ही प्रारंभिक समाज में ऐसा था । लेकिन विभिन्न सामाजिक संरचना, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विश्व के अलग-अलग देशों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफ़ी अंतर है । कहीं महिलाओं को ज़्यादा अधिकार हैं, तो कहीं कम । आज भी जनजातीय समाजों में महिलाओं को बराबरी के अधिकार हैं जो उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार देते हैं । जबकि हमारे देश में व्यावहारिक रूप से महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार मिले हैं ।

इसमें भी संपत्ति रखने के मामले में महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है । हालत यह है कि अभी तक महिलाओं और पुरुषों की संपत्ति के अधिकार को लेकर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है । अगर हम बंगाल, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या और संपत्ति में उनके हिस्से की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो भूसे में सूई ढूंढ़ने जैसा होगा । अनेक संगठन महिलाओं के हक़ की आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन उनके आंदोलन और मुद्दे आपस में एक दूसरे से अलग-अलग हैं ।

संयुक्त राष्ट्र की शाखा यू॰एन॰-वूमेन ने 'नेशनल फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' और 'गर्ल्स काउंट' के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ोर-शोर से यह मुद्दा उठाया है, जिसे समर्थन मिलना शुरू हो गया है । यूं भारत जैसे देश में महिलाओं की सामाजिक हैसियत क्या रही है, यह किसी से छिपा नहीं है । जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को पुरुषों की दया पर ज़िंदा रहना पड़ता है । अतार्किक और

पितृसत्तात्मक सोच के बोझ तले स्त्रियों की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है । यह तथ्य है कि संपत्ति सहित ज़मीन और मकान पर महिलाओं का मालिकाना हक़ होने से उनके साथ भेदभाव कम होते हैं ।

जिन देशों में महिलाएं आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त हैं, वहां भेदभाव में कमी आयी है । हमारे देश में धर्म सुधार और महिला अधिकार आंदोलनों के कारण अंग्रेज़ों ने प्रॉपर्टी एक्ट 1937 तैयार किया, जिसमें हिंदू धर्म में विधवा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया । यह आधे-अधूरे ढंग से तैयार किया गया । इस क़ानून के अनुसार अगर पति ने अपनी कोई वसीयत नहीं तैयार की है तो पुत्र को विरासत में मिली संपत्ति की आधी हक़दार विधवा भी होती थी । 1933 में कर्नाटक सरकार ने हिंदू क़ानून में महिला को संपत्ति में अधिकार के अधिनियम को भी जोड़ा । हालांकि महिलाओं को संपत्ति के कुछ सीमित अधिकार ही दिये गये, लेकिन यह पहली बार क़ानूनी तौर पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की लिखित व्याख्या करता है । इस क़ानून के तहत वह संपत्ति को बेच, वसीयत या दान नहीं कर सकती थी । लेकिन वह स्त्री धन के तौर पर जुटाई गयी संपत्ति को बेच सकती थी । इसमें भी ज़ेवर, क़ीमती परिधान, प्राप्त उपहार आदि शामिल थे । आज़ादी के बाद 1956 में हिंदू सेक्सेशन एक्ट की धारा-14 महिलाओं को संपत्ति में पूरा अधिकार देती है । चल और अचल संपत्ति पर भी ।

हिंदू उत्तराधिकार क़ानून 2005 में हुए बदलाव से अब बेटियों को भी संपत्ति में बेटों के बराबर संपत्ति का हक़दार बना दिया गया है । इस नियम के तहत अब माता-पिता की संपत्ति की रजिस्ट्री, बेचना, पट्टे पर देना या ट्रांसफ़र करना बेटी के हस्ताक्षर के बिना संभव नहीं है । इस मामले में या तो बेटी संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती है या फिर यह घोषित करती है कि वह अपना हिस्सा अपने भाई को देना चाहती है । तभी संपत्ति की रजिस्ट्री या ख़रीद-बिक्री संभव हो सकती है । बेटी चाहे अविवाहित हो या विवाहित दोनों को ही समान रूप से अपने पिता की ज़मीन-जायदाद का हिस्सा लेने का हक़ प्रदान किया गया है । चूंकि देश में महिलाओं के संपत्ति अधिकार को लेकर बहुत कम चर्चा हुई है, जिस कारण से शोध और सर्वे का कार्य भी नाममात्र का ही है । 2013 में दिसंबर में इंटरनेशनल लैंड कोलिशन, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और यू॰एन॰ वूमेन ने हिंदू सेक्सेशन सुधार अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की । इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कृषि आधारित राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन हस्तांतरण को लेकर अध्ययन किया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज़मीन संपत्ति का सबसे बड़ा माध्यम है ।

गांवों में परिवार या व्यक्ति की हैसियत ज़मीन के आधार पर ही आंकी जाती है । रिपोर्ट बताती है कि पुरुष प्रधान समाज में क़ानून को लागू करने वाला हर वर्ग इससे अनजान है । महिलाएं ख़ुद भी पुरुष प्रधान सोच से ग्रस्त हैं । वे ज़मीन अपने बेटों को तो देती हैं, लेकिन बेटियों को देने से हिचकती हैं । दरअस्ल, महिलाओं का मानना होता है कि बेटी पराए घर चली जाएगी, ऐसे में संपत्ति बंट जाने से सामाजिक संबंध भी छिन्न-भिन्न हो जाएंगे । यहां तक कि प्रशासनिक और न्यायपालिका में भी हर स्तर पर महिला को संपत्ति का अधिकार देने के क़ानून या नियम के मामले में उदासीनता बरती जाती है । इस रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंप दिया गया, ताकि वह महिला संपत्ति क़ानून को प्रभावी तरीक़े से लागू करने की कार्ययोजना बना सके । इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि संपत्ति में अपना हक़ लेने के लिए महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी । साथ ही महिला अधिकार के सवालों को संपत्ति अधिकार के मुद्दे से जोड़ना होगा । (साभार : आई॰एम॰ फॉर चेंज)

''लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए ।''

(क़ुरआन, 4:1)

A Well Wisher
MAPUSA (GOA)

खाना घटाएगा अब आपका वज़न

वज़न कम करने की रेस में अधिकांश लोग तरह-तरह का डाइट प्लान अपनाते हैं । कई लोग आज भी दिन में तीन बार खाना खाने और बीच में कोई भी स्नैक्स न खाने का फार्मूला अपनाते हैं । पर, आहार विशेषज्ञों की राय है कि दिन भर में तीन बार नहीं, बल्कि सात से आठ बार कम-कम मात्रा में खाना चाहिए । खाना खाने के इस नये फार्मूले को अपनाकर बॉलीवुड के कई कलाकार अपना वज़न नियंत्रण में रखने में सफल रहे हैं ।

दिन में तीन बार खाना खाना सेहत के लिहाज़ से नुक़सानदेह नहीं है, पर आधुनिक समय में सुबह का नाश्ता पोषण के लिहाज़ से सबसे कमज़ोर साबित होने लगा है ।

दोपहर के खाने में पोषण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कैंटीन में कितना सेहतमंद खाना उपलब्ध है । ऐसे में अमूमन लोग सिर्फ़ रात में पोषक तत्वों से भरपूर घर का खाना खा पा रहे हैं । पोषण से समझौता और व्यायाम की कमी के कारण वज़न बढ़ना आम बात हो गयी है । आहार विशेषज्ञों की मानें तो काफ़ी अंतराल पर खाना खाने से ख़ून में ग्लूकोज के स्तर में कमी होती है और थकावट महसूस होने लगती है । वहीं, ज़्यादा भूख लगने के कारण अगली बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं । लंबे समय तक यह दिनचर्या वज़न बढ़ा देती है ।

क्यों खाएं बार-बार खाना ?

आधुनिक आहार विशेषज्ञ कम-कम मात्रा में नियमित अंतराल पर खाना खाने की सलाह देते हैं । विशेषज्ञों के अनुसार दिन भर में पांच से छह बार खाना खाने से आप अपनी कैलोरी पर नज़र रखने में सफल हो पाएंगे । ऐसा करना थोड़ा मुश्किल भरा काम ज़रूर है, पर इससे वज़न को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है ।

हर दो-तीन घंटे पर खाने से आपको भूख भी कम लगेगी और जंक फूड व फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने में आप सफल हो पाएंगे । इसके अलावा नियमित अंतराल पर खाना खाने पर आप सिर्फ़ पेट भरने के लिए कैलोरी ग्रहण नहीं करेंगी, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएंगे । ऐसा करने से मेटाबॉलिज़्म तेज़ रहेगा और वज़न नियंत्रण में रहेगा ।

ऐसी हो आपकी डाइट

● स्नैक्स के रूप में दिन भर में कम से कम एक बार बिस्कुट ज़रूर खाएं । अब बाज़ार में आटा बिस्कुट से लेकर कई तरह के सेहतमंद बिस्कुट उपलब्ध हैं । आप मेवे वाले बिस्कुट भी खा सकते हैं । इससे पेट भी भरेगा और मेवों का पोषण भी मिलेगा ।

● अपनी डाइट में कम कैलोरी, पर पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें । ताज़े फल, सब्ज़ी और दही आदि खाएं ताकि शरीर को ज़रूरी मिनरल और विटामिन मिल सकें ।

● अपनी डाइट में ओट्स, ब्राउन राइस और दाल आदि को शामिल करें । इनसे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट आपको ज़रूरी ऊर्जा प्रदान करेगा और सेहत दुरुस्त रखेगा ।

● अमूमन लोग चावल, केला, आम और घी आदि को वज़न बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं । पर, संतुलित मात्रा में खाने से ये खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देते हैं, वसा नहीं ।

● संकलित

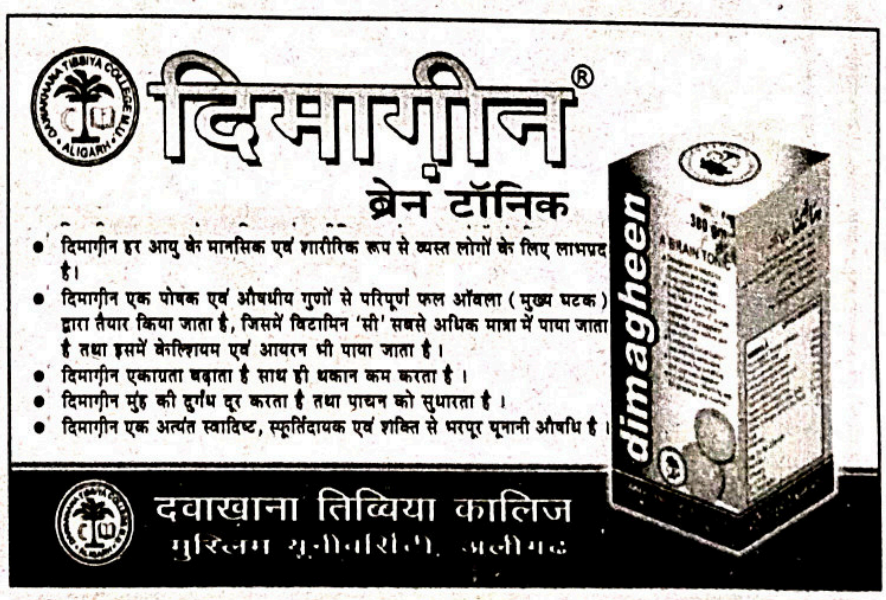

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

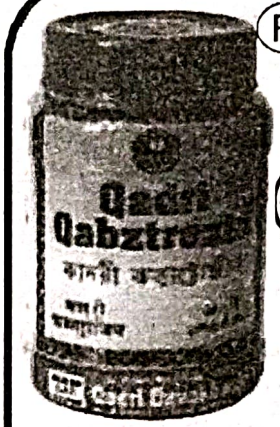

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

دافع

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشتک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

वेदना

मेरे परिवार में केवल चार व्यक्ति ही थे–मैं, मेरे पति, बेटा और छोटी-सी बेटी । बेटी सिर्फ़ बोल ही पाती थी । मैं और मेरे पति भट्ठे पर काम करते थे । दोनों बच्चे वहीं उसी भट्ठे पर जहां ईंटें पाथी जाती थीं, खेलते रहते थे । मेरे पति निकम्मे नहीं थे । ख़ूब मेहनत करते लेकिन क्या करें पिछले कई दिनों से ठेकेदार ने पैसे ही नहीं दिये थे, जिसकी वजह से घर में कई दिनों से रोटी भी नहीं बनायी गयी थी । पति रोज़ काम करते ईंटें पाथते लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था । तभी...तभी एक दिन, ईंट पकाने के लिए उसमें कोयला डाल रहे थे कि न जाने कैसे उनका पैर भट्ठे में चला गया और पैर ही क्यों देखते-देखते वे तो पूरे ही भट्ठे में समा गये थे । मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ...सब कुछ...!

उनकी मृत्यु पर वही ठेकेदार जिसने पिछले दिनों से पैसे नहीं दिये थे पैसे देने आ गया था । जान पहचान वाले लोग बहुत सारा खाना ले आये थे । भूख से बिलबिलाते बच्चों ने उस दिन ख़ूब खाना खाया था । मेरी बेटी ये सब देखती रही थी ।

पति की मृत्यु के पश्चात मैं अकेली पड़ गयी थी और साथ ही साथ मेरा बेटा भी बीमार रहने लगा था । मैं जो भी कमाती बेटे के इलाज में लगा देती थी । धीरे-धीरे घर की चीज़ें भी बिकने लगी थीं । बेटा ठीक ही नहीं हो रहा था । अब घर में कुछ भी नहीं बचा था । पिछले तीन दिनों से किसी ने कुछ नहीं खाया था ।

और तभी, मैं अपने बीमार बेटे को गोद में लिए बैठी थी कि मेरी छोटी-सी बेटी मेरे कंधों को झकझोड़ते हुए बोली थी । 'अम्मा...अम्मा एक बात बताओ ।'

'क्या बेटा ।' 'अम्मा...अम्मा भैया कब मरेगा ।' बेटी बोली थी । मैं उसके मुंह की ओर अपना मुंह फाड़े ताकती रही थी कि वह आगे बोली थी, 'अम्मा मैं इसलिए कह रही हूं अम्मा...अम्मा सुनो तो...जब भैया मरेगा तभी तो लोग हमारे घर आएंगे...और हमें ख़ूब सारा खाना देंगे । फिर हम खाना खाएंगे ।''

इतना कहकर बेटी चुप हो गयी थी और मैं...मैं असहाय-सी अपनी बेटी को देखे चली जा रही थी और मेरी आंखों से झरते आंसू मेरे बेटे के माथे को भिगो रहे थे ।

डॉ० पूरन सिंह
240, बाबा फ़रीदपुरी, वेस्ट पटेल नगर,
दिल्ली-110008

दारुल मुसन्निफ़ीन का हिन्दी प्रकाशन

1.	अरब और हिन्द के ताल्लुक़ात	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	200/-
2.	अल-फ़ारूक़	–अल्लामा शिब्ली नोमानी	450/-
3.	रहमत-ए-आलम	–सैयद सुलैमान नदवी	60/-
4.	उत्तम आदर्श	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	125/-
5.	मुहम्मद शिब्ली नोमानी	–डॉ० बाबर अशफ़ाक़ ख़ान	80/-
6.	हज़रत आयशा (रज़ि०) की जीवनी	–मौलाना सुलैमान नदवी	230/-
7.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-1	–सैयद सबाहुद्दीन	125/-
8.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-2	–सैयद सबाहुद्दीन	180/-
9.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-3	–सैयद सबाहुद्दीन	225/-

पता : दारुल मुसन्निफ़ीन शिब्ली एकेडमी, आज़मगढ़ (यू०पी०) 276008

Cont.: Fakharul Islam Sb., Mob. : 9935233940

प्रसाद के उपन्यास

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी युगप्रर्वतक साहित्यकार थे । उनका जन्म काशी के गोवर्धनसराय मुहल्ले के समृद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1895 ई० को और निधन 15 नवम्बर 1937 ई० को 48 वर्ष की उम्र में हुआ था । उन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध-सृजन के द्वारा हिन्दी साहित्य के भण्डार को भरा । उपन्यासकार के रूप में उन्होंने तीन उपन्यास लिखे-कंकाल (1929 ई०), तितली (1934 ई०) और इरावती (1940 ई०) । अन्तिम उपन्यास 'इरावती' को पूरा करने से पहले ही वे इस दुनिया से चल बसे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में, ''नाटक के क्षेत्र में अलबत्ता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ने कई सुन्दर ऐतिहासिक नाटक लिखे । इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनसे कई बार किया था, जिसके अनुसार शुंगकाल (पुष्यमित्र, अग्निमित्र के समय) का चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अधूरा छोड़कर ही चल बसे ।''[1]

डॉ० बच्चन सिंह ने 'कंकाल' को यथार्थवादी और 'तितली' को आदर्शवादी उपन्यास की संज्ञा दी है और कहा है कि 'कंकाल' में धर्म का 'कंकाल' है, तो 'तितली' में उसकी आन्तरिकता । इस आन्तरिकता को प्रसाद जी ने भारतीय परम्परा से जोड़ा है ।[2] 'कंकाल' में प्रसाद ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से तत्कालीन समाज के सड़ान्ध को रेखांकित किया है । 'इरावती' में वे पुनः अतीत की और लौट गए हैं । 'इरावती' का कथानक शुंगवंश और खारवेल के इतिहास से सम्बद्ध है। इरावती उज्जयिनी के प्रसिद्ध महाकाल मन्दिर की नर्तकी है।

समीक्षकों ने प्रसाद के उपन्यासों की समीक्षा अपने-अपने दृष्टिकोण से की है । कुछ ने उपन्यासकार के रूप में प्रसाद को सफल बताया है, तो कुछ असफल ।

अनेक समीक्षकों ने उनके उपन्यासों को 'नियतिवादी' कहा है । 'नियति' का भावार्थ विलायती युवती शैला 'तितली' उपन्यास में इस प्रकार बताती है, ''नियति दुस्तर समुद्र पार करती है, चिरकाल के अतीत को वर्तमान में क्षण भर जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिन्धु में से उसी एक से परिचय करा देती है, जिसमें जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है ।''

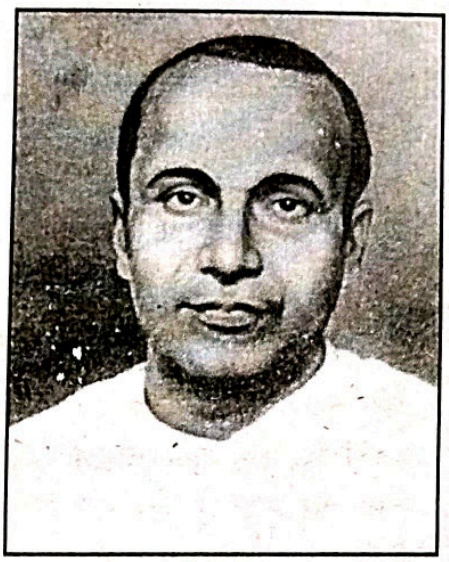

इन उपन्यासों में बदलते हुए समाज और उसके नए बनते हुए इन्सानी रिश्तों पर प्रसाद ने प्रकाश डाला है और समाज के स्वार्थी तत्वों के चलते ढहते, सड़ते और डूबते हुए उन संस्थानों के कुकृत्यों को निर्मम रूप से उद्घाटित किया है, जो नैतिक पतन की गहरी खाई में गिरकर अपना अर्थ खो चुके हैं और बचे-खुचे संस्थान भी पतनीशीलता की खाई में तीव्र गति से गिरते जा रहे हैं ।

कंकाल

डॉ० गोपाल राय 'प्रसाद' के बारे में लिखते हैं, ''प्रेमचन्द के समकालीनों में जयशंकर प्रसाद इसलिए उल्लेखनीय हैं कि वे न केवल कविता और नाटक के क्षेत्र में वरन् 'कंकाल' और 'तितली' की रचना द्वारा उपन्यासकार के रूप में भी चर्चा के विषय बने । इनमें से 'कंकाल' ही विशेष उल्लेखनीय है । 'कंकाल' की विशिष्टिता यह है कि इसमें 'प्रसाद' ने समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात-कुलशील सन्तानों की कथा कही है ।''[3]

डॉ० बच्चन सिंह लिखते हैं, ''वस्तुतः 'कंकाल' में धर्म द्वारा संस्थापित स्थार्थों का पर्दाफ़ाश तथा व्यक्ति की आन्तरिक आकांक्षा की प्रतिष्ठा की गई है । समाज के स्थापित स्वार्थ ने व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार से वंचित कर दिया है । प्रसाद को यह मान्य नहीं

यथार्थ के संदर्भ में



है । पाप का दायित्व समाज के कठघरे को है । व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित पापचक्र-परम्परा से छुटकारा नहीं पाता ।''[4]

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि 'कंकाल' प्रसाद का प्रथम उपन्यास है । इसकी रचना भारतीय नवजागरण की ज़मीन पर हुई है । इसमें प्रसाद ने पुरोहितवाद और उससे सम्बद्ध पाखण्ड से भरे सड़े-गले समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है । समाज में जो विसंगति, विद्रूपता, विलासिता, लोलुपता, अन्धविश्वास, भेदभाव, कपटाचार, बुराइयां और विकृतियां प्रचलित हैं, उनकी जगह प्रसाद उदार मानवीयता पर आधारित एक नया समाज बनाना चाहते हैं । प्रसाद 'कंकाल' द्वारा यही प्रतिपादित करना चाहते हैं । इसमें वर्णित समाज के सभी प्रतिनिधि पात्र आ गए हैं । सुधारवादी आर्यसमाजी स्वयंसेवक मंगलदेव, मठाधीश देवनिरंजन, मन्दिर के पुजारी कृष्णशरण, धनपिशाच व्यापारी श्रीचन्द्र, ईसाई विशप बाथम, डाकू बदन, अवैध सन्तान विजय इत्यादि अपनी समस्त दुर्बलताओं के साथ इस उपन्यास में उपस्थित हैं ।

स्त्री-पात्रों में पातिव्रत-च्युत किशोरी, परित्यक्ता यमुना, घर से निष्कासित और मथुरा में वैधव्य का दंश झेलती बाल-विधवा रामा, स्वैरिणी घंटी, धर्मच्युत लतिका और वनविहंगिनी माला स्त्रियों की विविध समस्याएं सामने ले आती हैं । इस उपन्यास में हर जगह समाज के धनपिशाच कामुक भेड़िए स्त्री की इज़्ज़त के साथ खिलाड़ करते नज़र आते हैं ।

डॉ॰ रामचन्द्र तिवारी स्त्री-पात्रों के संबंध में लिखते हैं, ''स्त्री-पात्रों का चित्रण संवेदना की रेखाओं से किया गया है । तारा (यमुना) का चरित्र तो नारी-जीवन की विवशता और उज्ज्वलता दोनों का प्रतीक है । भारतीय नारी विवश है, असहाय है । वह परित्यक्त होती है, किन्तु अपने सतीत्व की रक्षा करती है । उसका यह कथन उसकी निर्मलता का प्रमाण है कि 'मंगल! भगवान् जानते होंगे कि तुम्हारी शय्या पवित्र है । कभी मैंने स्वप्न में भी, तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया और न तो मैं कलुषित हुई । यह तुम्हारी प्रेम-भिखारिणी, पैसे की भीख नहीं मांग सकती और न पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है ।' इतनी उच्च भावनाओं को लेकर चलने वाली यह नारी आज समाज में कितनी असहाय है । उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं । वह विधाता की एक झुंझलाहट है । उसके भाग्य में लिखा है कि उड़कर भागते हुए पक्षी के पीछे चारा और पानी से भरा हुआ पिंजरा लिए घूमती रहे । आज का पुरुष इतना अपवित्र, हीन और स्वार्थी हो गया है कि वह नारी को बहन के रूप में देख ही नहीं सकता । तारा (यमुना) का यह प्रश्न कि 'विजय बाबू ! मैं दया की पात्री एक बहिन बनना चाहती हूं । है किसी के पास इतनी निःस्वार्थ स्नहे-सम्पत्ति, जो मुझे दे सके?' वस्तुतः आज भी एक चुनौती है । इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है ।''[5]

यहां यह उल्लेखनीय है कि तारा विजय की सौतेली बहन है । दोनों के बाप एक हैं, किन्तु मांएं अलग-अलग । फिर भी विजय उसे अपनी कामुकता का शिकार बनाना चाहता है ।

इस उपन्यास में मन्दिर के पुजारी कृष्णशरण के अतिरिक्त के सभी चारित्रिक दृष्टि से हीन हैं । ''साधु शिरोमणि देवनिरंजन किशोरी के साथ प्रणयलीला करते हैं । विशप साहब घंटी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाकर । आदर्शवादी छात्र मंगलदेव यमुना को गर्भवती बनाकर छोड़ देता है । धन को जीवन सर्वस्व मानने वाला धनपिशाच श्रीचन्द्र पंजाबी बाल-विधवा चन्दा से सम्बन्ध जोड़ता है और उसकी पुत्री लाली से अपनी नाजायज़ औलाद विजय की शादी करना चाहता है ।''[6]

यह उपन्यास 'जारज संतानों' (हरामी औलादों) का 'जमावड़ा' है, जो उपभोगतावादी चरित्रहीन कामुक समाज का प्रतिफल है । इसकी कथा के केन्द्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन इत्यादि तीर्थस्थल हैं । इसमें समाज की रूढ़िग्रस्त धार्मिकता तथा थोथी नैतिकता पर प्रसाद ने बड़ा गहरा और करारा व्यंग्य किया है । ''ऊपरी चमक-दमक वाली सामाजिक व्यवस्था के भीतर पाए जाने वाले भयंकर खोखलेपन को उन्होंने निर्मतापूर्वक उद्घाटित किया है । इसमें उन समस्त धार्मिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है जो ऊपर-ऊपर से साफ़-सुथरी तथा भीतर-भीतर से सड़ी हुई है, जो निहित स्वार्थियों के शोषण में योग देती है, जो व्यक्ति को उसके सहज धर्म से वंचित कर उसका शिकार करती है.....मठों, मन्दिरों, तीर्थस्थानों के महात्माओं और ईसाई धर्मगुरुओं के पोल खोलकर धार्मिक संस्थानों पर गहरा व्यंग्य करना 'कंकाल' का एक उद्देश्य है ।''[7]

इस समाज के हर आदमी की कथनी और करनी में मेल नहीं है । प्राय: हर आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ और करता कुछ है । वह वंचक है, कामुक है, निर्वीर्य है । उसपर विश्वास बिलकुल नहीं किया जा सकता ।

यौन-उच्छृंखलता, नारी की विवशता तथा पुरुष की स्वार्थान्धता की उपज विजय का व्यक्तित्व है । उसका समाज में कोई मूल्य नहीं, आदर नहीं । उसके लिए हर जगह अनादर ही अनादर है । इसलिए वह विद्रोही है । वह तत्कालीन समाज की दुर्दशाग्रस्तता और उसके कारण पर अपनी भीषण प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ''क्या हिन्दू होना परम सौभाग्य की बात है ? जब उस समाज का अधिकांश पददलित और दुर्दशाग्रस्त है, जब उसके अभिमान और गौरव की वस्तु धरापृष्ठ पर नहीं बची- उसकी संस्कृति विडम्बना, उसकी संस्था सारहीन और राष्ट्र बौद्ध के 'शून्य' के सदृश बन गया है । जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनीन भातृत्वभाव और साम्यवाद को लेकर खड़ी है, तब आपके इन खिलौनों से भला उसकी संतुष्टि होगी ?''

विजय ने एक अन्य स्थान पर कहा है, ''जो तुम्हारे दान के अधिकारी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें इसलिए तो समाज देता है कि वे उसका सदुपयोग करेंगे, परन्तु वे मन्दिरों में मठों में बैठ मौज उड़ाते हैं, उन्हें क्या चिन्ता कि समाज के भूखे-नंगे और अशिक्षित हैं ।''

समाज-कल्याण के लिए स्थापित 'धर्मसंघ' के सम्बन्ध में निरंजन कहता है, ''इसमें मैंने बड़ा ढोंग पाया ।''

ये पंक्तियां समाज की सारहीनता का ढिंढोरा पीटती है । विजय समाज से बहिष्कृत होकर निर्वासितों (डाकुओं) के समाज में जाता है । वहां भी उसे शान्ति नहीं मिलती । अन्तत: वह भिखारी समाज में त्राण पाता है और भूख की ज्वाला से जलकर प्राण त्याग देता है । यमुना की भांति विजय का जीवन भी हमारे सामने प्रश्नरूप में उपस्थित है ।

इस उपन्यास में 'प्रसाद' ने वर्णव्यवस्था को कष्टदायक और विषमता पैदा करने वाला कहा है । निरंजन अपने भाषण में जातिवाद के कारण उत्पन्न कष्टों और जकड़नों पर टिप्पणी करते हुए कहता है, ''भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बन्धन में जकड़ कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है । यद्यपि अन्य देशों में भी इस प्रकार के समूह बन गए हैं, परन्तु यहां इसका भीषण रूप है । यह महत्व का संस्कार अधिक दिनों तक प्रभुत्व भोगकर खोखला हो गया है । दूसरों की उन्नति से उसे डाह होने लगा है । समाज अपना महत्व धारण करने की क्षमता खो चुका है, परन्तु व्यक्तियों की उन्नति का दल बनाकर सामूहिक रूप से विरोध करने लगा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी झूठी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा-अपने से छोटा-समझता है जिसमें सामाजिक विषमता का प्रभाव फैल रहा है ।''

प्रसाद ने इस्लाम को एक निराशावादी, परन्तु उन्नतिशील धर्म कहा है । ब्रह्मचारी से उन्होंने कहलवाया है, ''महाशय जी, आपने एक बड़े धर्म की बात कही है । मैं उसका कुछ निराकरण कर देना चाहता हूं । मुसलमान-धर्म निराशावादी

होते हुए भी क्यों इतना उन्नतिशील है । इसका कारण तो आपने स्वयं कहा कि ईश्वर में विश्वास, परन्तु इसके साथ उनकी सफलता का एक और भी रहस्य है । वह है उनकी नित्य-क्रिया की नियमबद्धता, क्योंकि नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है ।''

आज 'लव जिहाद' और 'घर वापसी' की बड़ी चर्चा है। प्रसाद ने इनकी ओर भी 'कंकाल' में संकेत किया है । अंग्रेज़ युवती शैला का विवाह इन्द्रदेव से करवाना इसका प्रमाण है । घंटी आदि को सम्मोहक अंगेज़ी जाल से मुक्त कराना 'घर वापसी' ही है ।

दिल्ली पर जब अंग्रेज़ों की सत्ता क़ायम हो गयी तो बहुत-से मुग़ल अपनी अस्मिता और जन-धन की सुरक्षा के लिए इधर-उधर बिखर गए । ऐसे ही एक विस्थापित और लुटे-पिटे मुग़ल परिवार के घर एक धनपिशाच गुर्जर डाकू ने अपने दल-बल के साथ डाका डाला । धन के नाम पर कुछ ख़ास हाथ नहीं लगा, तो डाकू-दल उस परिवार की शबनम नामक चौदह वर्षीया बालिका को उठा ले गया । बालिका डाकू के बीहड़ जंगल स्थित आवास पर रोती-बिड़गिड़ाती और अपने पिता के पास पहुंचा देने की आरज़ू-मिन्नत करती रही, लेकिन उसकी विनती नक्कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुई । जंगल में डाकू-पुत्र 'बदन' के साथ, जो बाद में ख़ुद भी कुख्यात डाकू बना, रहते-रहते उसे उससे 'लव' हो गया और वह उसी की होकर रह गयी । कालान्तर में राजनीतिज्ञों और फ़िल्मी दुनिया वालों ने इस क्षेत्र में बड़े गुल खिलाए । उन लोगों ने अनगिनत 'लव जिहाद' किए । आज भी समाज में अनेक उदाहरण मौजूद हैं ।

इस प्रकार प्रसाद ने 'कंकाल' में अनेक ज्वलंत समस्याओं को समाज के समक्ष उद्घाटित किया है ।

उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द ने 'कंकाल' की समीक्षा इन शब्दों में की थी, ''यह प्रसाद जी का पहला उपन्यास है, पर आज हिन्दी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सकें । मुझे आज तक आपसे यह शिकायत थी कि आप क्यों प्राचीन वैभव का राग अलापते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लिखते, जिनमें वर्तमान की समस्यओं और गुत्थियों को सुलझाया गया हो, शायद यह मेरी प्रेरणा का फल है कि 'प्रसाद' जी ने इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है और ख़ूब की है।''[8]

तितली

'तितली' प्रसाद का दूसरा उपन्यास है । इसमें ग्रामीण जीवन का जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया गया है और गांवों की समस्याओं के समाधान का समुचित प्रयास । वहां की संस्कृति और रहन-सहन के चिह्नों को उभारा गया है । वहां के जीवन की सरलता, ज़मींदारों के अत्याचार, तहसीलदारों और महन्तों के हथकण्डे, टूटते-बिखरते संयुक्त परिवार, सामन्ती व्यवस्था के निरन्तर गिरते हुए ग्राफ़ के साथ ग्राम-सुधार, ग्रामोत्सवों और त्योहारों के विशद चित्र प्रसाद ने प्रस्तुत उपन्यास में रेखांकित किए हैं । साथ ही उन्होंने इसमें कलकत्ता (अब कोलकाता) महानगरी के जुआड़ियों और जेबकतरों के कारनामों, ज़मींदारों की विलासिता आदि का भी जीवन्त चित्रण किया है ।

प्रस्तुत उपन्यास की कथा की मुख्य दो धाराएं हैं– शेरकोट और बजरिया के रामनाथ, मधुबन, तितली और राजकुमारी पहली धारा के प्रतिनिधि पात्र हैं तथा दूसरी धारा के प्रमुख पात्र इन्द्रदेव, शैला, श्याम दुलारी और माधुरी हैं । दूंसरी धारा का सम्बन्ध धामपुर से है । धामपुर तालुक़ा है । इस तालुक़े के जमींदार इन्द्रदेव हैं । श्याम दुलारी, इन्द्रदेव की माता हैं । माधुरी उनकी बहन है । इन्द्रदेव विलायत हो आए हैं और वहां से एक अंग्रेज़ बाला शैला को साथ ले आए हैं । तितली रामनाथ की पोष्य पुत्री है । मधुबन शेरकोट का स्वामी है । राजकुमारी उसकी विधवा बहन है । वह मधुबन को बचपन से संभालती रही है । मधुबन और तितली में सहज स्नेह है ।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्द्रदेव और शैला का अन्तर्राष्ट्रीय विवाह करवाकर प्रसादजी ने आज की शब्दावली में 'लव जिहाद' कराया है । तितली-मधुबन और इन्द्रदेव-शैला दो प्रेमी-युगलों की कथा-पीठिका पर इस उपन्यास की पूरी कथा-संरचना खड़ी है । घटनाओं की सृष्टि में कल्पना और संयोग का सहारा लेते हुए प्रसादजी ने रोमानी प्रवृत्ति से चरित्र-संगठन किया है, ''कथा और चरित्र-चित्रण दोनों में

रोमांस की अन्तर्धारा प्रवाहित है । वातावरण सृष्टि, काव्यमय भाषा-शैली, स्वच्छन्द पर त्याग से सम्बन्धित एकनिष्ठ प्रेम, नारी की गरिमा – ये सभी विशेषताएं 'तितली' को रोमानी बना देती हैं, फिर भी वह पूर्णत: एक रोमानी रचना नहीं है, क्योंकि उसमें समाज की कुरूपता का यथार्थ चित्रण भी है और आदर्शवादिता का पुट भी । कुल मिलाकर प्रसाद के इन दोनों उपन्यासों में समाज की यथार्थ समस्याओं के साथ स्वच्छन्दतावादी कल्पनापूर्ण घटनाओं का समन्वय है और उसी सीमा तक ये रोमानी उपन्यास हैं ।"[9]

शैला को भारतीय ग्रामीण वातावरण से बहुत लगाव है । शेरकोट के समीप ही उसका जन्म हुआ था । वस्तुत: उसकी माता जेन अपने भाई वार्टली के साथ नीलकोठी में रहती थी । वार्टली नील का व्यापार करता था । इसी नील की कोठी में शैला का जन्म हुआ था । वार्टली की मुत्यु के बाद शैला को लेकर जेन विलायल लौट गयी थी ।

इन्द्रदेव तितली की ओर आकर्षित हैं । शैला को तितली, मधुबन और सम्पूर्ण ग्राम्य-वातावरण के प्रति मोह है । इस मोह ने दोनों कथा-धाराओं को जोड़ दिया है । धामपुर का तहसीलदार अपने अत्याचारों से मधुबन को तबाह कर देना चाहता है । अत: दोनों कथा-धाराओं को जोड़ने में वह भी सहायक हुआ है ।

एक ओर तितली बड़े-बड़े तालुक़ेदारों के घरों का आन्तरिक दर्शन कराती है, जहां ग्रामीण खोखले संस्कार पलते हैं, जहां आर्थिक लाभ के लिए अन्तर्विद्रोह की ज्वाला धधकती है और जहां विलासिता भीतर ही भीतर रंग लाया करती है । दूसरी ओर वह प्रकृति की स्वच्छन्द गोद में सांस लेती हुई विवश मानवता का चित्र भी उपस्थित करती है । हमारे गांव इसी मानवता के प्रतीक हैं । इनसे ऊपर उठकर पाश्चात्य और भारतीय सांस्कृतिक जीवन का वैषम्य भी 'तितली' में व्यक्त किया गया है । विधवा जीवन, अवैध प्रेम, धर्मान्धता, सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता इत्यादि अनेक प्रासंगिक समस्याओं का चित्रण भी इसमें हुआ है ।

इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रसाद पुन: सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर सामने आते हैं । रामनाथ और वाटसन के आदर्श चरित्रों में समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं । दोनों के प्रयत्न से नीलकोठी में अस्पताल खुलता है । वहीं बैंक का प्रबन्ध होता है । वहीं गांव की पाठशाला भी आ जाती है । मधुबन और तितली प्रणय-सूत्र में भी बंध जाते हैं, किन्तु क्या समस्याएं सुलझती हैं ? असत् वृत्तियां अपना ताना-बाना बुनती हैं । मधुबन उसमें फंस जाता है । जेल होती है और अन्त में तितली ने देखा, "सामने एक चिर परिचित मूर्ति ! जीवन युद्ध का थका हुआ सैनिक मधुबन विश्राम शिविर में द्वार पर पड़ा है ।" यदि हमारी सम्पूर्ण आदर्शवादिता हमें जीवन-युद्ध में थका देती है, तो विषमताओं का शमन कैसे होगा ?

रामदरश मिश्र ने 'तितली' उपन्यास के बारे लिखा है, "प्रस्तुत उपन्यास प्रसाद की भारतीय दृष्टि कृषि-सम्यता की गहरी पहचान का उपन्यास है । भारतीय दृष्टि भारतीय दाम्पत्य जीवन की कुछ बुनियादी शक्तियों को उभारती हैं और ऐसा करने के लिए उसके समानान्तर पाश्चात्य के दाम्पत्य जीवन का परिप्रेक्ष्य उपस्थित करती है । उपन्यास की यात्रा कृषि-कार्य के बीच से होती है, इसलिए लेखक कृषि-संबंधी अनेक समस्याओं और घटनाओं की टकराहटों का ताप उभारता है ।"[10]

प्रेमचन्द 'तितली' उपन्यास की समीक्षा इन शब्दों में करते हैं, "चरित्र सजीव न होकर छाया से मालूम होते हैं । सूर्य का तीव्र प्रकाश कहीं नहीं है, मद्धिम चांदनी में सारे दृश्य दिखाई देते हुए जान पड़ते हैं । अन्त खुद एक पहेली है । हम चरित्रों की झलक-सी देखते हैं । उनका सम्पूर्ण रूप हमारे सामने नहीं आता, मगर यह शायद उनका अधखुलापन ही है, जो उन्हें हृदय के समीप पहुंचा देता है । कला जितनी छिपाव में है, उतनी दिखाव में नहीं ।"[11]

डॉ॰ रामचन्द्र तिवारी ने 'तितली' को सफल कृति घोषित करते हुए लिखते हैं, "वस्तु-संगठन, वर्णन-कला, चरित्र-चित्रण इत्यादि की दृष्टि से 'तितली' अपने में पूर्ण एवं सफल कृति है ।"[12]

इरावती

इसका कथानक शुंगवंश और खारवेल के इतिहास से संबंधित है । इतरावती उज्जयिनी के मशहूर महाकाल मन्दिर की नर्तकी है । आनन्दभिक्षु उसका प्रेमी है । अग्निमित्र मगध के महादण्डनायक पुष्यमित्र का पुत्र है । वह उज्जयिनी आया हुआ है । मगध का कुमारामात्य बृहस्पति मित्र भी वहां

उपस्थित है । मन्दिर में देवदासी इरावती का नृत्य प्रारम्भ होता है । बृहस्पति मित्र इरावती पर मुग्ध होता है । वह नृत्य-विराम की आज्ञा देता है । मन्दिर का ब्रह्मचारी आनन्दभिक्षु आज्ञा का विरोध करता है । इसी समय बृहस्पति मित्र को सम्राट् शतधनुष की मृत्यु की सूचना मिलती है । नर्तकी इरावती को बन्दी बना लिया जाता है । बृहस्पति मित्र सम्राट् बनकर पाटलिपुत्र लौट जाता है । इरावती शील की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुक्कुटाराम बिहार में भेज दी जाती है । बिहार में एक दिन शारदी चन्द्रिका में उसका कला-विलास भड़क उठता है । वह समर्पण-भाव से नृत्य करती है । फलतः भिक्षुणी संघ उसपर कुपित होता है । वह क्षिप्रा तट पर आ खड़ी होती है और अग्निमित्र उसे एक नाव पर बिठाकर भगाना चाहता है, लेकिन सम्राट् के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और कुसुमपुर ले जाते हैं ।

दूसरी ओर एक चक्र चल रहा है । महाराज शतधनुष ने मौर्य राजकन्या कालिन्दी को पकड़ मंगाया था । वह महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गयी थी । उसने सिंहपदों की एक संस्था के साथ संधि कर ली है । सब मिलकर साम्राज्य को उलटना चाहते हैं । कालिन्दी इरावती को मुक्त कर लेती है । अग्निमित्र भी उसके प्रभाव में आ जाता है । वह अग्निमित्र से प्रणय-प्रस्ताव करती है । अग्निमित्र अस्वीकार कर देता है । इरावती को ढूढ़ते हुए कुछ सैनिक भिक्षुणी बिहार में आ जाते हैं । अग्निमित्र विरोध करता है । घायल होता है । कालिन्दी सेवा करती है । इरावती सम्राट् के सम्मुख लायी जाती है । वह प्रणय-प्रस्ताव करता है । वह मूर्च्छित हो जाती है । कालिन्दी सहसा पहुंचकर उसकी रक्षा करती है ।

उपन्यास में एक कथानक और है । धनदत्त नामक व्यापारी है, जो धन-कुबेर और धनपिशाच है । जब वह विदेश यात्रा से लौटता है, तो उसे अपनी धर्मपत्नी मणिमाला पर सन्देह होता है । दोनों में मनमुटाव चलता है । अन्त में समझौता हो जाता है । धनदत्त के यहां रत्नों का सुन्दर भण्डार है । समस्त साम्राज्य विरोधी शक्तियां धनदत्त के यहां जमा होती हैं । कालिन्दी और इरावती भी वहां आती हैं । अग्निमित्र आता है । कलिंग का राजपुत्र खारवेल, जो मगध पर आक्रमण करनेवाला है, वह भी वहां रत्न ख़रीदने आता है और कालिन्दी के चक्र में फंस जाता है । सब मिलकर भीषण कुचक्र रचते हैं । पूरे मगध में आतंक का माहौल छा जाता है । आतंक के इसी माहौल में 'इरावती' की कथा अधूरी छूट गई है । बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र तथा खारवेल 'इरावती' के ऐतिहासिक पात्र हैं और कालिन्दी, इरावती, धनदत्त, मणिमाला, आनन्द कल्पित पात्र । प्रसाद जी ऐतिहासिक तथ्यों की कल्पना की तूलिका और भावना के रंगों से चित्रित करने में पूरी तरह पटु हैं । प्रस्तुत उपन्यास इस दृष्टि से सफल हैं कि पाठक इतिहास के पन्नों में अपने को खो देता है ।

डॉ॰ विजयेन्द्र स्नातक 'इरावती' पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, "प्रसाद जी का तीसरा उपन्यास 'इरावती' है जो कवि की कल्पनाओं पर आधारित तथा ईसा पूर्व मगध पर आक्रमण की सम्भावनाओं का चित्र प्रस्तुत करता है । दर्शन के धरातल पर लेखक ने बौद्ध दर्शन के दुखवाद और अनात्मवाद पर शैवदर्शन के प्रवृत्तिमूलक आनन्दवाद की विजय दिखाई है । 'इरावती' में जो इतिहास तत्व है उसकी प्रामाणिकता पर समीक्षकों ने प्रश्न-चिह्न लगाया है, किन्तु कथानक में शिथिलता नहीं है ।"[13]

प्रसाद हिन्दी उपन्यास को कोई नया आयाम नहीं दे सके, ऐसा मानना है डॉ॰ गोपाल राय का । वे कहते हैं, "उनकी भाषा, बिलकुल ही उपन्यासोचित नहीं है । भाषा को अलंकृत करने, उसे लक्षणा शक्ति और अलंकारों से सजाने - का मोह उनमें इतना अधिक है कि वह विषय से सर्वथा अलग पड़ जाती है । इस प्रकार प्रसाद प्रतिभा-सम्पन्न लेखक होते हुए भी हिन्दी उपन्यास को कोई नया आयाम नहीं दे सके ।"[14]

डॉ॰ कुसुम राय 'प्रसाद' के तीनों उपन्यासों का आकलन इन शब्दों में करती हैं, "वैसे प्रसाद के तीनों उपन्यासों का आकलन करने पर हम पाते हैं कि उपन्यासकार के रूप में प्रसाद उतना सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उपन्यास में वास्तविकता के निर्वाह पर विशेष ज़ोर होता है, किन्तु प्रसाद ने अपने उपन्यासों के कथा-संगठन में घटनात्मक संयोगों और चमत्कारों की योजना कर कृत्रिमता और अविश्वसनीयता की स्थिति पैदा कर दी है । इसके अलावा उनकी काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा भी उपन्यास के अनुकूल

नहीं बन पड़ी है । प्रसाद जैसा साहित्यकार उपन्यास के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण आयाम नहीं दे पाया, किन्तु प्रसाद की वर्णन-कला अद्‌भुत है । समाज-दर्शन भी प्रसाद का अनुपम है । इस दृष्टि से प्रसाद के उपन्यास अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं ।''[15]

उपन्यासकार के रूप में प्रसाद और प्रेमचन्द की तुलना को 'अन्याय' की संज्ञा देने वाले डॉ॰ रामप्रसाद मिश्र ने अपने ही अन्दाज़ में उनके उपन्यासों की आलोचना करते हुए लिखते हैं, ''मेरी दृष्टि में प्रसाद के दोनों उपन्यासों ('तितली' और 'कंकाल') में न तो कथ्य की नवीनता है, न भाषागत सौन्दर्य की वह पराकाष्ठा और न ही शिल्प की वह प्रौढ़ता जो कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की अन्य कृतियों में उपलब्ध हैं । आकार की दृष्टि से भी ये सामान्य हैं । प्रेमचन्द से एक उपन्यासकार के रूप में इनकी तुलना 'अन्याय के सिवा कुछ नहीं' है ।''[15]

तब तो यहां यह भी कहा जा सकता है कि ''एक नाटककार के रूप में 'प्रसाद' और 'प्रेमचन्द' की तुलना एक 'अन्याय के सिवा कुछ नहीं' है ।'' प्रेमचन्द ने 'संग्राम' (1922), 'कर्बला' (1924), 'प्रेम की वेदी' (1933) आदि नाटक लिखा है ।

वस्तुत: प्रसाद द्वारा धार्मिक समाज के कुकृत्यों का निर्मम उद्‌घाटन, उक्त समाज पर प्रहार और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कई आलोचकों को नहीं पची । अत: उन्होंने एक उपन्यासकार के रूप में 'प्रेमचन्द' और 'प्रसाद' की तुलना को 'अन्याय' तक कह डाला; तो क्या उन्हीं आलोचकों की शैली में कहा जा सकता है कि एक नाटककार के रूप में दोनों महान साहित्यकारों की तुलना करना 'अन्याय' है । 'किसी रचनाकार को क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं' क्या यह कोई आलोचक तय करेगा ? ज़ाहिर है, रचना के बाद आलोचना है ।

जयशंकर प्रसाद अपनी प्राय: समस्त रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की शंखनाद करते नज़र आते हैं । उनके नाटकों में अनेक स्थलों पर आधुनिक उग्र हिन्दुत्व के बीज खोजे जा सकते हैं । लेकिन अपने उपन्यासों में उन्होंने तत्कालीन सड़े-गले समाज के यथार्थवादी चित्रण द्वारा समाज के ठेकेदारों को जो आईना दिखाया है, वह कुछ समीक्षकों को 'अन्याय' लगता है ।

निष्कर्ष यह कि प्रसादजी के उपन्यास उनकी सांस्कृतिक दृष्टि, यथार्थवादी सामाजिक चित्रण और अनुभूतिपरक रचना-बोध के कारण हिन्दी कथा-साहित्य में चिरस्मरणीय बने रहेंगे । इस युगद्रष्टा उपन्यासकार ने आज से लगभग अस्सी साल पहले जिस दुराचार और सामाजिक खोखलेपन का उद्‌घाटन किया था, उसका नग्न रूप आज एक-एक कर सामने आ रहा है । बालाओं के साथ बाबाओं की रास-लीला सार्वजनिक हो रही है, जिसके कारण अनेक कामुक और धनपिशाच बाबा जेल-यात्रा पर हैं ।

संदर्भ

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणी सभा वाराणसी, 38वां संस्करण, संवत् 2057 वि॰, पृ॰ 294
2. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2013, पृ॰ 204
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं॰ डॉ॰ नगेन्द्र, मयूर पेपरबैक्स, प्रथम संकरण : 1973 ई॰, पृ॰ 578
4. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2013, पृ॰ 204
5. हिन्दी का गद्य-साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, नवां संस्करण 2014 ई॰, पृ॰ 566-67
6. हिन्दी का गद्य-साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, नवां संस्करण 2014 ई॰, पृ॰ 566-67
7. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2013, पृ॰ 203
8. विविध प्रसंग-3, पृ॰ 335
9. हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, पृ॰ 88
10. हिन्दी के चर्चित उपन्यासकार, भवतीचरण उपाध्याय, पृ॰ 52
11. हिन्दी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, खण्ड-3, डॉ॰ कुसुम राय, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, द्वितीय संस्करण 2016, पृ॰ 335
12. हिन्दी का गद्य-साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, नवां संस्करण 2014 ई॰, पृ॰ 568
13. हिन्दी साहित्य का इतिहास, साहित्य अकादमी, प्रथम संकरण : 2009 ई॰, पृ॰ 291
14. हिन्दी साहित्य का इहास, सं॰ डॉ॰ नगेन्द्र, मयूर पेपरबैक्स, प्रथम संकरण : 1973 ई॰, पृ॰ 578
15. हिन्दी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, खण्ड-3, द्वितीय संशोधित संस्करण : 2016 ई॰, पृ॰ 335
16. हिन्दी के चर्चित उपन्यासकार, भवतीचरण उपाध्याय, पृ॰ 53

कवि हो तो कुंवर नारायण जैसा !

■ वेद व्यास

क्योंकि ये समय मंज़र नहीं है इसलिए याद रखिए कि हमारी सभी संभावनाएं, साहित्य और समाज में अभी शेष है । हम इस बात को लेकर पूरी तरह सचेत रहे कि जो हमें डरा रहा है, शायद वो खुद अपने आपसे बहुत डरा हुआ है । इस दुनिया के हर समय में और इतिहास की परंपरा और परिवर्तन के हर दौर में भय ही युद्ध का निर्माण करता है । इसलिए याद रखिए कि सच्चाइयों के बाहरी रूप ही बदलते हैं, जबकि साहित्य और समाज की प्रमुख चिंता ये है कि हम उन सभी सच्चाइयों पर अपनी पकड़ बनाए रखें जिन पर एक उदार और मानवीय संस्कृति की नींव पड़नी चाहिए । ये समझ हमारे समय के उस बड़े कवि और चिंतक फ़ैज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) के कुंवर नारायण की है जो 19 सितंबर 1927 को हमारे बीच आया था और 90 साल की साहित्य यात्रा करके 15 नवंबर 2017 को हमारा साथ छोड़कर चला गया ।

कवि कुंवर नारायण ऐसे रचनाधर्मी हैं जो अपने चारों तरफ़ मौत का तांडव देखते-देखते ज़िंदगी के रंग तलाशते रहे । हिंदी कविता में पुराने मुहावरों से अलग अपनी कविताओं में जिसने नये मुहावरे गढ़े और इतिहास तथा मिथक के अंतर को समझकर, जीजीविषा को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानकर साहित्य में उसकी खोज करते रहे । कवि कुंवर नारायण, सत्यजीत, आचार्य कृपलानी और आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित रहे तथा उपनिषद, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा ग़ालिब और निर्गुण कबीर दास उन्हें कंठस्थ थे ।

1996 में उन्हें साहित्य अकादमी और 2006 में ज्ञानपीठ सम्मान मिला तो 2009 में पद्म भूषण से नवाज़ा गया । वे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे और संगीत की निकटता से उन्होंने साहित्य सृजन में कलात्मक प्रभाव डाला । कुंवर नारायण ने सेठों और उद्योगपतियों के नाम (दमयंती मोदी) से पुरस्कार लेने से मना कर दिया ।

कवि कुंवर नारायण धमकियों से कभी नहीं डरे और

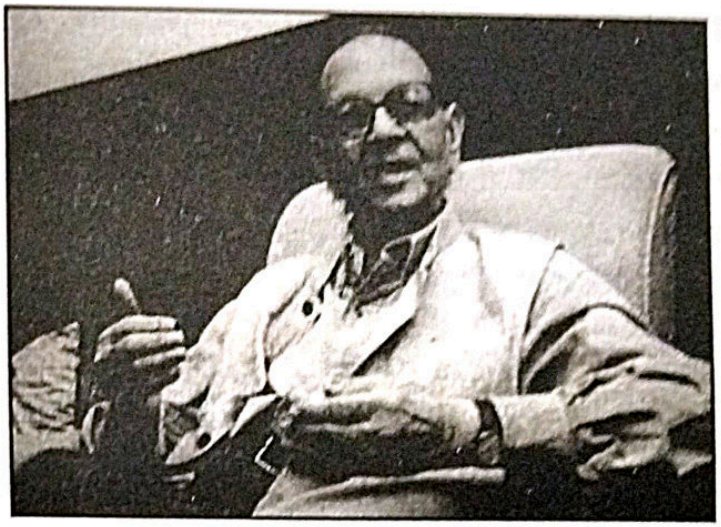

वही लिखा जो उनके मन ने चाहा । 6 दिसम्बर, 1992 को जब भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिराया जब उन्होंने क़ैफ़ी आज़मी की राम का वनवास कविता की तरह अयोध्या 1992 शीर्षक कविता लिखी और कहा कि हे राम! जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य । तुम्हारे बस की नहीं ।

उस अविवेक पर विजय जिसके दस-बीस नहीं । अब लाखों सर, लाखों हाथ हैं और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ हैं । इससे बड़ा और क्या हो सकता है । हमारा दुर्भाग्य ? एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य । हे राम तुम ऐसी अयोध्या में आकर क्या करोगे ?

कवि कुंवर नारायण (1987) शुरू से ही कविताओं के अलावा चिंतनपरक निबंध, आलोचना और कहानियां लिखते रहे और सिनेमा तथा अन्य कलाओं में भी रुचि लेते रहे । उन्हें 1971 में हिंदुस्तानी एकेडमी, 1973 में प्रेमचंद, 1983 में तुलसी और केरल का कुमारन आशान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले । उनके कविता संग्रह चक्रव्यूह (1956), परिवेश हम तुम (1961), आत्मजयी (प्रबंध काव्य-1965), अपने सामने (1979) और कोई दूसरा नहीं (1993) में और कहानी संग्रह आकारों के आसपास (1971) में तथा आलोचनात्मक निबंध आज और आज से पहले (1998) में आये ।

अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं उनके विराट कवि का परिचय देती है । दुनिया की अनेक भाषाओं में अनूदित कवि कुंवर नारायण के शब्दों में जीवन का नया अर्थ मिलता है । देखें ये कविता का अंश कुछ इस तरह भी पढ़ा जा सकता है । एक जीवन दृष्टि की उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों । बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं । वाणी में कवित्व हो । कर्कश तर्क-वितर्क का घमासान नहीं ।

कवि कुंवर नारायण लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हिंदी साहित्यकारों में सबसे सजग थे और लंबे समय तक झकझोरने वाली अंतरधारा के रचनाकार थे । कांधे धरी पालकी किस कन्हैया लाल की ? प्रश्न का उत्तर उनकी कविता ने यही दिया कि कांधे धरी पालकी लाल अशरफ़ीलाल की । दिशाओं का खुला आकाश (डायरी में कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि समय के सन्नाटे में ही साहित्य की बड़ी उपस्थिति रहती है । ये चुप्पी ही अंतहीन अनंत को जन्म देती है और ये सन्नाटा ही बग़ावत की रस्सियां बुनने लगता है । कठोपनिषद पर आधारित उनकी कृति आत्मजयी को पढ़कर ही हम अपने इस कठिन समय का आतर्नाद सुन सकते हैं । इसीलिए शायद ये समय-बंजर नहीं है और नयी पीढ़ी उर्णरा है । कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि गांधी जी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई के घोर यथार्थ के साथ अहिंसा, सत्याग्रह, ईश्वर और चरित्र जैसे आदर्शों को जोड़ा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिल गयी ।

आज भी हम आज़ादी की वर्तमान लड़ाई को बिना नैतिक औचित्य और आत्मबल के नहीं लड़ सकते । क्योंकि हम नयी शताब्दी की चौखट पर खड़े हैं । भारतीय राजनीति का यथार्थ आज बिल्कुल भ्रष्ट और चरित्रहीन दिखाई दे रहा है । मैं समझता हूं कि साहित्य और राजनीति के बीच कभी भी गठबंधन का रिश्ता वांछनीय नहीं है । राजनीति की पहली ज़रूरत सत्ता और शक्ति है, इसके बिना वह कुछ नहीं कर सकती ।

अत: साहित्य कभी राजनीति का गुलाम नहीं होता और वो मनुष्य के जीवन मूल्यों का खोज करता रहता है । राजनीति हमें डराती है और लड़ाती है लेकिन साहित्य सदैव अपने चारों तरफ़ सहिष्णुता को देखता है । वो कहता है कि अपने समय और समाज पर चौकस नज़र रखिए और धर्म, पूंजी और तकनीक से डरिए मत और हर सवाल का जवाब दीजिए । (विविधा फ़ीचर्स)

''यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदल लो, और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खा जाओ, यह बहुत बड़ा गुनाह है ।''

(क़ुरआन, 4:2)

★★★★★★★

A WELL WISHER

BHATKAL (KARNATAKA)

पर्यावरण प्रदूषण मानव-जीवन के लिए ख़तरा

■ मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी

इस सुन्दर संसार का मूल निवासी इन्सान है । अल्लाह तआला ने पृथ्वी की प्रबंध-व्यवस्था को अत्यंत संतुलन के साथ इसलिए स्थापित किया है, ताकि मानव-जीवन को किसी तरह के ख़तरे का सामना न करना पड़े । विश्व की हर चीज़ में पूरा संतुलन है । सूर्य से धरती की दूरी अगर कमीबेशी का शिकार, होती तो ज़मीन पर जीवन की कल्पना संभव न होती । पृथ्वी चौबीस घंटे में अपनी धुरी के चारों और एक चक्कर पूरा करती है । अगर यह समय चौबीस घंटों के बजाय तीस हो जाए, तो इतनी तेज़ हवाएं चलें कि लोगों को ईश्वरीय प्रकोप का भय होने लगे और इसी तरह यह समय घटकर बीस घंटे हो जाए, तो ज़मीन से उगनेवाली वनस्पतियों के लिए ख़तरा पैदा हो जाए ।

जिस तरह विश्व की सारी व्यवस्था में वास्तविक संतुलन है, उसी तरह पर्यावरण में भी भरपूर संतुलन का पूरा ख़याल रखा गया है । वातावरण और हवा-पानी और वातावरण को प्रदूषित करके मानव बड़े संकट को निमंत्रण देता है ।

वर्तमान में पर्यावरणीय प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुका है । प्रदूषण के मामले को लेकर सारी दुनिया परेशान है । यही कारण है कि यह संयुक्तराष्ट्र के स्थायी एजेंडे में शामिल है । पर्यावरणीय प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान उन वैश्विक सम्मेलनों से किया जा सकता है, जो पिछले कई दशकों से संयुक्तराष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं के निरीक्षण में होते रहे हैं । 1992 ईसवी में ब्राजील में "पर्यावरण के हवाले से भूमंडल का संरक्षण" के शीर्षक से संयुक्तराष्ट्र ने दुनिया का प्रथम राष्ट्राध्यक्ष सम्मलेन आयोजित किया था, जिसमें 120 से अधिक देशों के प्रमुखों और लगभग दस हज़ार पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों ने भाग लिया था ।



फिर संयुक्तराष्ट्र के पर्यावरणीय संस्था ने 1997 ईसवी में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष क्योटो प्रोटोकोल दस्तावेज़ पेश की थी । मई 2007 ईसवी के देशों के प्रतिनिधि पांच दिनों तक ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर वार्तालापों में भाग लेते रहे । अप्रैल 2007 ईसवी में पर्यावरण का वार्षिक वैश्विक सम्मलेन का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से अधिक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हुए । इस तरह 2010 ईसवी में डेनमार्क की राजधानी कोपेन हेगन में 7 से 18 दिसम्बर तक वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण और मौसम संबंधी परिवर्तन पर ख़ूब विचार प्रकट किया गया ।

मानव-जीवन का नष्ट होना, चाहे उसकी जो भी शक्ल हो, निंदनीय और अत्यंत चिंताजनक है । दुनिया के सारे देश आतंकवाद और उसके नतीजे में होनेवाली मौतों पर वावेला करते थकते नहीं, दुनिया के किसी भी देश के प्रमुख की जब दूसरे देश के प्रमुख से मुलाक़ात होती है, तो सबसे बड़ा बहस का मुद्दा आतंकवाद होता है । मीडिया और समाचार पत्रों के पन्ने आतंकवादी ख़बरों से भरे रहते हैं । इसमें संदेह नहीं कि आतंकवाद की लानत मानव-समाज के लिए किसी

नासूर से कम नहीं है, लेकिन क्या इन्सानी जानों के नष्ट होने की वह सूरत भी निंदनीय है, जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण ने जन्म दिया है? जिस तरह आतंकवाद के नतीजे में होनेवाली मौतों पर चिंता प्रकट की जाती है, उसी तरह इन मौतों पर अफ़सोस का इज़हार क्यों नहीं किया जाता? बढ़ते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से होनेवाली मौतों के हवाले से पिछले दिनों एक ब्रिटिश चिकित्सा पत्रिका ने जो आंकड़े प्रकाशित कियो हैं, उन्हें जानकार सबके होश उड़ जायेंगे ।

चिकित्सा पत्रिका 'दी लेनिस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार 2015 ईसवी में दुनिया भर में प्रदूषण के कारण से मरनेवालों की संख्या 90 लाख थी, जिनमें भारत का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जहां 2015 ईसवी में प्रदूषण और उससे पैदा होनेवाले रोगों के कारण 25 लाख लोग मौत का निवाला बन गए । ये आंकड़े एडिस, मलेरिया और टीबी जैसी घातक बीमारियों से होनेवालों की संख्या से तीन गुना ज़्यादा हैं । प्रदूषण के मामले में दूसरा स्थान चीन का है, जहां 18 लाख लोग प्रदूषण की चपेट में आकर जान गंवा बैठे हैं । ये नतीजे दो वर्षीय योजना से लिए गए हैं, जबकि मौतें ज़्यादातर मध्यम वर्गीय और कम आय वाले देशों में होती हैं । ये वे देश हैं, जहां एक चौथाई मौतों का कारण प्रदूषण होता है । बांग्लादेश और सोमालिया सबसे प्रभावित देशों में शामिल हैं, ब्रुनई और स्वीडन में प्रदूषण से प्रभावित होकर मरनेवालों की संख्या सबसे कम है ।

दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में प्रदूषण के कारण 50 हज़ार मौतें हुईं, जो कुल मौतों का 8 प्रतिशत हैं । 188 की सूची में ब्रिटेन का नम्बर 55 वां है, फिर भी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और डेनमार्क सहित बहुत से यूरोपीय देश इस सूची में ब्रिटेन से ऊपर हैं । रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी एशियाई देशों में पर्यावरणीय प्रदूषण ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है और आगामी 30 वर्षों में पर्यावरण-प्रदूषण से कुल मौतों का यहां आधा हिस्सा रहेगा । रिपोर्ट में आगे दर्ज किया गया है कि तेज़ी से औद्योगिक प्रगति कर रहे देशों में प्रदूषण से मरनेवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है । अमेरिका में होनेवाली 5 से 8 प्रतिशत मौतें अर्थात एक लाख 55 हज़ार लोगों की मौत का कारण प्रदूषण से जोड़ा जाता है । दूसरा नंबर प्रदूषित पानी का है, जिसने 18 लाख लोगों की जान ली ।

पर्यावरण-प्रदूषण से होनेवाली इतनी सारी मौतों के बावजूद आज दुनिया औद्योगिक प्रगति के नशे में चूर होकर मानव समाज के सामने आनेवाले ख़तरे की उपेक्षा कर रही है । हर साल जमीन पर 40 लाख टन ठोस कचरे बिखेरे जाते हैं । ज़हरीले रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, जिसके घातक निष्प्रयोजन विष्ठों को ग़रीब अफ्रीक़ी देशों के तटों पर फेंक दिया जाता है । बढ़ती हुई आबादी और इन्सानी सरगर्मियों के कारण हम हर सेकेंड में फुटबाल ग्राउंड की भांति जंगलों से वंचित हो रहे हैं । दुनिया के समुद्रों और नदियों में प्रतिदिन हज़ारों टन कचरे बहाकर इन्हें प्रदूषित कर दिया जाता है । इस समय दुनिया की आधी आबादी को पीने का साफ़ पानी उपलब्ध नहीं है ।

प्रदूषण के हवाले से जहां तक इस्लामी दृष्टिकोण की बात है, वह बिलकुल स्पष्ट है । इस्लाम पवित्र धर्म है और पवित्रता को आधा ईमान ठहराता है । हदीसों में घरों के आंगनों तक को पाक-साफ़ रखने को कहा गया है । जल-संचयों में नापाकी करके उन्हें प्रदूषित करने से रोका गया है । इस्लाम में पेड़-पौधे लगाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया, "जो कोई मुसलमान पेड़ लगाता है या खेती करता है और उससे कोई इन्सान, पशु-पक्षी खाता है, तो यह लगाने वाले के लिए हिस्सा है ।" (बुख़ारी)

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

कैरियर में परिवर्तन के लिए योजना बनाएं

● संपादन प्रभाग

यदि आप समझते हैं कि आपकी रचनाशीलता और हुनर का इस्तेमाल किसी अन्य स्थान पर ज़्यादा बेहतर तरीक़े से हो सकता है तो अपने विकल्पों को तलाशना आपकी ज़रूरत है, ताकि आपको कैरियर संतुष्टि और बेहतर जीवन मिल सके । आज हम इस बारे में बता रहे हैं–

अपने कैरियर से बोर हो चुके हैं और रोज़ सुबह पहले की तरह उत्साह से काम पर जाना अब बोझिल लगने लगा है तो आपको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है । यदि आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो उस कार्यक्षेत्र से जुड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, जो आपको नयी चुनौतियां नहीं देता । आख़िर आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कार्य स्थल पर गुज़ारते हैं ।

इसलिए यदि आपको लगता है कि आपकी रचनात्मकता और हुनर को कहीं और एक बेहतर रुझान मिल सकता है तो ऐसे विकल्पों को तलाशना शुरू करें और एक अधिक संतोषप्रद कैरियर या एक बेहतर जीवन की तलाश में चल दें । आज किसी भी हॉबी या ऐसी किसी गतिविधि को कैरियर का रूप देने के अवसर मौजूद हैं, जिनका एक बाज़ार है । लिहाज़ा कुछ नये और रोचक कार्यों में हाथ आजमाने के लिए मन में शंका न लाएं ।

अधिकांश कार्यों में एक बार फिर हाथ आज़माने से हिचकिचाना व्यर्थ है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है । परंतु इससे पहले कि आप असावधान हो जाएं, ज़रा ग़ौर से सोचें । अच्छा समय हो या बुरा, आदर्श कार्य या कार्य स्थितियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए आपको बहुत योजनाबद्ध तरीक़े और होशियारी से प्लान बनाना पड़ता है ।

इन कुछ तरीक़ों को अपनाएं और इससे आप अपने बदलाव के दौर को सफलतापूर्वक और संतोषप्रद तरीक़े से आत्मसात कर पाएंगे ।

ख़ुद को जानें

आप क्या करना चाहते हैं, इसकी पहचान से शुरुआत करें । भटकाव से परेशान न हों । हम में से अधिकांश लोग जीवन में अपनी पहली नौकरी बिना अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को जानते हुए करते हैं । ऐसे में आपको अपनी झिझक समाप्त होने के अतिरिक्त और कोई नुक़सान नहीं होता ।

रियलिटी चेक : कैरियर चेंज के बारे में अपने विचारों को लेकर उलझों नहीं । साथ ही जॉब चेंज से कैरियर चेंज को भी उलझाएं नहीं । यदि नौकरी में बदलाव से ही आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो कैरियर में बदलाव के बड़े फ़ैसले पर न टिके रहें ।

यदि आपका मौजूदा कार्य बोझिल हो रहा है तो किसी ऐसे संस्थान का रुख़ कर सकते हैं, जो आपको कार्य से जुड़ी अधिक ज़िम्मेदारी और स्वतंत्रता प्रदान करता है । इस आधार पर यह भी न सोचें कि आपको आपके कार्य से जुड़ी असीमित स्वतंत्रता दी जाएगी । हालांकि अनेक मामलों में अकेले कार्य करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है । वहां आपकी किसी 'बॉस' को जवाबदेही नहीं होती, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं, जिनके प्रति आपको ज़िम्मेदार रहना पड़ता है, मसलन, आपके एम्प्लॉयर्स, फाइनेंसर्स, क्लाइंट्स और ख़ुद आपका परिवार भी । इसलिए परिवर्तन के लिए साधारण बातों और बहानों के असर में न आएं । यदि इस समय आप अपनी रफ़्तार को कुछ धीमा करना चाहते हैं तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की न सोचें । दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं । इसलिए कारण कोई भी हो, अपने साथ हमेशा ईमानदारी बरतें । इसी आधार पर आप सही निर्णय भी ले पाएंगे ।

अपने हुनर की परख

यदि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए तो उस स्थिति में अपने हुनर का पुनःमूल्यांकन करें । अपनी क्षमताओं का आकलन और अपने भरोसे के किसी सहकर्मी या मित्र से इस बारे में बातचीत ऐसे हालात में हमेशा मददगार रहती है । यदि आपकी कंपनी में सालाना अप्रेजल सिस्टम है तो आपको आपकी ख़ूबियां और ख़ामियां यूं भी बतायी जाएंगी ।

क्षेत्र से जुड़ा शोधकार्य

नये क्षेत्र में उतरने से पहले उस विकल्प की मार्केट क्षमता का भी आकलन कर लें कि आपकी शैक्षणिक योग्यता आदि के हिसाब से वह कितना सटीक बैठता है । क्या मार्केट के उठने-गिरने से उस पर लगातार असर पड़ता है ? क्या वह दीर्घकालिक आधार पर आपको आय दे सकता है ?

जो व्यक्ति उस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, उनसे बात करें और वहां की गहन और फर्स्ट-हैंड जानकारी प्राप्त करें । जो दिखायी दे रहा है, उसकी असलियत पर सुने-सुनाए तरीक़े से न जाएं । अक्सर कुछ कैरियर्स के साथ जुड़ा नज़र आने वाला 'ग्लैमर' नज़दीक से देखने पर मरीचिका साबित होता है ।

संबंधित क्षेत्रों को भी देखें

अपने मौजूदा पद का लाभ उठाते हुए उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी देखें । देखें कि आप अपना अनुभव और विशेषज्ञ योग्यता कहां इस्तेमाल कर सकते हैं । वह कार्य कैसा है, वहां का एक औसत कार्यदिवस कैसा होता है ? यदि आप अपने मौजूदा और नये कैरियर के बीच सामंजस्य बिठा सकते हैं तो आपको ऐसी पोज़िशन मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, जहां आपके अनुभव की क़द्र होती है । यदि अपने जाने-पहचाने कैरियर से किसी नये और अनजान कार्यक्षेत्र में एक ही बार में छलांग लगाने का विचार आपको डराता है तो उसे चरणबद्ध तरीक़े से करें । इसके लिए पहले-पहल किसी जाने-पहचाने कार्य क्षेत्र में उतरें और बाद में जब ज़रूरी अनुभव प्राप्त कर लें तो नये क्षेत्र की ओर अंतिम क़दम उठाएं ।

नेटवर्क दूर तक

आज आप जो जानते हैं वह नहीं, बल्कि किसे जानते हैं, यह मायने रखता है । समान कौशल होने पर भी वह व्यक्ति अक्सर शीर्ष पर पहुंचता है, जिसका नेटवर्क विस्तृत होता है । इसलिए अपनी डायरी को अपडेट करते रहें । सेमिनार्स आदि में जिन लोगों से मिलें, उनसे संपर्क में रहें, ज़रूरी सूचना का आदान-प्रदान करते रहें और कभी-कभार मिलते भी रहें ।

हैरानी की बात है कि आज दुनिया भर में 40 प्रतिशत नौकरियां प्लेसमेंट एजेंसियों या विज्ञापनों से नहीं बल्कि अच्छी नेटवर्किंग से मिलती हैं । एम्प्लॉयर्स हमेशा ऐसे लोगों को लेना अधिक सुरक्षित समझते हैं, जो अनुभवी होते हैं और किसी अच्छी सिफ़ारिश से आते हैं । यह कुछ ग़लत भी नहीं है । आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और अच्छी शुरुआत के लिए हमें एक-दूसरे की मदद चाहिए होती है । एक बार नौकरी मिलने के बाद व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होती है कि वह ख़ुद को साबित करे ।

अपनी योग्यता को बढ़ाएं

नयी जॉब के लिए तैयार रहने को कुछ अतिरिक्त मेहनत करने को भी तैयार रहें । यह तब अधिक ज़रूरी होता है, जब आप किसी नये क्षेत्र में क़दम रख रहे हों । किसी पार्ट टाइम या पत्रचार कोर्स का भी सहारा ले सकते हैं । इससे आपको लाभ ही होगा ।

जहां हैं, वहीं से शुरू करें

बेहतर यही होता है कि कहीं और तलाशने से पूर्व अपने ही संस्थान में कोई मिलता-जुलता मौक़ा तलाशें । अनेक कॉरपोरेट्स कार्य की अदला-बदली को बढ़ावा देते हैं । इससे आपको बिना किसी दूसरे स्थान में गये अपनी क्षमता परखने का मौक़ा मिलेगा । बेशक, आप बोरियत के कारण अपना कार्य बदलना चाह रहे हैं, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आप कार्य पर लौट सकते हैं । यदि नहीं तो अपने कैरियर में बड़ा जम्प लेने के लिए कोई कठिन असाइनमेंट भी ले सकते हैं । अपने पुराने कार्य के किसी नये रूप में हाथ आजमाएं । यदि आप डायरेक्ट सेल्स से जुड़े हैं तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स का कार्य करके देखें ।

रिज्यूमे में कुछ चतुर परिवर्तन

यदि आप कैरियर चेंज की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि रिज्यूमे में कुछ परिवर्तन करने होते हैं । फिर भी रिज्यूमे को डेवलप करने से पूर्व टार्गेट फील्ड का शोध कर लें । इंडस्ट्री के लोगों से बात करें और अपने ऑफर की जानकारी लें । इसके बाद अपने रिज्यूमे में अपने कौशल और अनुभव से जुड़े तथ्य जोड़ें ।

इसके बाद, किसी वरिष्ठ से भावी नीति आदि पर चर्चा करें । अपना आकलन भी करते रहें, उसे रोकें नहीं । सौ प्रतिशत भरोसा किसी को भी नहीं होता, विपरीत परिस्थितियां कभी भी सिर उठा सकती हैं । इसके बावजूद अपने दिमाग़ में चल रही हज़ारों आवाज़ों को शांत करें और कार्रवाई में जुट जाएं ।

आधार-डाटाबेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं

■ पवन दुग्गल

आधार डाटा लीक होने का नया खुलासा चिंताजनक है । इसमें बताया गया है कि देश में एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है, जो महज़ 500 रुपये में सभी के आधार डाटा मुहैया करा सकता है । हालांकि आधार बनाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यू॰आई॰डी॰ए॰आई॰ ने इसका खंडन किया है । उसका कहना है कि इसकी सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन है । बावजूद इसके, जिस तरह से नियमित अंतराल पर आधार डाटा लीक होने या लोगों की गोपनीय जानकारियों के सार्वजनिक होने की ख़बरें आती रही हैं, वे तस्दीक़ करती हैं कि आधार डाटाबेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं है ।

अब आधार हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है । देश के लगभग 1.2 अरब लोगों के जीवन की जानकारियां अब इसके साथ जुड़ चुकी हैं । हालांकि, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसे स्वैच्छिक बनाया गया था । यानी, अपनी मर्ज़ी से ही कोई शख़्स इससे जुड़ता । यहां तक कि 2016 में बने आधार क़ानून की बुनियाद भी यही थी कि आधार स्वैच्छिक रहेगा । इसीलिए क़ानून में केवल केंद्रीय पहचान डाटा भंडार की सुरक्षा की बात कही गयी थी । मगर बाद के दिनों में सरकार ने दिशा बदलना शुरू किया और वह इसे विभिन्न सेवाओं में अनिवार्य बनाने लगी । इससे आधार के आसपास एक इको-सिस्टम विकसित होने लगा । इस इको-सिस्टम में साइबर सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया गया है ।

जब इस इको-सिस्टम में अलग-अलग सेवा प्रदाता कंपनियां हस्तक्षेप करने लगीं, तो साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ने लगीं । यही कारण है कि आधार-सिस्टम में लगातार सेंध की ख़बरें आ रही हैं । मगर ताज़ा खुलासा इसलिए ज़्यादा चिंतित करता है, क्योंकि इसमें पूरे आधार डाटाबेस की कॉपी हासिल करने की बात कही गयी है । जबकि अभी तक आधार में सेंध के छोटे-छोटे मामले ही सामने आये थे । यू॰आई॰डी॰ए॰आई॰ ने ही पिछले साल 40-45 के क़रीब मुक़दमे दर्ज कराए हैं ।

कुछ महीने पहले विकीलीक्स ने एक स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत का अधिकांश आधार डाटाबेस अमेरिकी एजेंसियों के पास है । इसकी वजह यह है कि कुछ साल पहले तक आधार बनाने के काम में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल थीं । लिहाज़ा यह तो तय है कि हम पहले ही अपना हाथ आग में डाल चुके हैं, पर बात जब गोपनीय जानकारियों पर ख़तरे की हो, तो मेरा मानना है कि भारत एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, जो कभी भी फट सकता है ।

यह ऐसा अवसर है, जब हमें सोचना चाहिए कि आधार को किस तरह से ज़्यादा सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके, ताकि लोगों की डिजिटल पहचान और उनकी निजता के अधिकार का हनन न हो । सरकार का दायित्व इसलिए भी और बढ़ जाता है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत जीवन जीने

"ऐ लोगो
जो ईमान लाए हो,
आपस में एक-दूसरे के
माल ग़लत ढंग से न खाओ,
लेन-देन होना चाहिए
आपस की रज़ामंदी से ।"
(क़ुरआन, 4:29)

A Well isher
KOLKATA

के मौलिक अधिकार में निजता के अधिकार को शामिल कर चुकी है । ज़ाहिर है, यदि आधार की सुरक्षा में सेंध लगेगी, तो लोगों की निजता का भी उल्लंघन होगा ।

इसका रास्ता काफ़ी हद तक आधार क़ानून में संशोधन करके निकाला जा सकता है । साइबर सुरक्षा को लेकर इस क़ानून में अभी तक मज़बूत प्रावधान नहीं हैं । इसमें एक और ऐतिहासिक ग़लती हुई थी । इसमें साफ़-साफ़ कहा गया है कि आधार से जुड़ी जानकारियां लीक होने पर शिकायत करने का अधिकार आधार-धारक शख़्स के पास नहीं, बल्कि इसको जारी करने वाली एजेंसी, यानी यू॰आई॰डी॰ए॰आई॰ के पास होगा । यानी आधार से जुड़ी मेरी जानकारियां यदि चोरी हो जाएं, तो मैं मुक़दमा दर्ज नहीं कर सकता और मुश्किल यह है कि शिकायत दर्ज कराने को लेकर यू॰आई॰डी॰ए॰आई॰ का रुख़ अभी तक उदासीन रहा है ।

यह काम सरकार का है और लोगों को यह अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए । इन संशोधनों की ज़रूरत इसलिए भी है, क्योंकि आधार सिर्फ़ एक सामान्य नम्बर भर नहीं है । यह संवेदनशील डाटा है । इसके तहत उंगलियों व आंखों की पुतली के जो निशान लिए जाते हैं, वे हर व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं । यानी हर शख़्स की यह यूनीक पहचान होती है । अगर किसी की यह पहचान चोरी हो जाए, तो समझा जा सकता है कि उसकी डिजिटल निजता किस क़दर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी । इस मामले में सेवा प्रदाता कंपनियों पर भी दबाव बनाने की आवश्यकता है । यह सही है कि आई॰टी॰ क़ानून में ऐसे कुछ कड़े प्रावधान हैं, जिनका पालन करने की हिदायत कंपनियों को दी जाती है, लेकिन अक्सर उनका उल्लंघन होता रहता है । अब ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन नियमों का पालन न करने की सूरत में कंपनियों पर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई की जा सके ।

आधार की जानकारियां वे किस काम में इस्तेमाल कर रही हैं, यह भी कंपनियों को साफ़-साफ़ परिभाषित करना चाहिए । हालांकि एक हद तक दोषी वे लोग भी हैं, जो बिना सोचे-समझे अपनी बहुमूल्य आधार जानकारियां इन कंपनियों के हवाले कर देते हैं । यह जानने की वे ज़हमत ही नहीं उठाते कि कंपनियां इनको किस मद में इस्तेमाल कर रही हैं ? इस संदर्भ में लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है ।

आधार की सुरक्षा में इतने सारे छेद होने की वजह से ही यह कहा जाता रहा है कि सरकार इसे तुरंत अनिवार्य बनाने से बचे । पहले तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जाए, फिर आधार की अनिवार्यता हो । यू॰आई॰डी॰ए॰आई॰ फ़िलहाल एक शुतुरमुर्ग़ी नज़रिया अपना रहा है । वह यह सोचकर अपना सिर रेत में गड़ाए हुए है कि ऐसा करने से वह मुश्किलों से बच जाएगा । मगर ऐसा नहीं होने वाला । उसे आधार डाटाबेस की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा । आधार भारत का क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर है । इसके संरक्षण या सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी । अगर आधार के डाटाबेस में यूं ही सेंध लगती रही, तो देश की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी । देश से बाहर बहुत से 'स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स' हैं, जो भारत को नुक़सान पहुंचाने की ताक़ में बैठे हैं । लिहाज़ा ताज़ा ख़ुलासे को एक सबक़ के रूप में लेना चाहिए और सकारात्मक नज़रिया अपनाते हुए आधार डाटाबेस को सशक्त बनाने के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम लाना चाहिए । (सा॰ : 'हिन्दुस्तान')

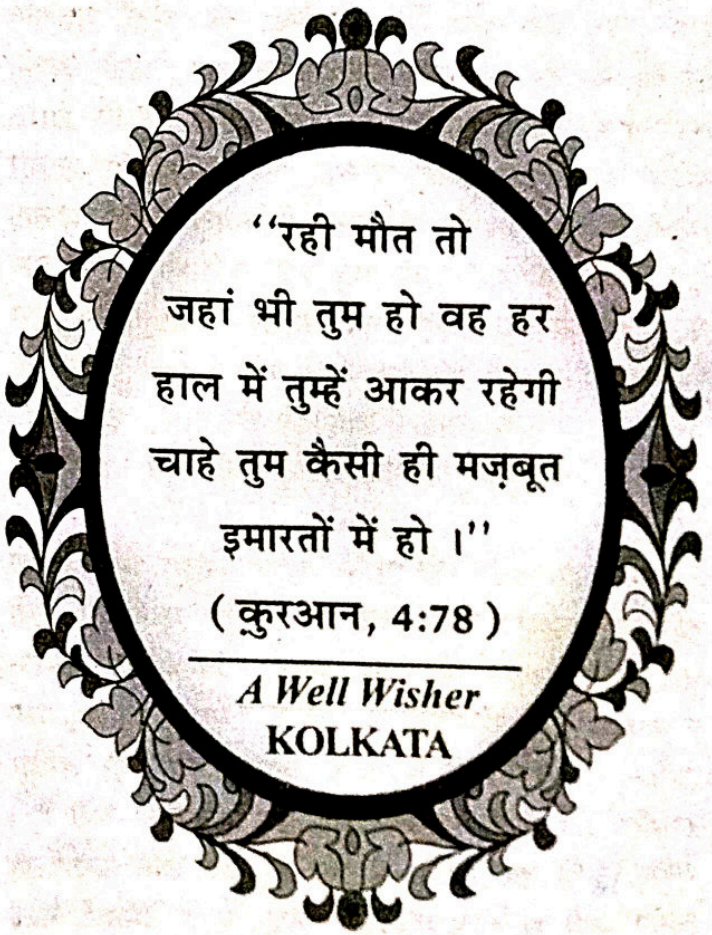

मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है ?

● संपादन प्रभाग

इस्लामी शरीअत अल्लाह के आदेशों, अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के मार्गदर्शनों, मुस्लिम समुदाय की आम सहमति और इमामों के चिंतन और विश्लेषण पर आधारित क़ानूनों के संग्रह का नाम है । इन शरीअत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर के ही हम दुनिया में भी सफल हो सकते हैं और परलोक में भी ।

यह उस सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अल्लाह के द्वारा अवतरित शरीअत है, जो सबसे अधिक ज्ञान रखता है कि इन्सानों का हित और उसकी भलाई किन सिद्धांतों में निहित है ।

"तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इन्साफ़ की दृष्टि से पूर्ण है ।" (अल-अनआम 115)

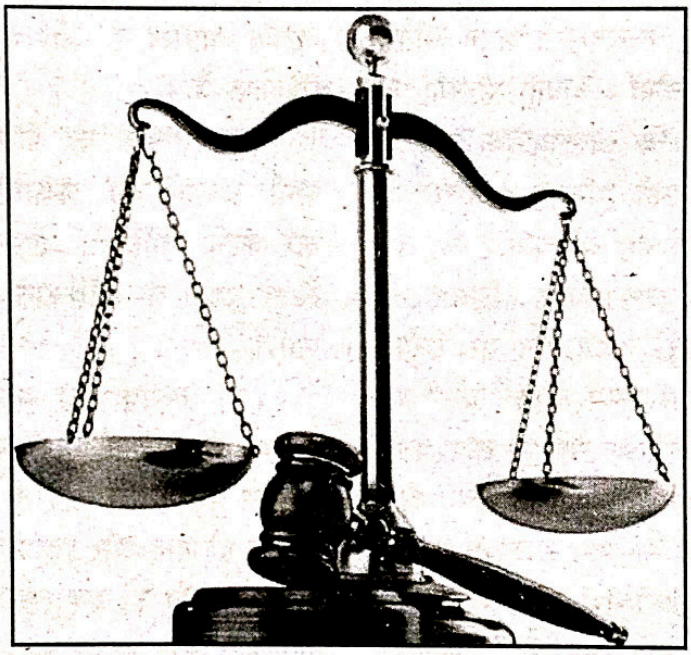

इन शरीअत की पाबंदी हमें संसार और परलोक दोनों जगहों पर सफल बनाती है, तो इसका उल्लंघन अल्लाह के प्रकोप को निमंत्रण देता है और संसार और परलोक दोनों जगहों पर असफलता और अपमान का कारण बनता है । अल्लाह ने शरीअत के आदेश के विपरीत फ़ैसले को कुफ्र (इन्कार), ज़ुल्म और हानिकारक क़रार दिया है । (अल-माइदा 44,45 और 46)

इस्लामी शरीअत और परिवार

परिवार समाज की मूल इकाई और महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए अल्लाह के द्वारा अवतरित इस शरीअत में परिवार के इस संस्था की सुरक्षा को बहुत महत्व दिया गया है और ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनके द्वारा परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह का सुदृढ़ संबंध स्थापित हो, उनके बीच उत्तरदायित्वों को साझा किया जाए और समाज के इस नींव के पत्थर की भरपूर सुरक्षा हो । आज दुनिया भर में पारिवारिक व्यवस्था टूट-फूट का शिकार है । इस्लाम के दुश्मन चाहते हैं कि मुसलमानों की ठोस पारिवारिक व्यवस्था भी बिखर जाए । इसलिए शरीअत पर बाहरी हमलों की सुरक्षा के साथ-साथ दो अतिरिक्त मोर्चे हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है ।

इस्लामी शरीअत की सुरक्षा कैसे ?

इस्लामी शरीअत की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए इस बात की आवश्यकता है कि मुसलमान इन शरीअत को अपने पूरे जीवन में अपनाएं और समाज में शरीअत का जो उल्लंघन हो चुका है उन्हें ख़त्म करने का बीड़ा उठाएं । अगर हम पारिवारिक जीवन से संबंधित इस्लामी शिक्षा पर सच्चे दिल से चलें, तो हमारे घर इस्लामी शरीअत के लाभों का व्यावहारिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और यह शरीअत की सुरक्षा का सबसे बड़ा और प्रभावकारी माध्यम होगा ।

दूसरा आवश्यक काम यह है कि मुसलमान अपने देशवासियों को इस्लामी शरीअत से परिचित कराएं और उनकी ग़लतफ़हमियों को दूर करें । इस्लाम और इस्लामी शरीअत सारे इन्सानों के लिए है और अल्लाह के सभी बंदों के कल्याण का यही एक मात्र रास्ता भी है ।

जमाअत इस्लामी हिन्द का पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान का आह्वान यही है कि एक तरफ़ हम शरीअत को निष्ठा के साथ व्यवहार में लाएं, साथ ही देशबंधुओं को शरीअत से परिचित कराएं । आइये! हम सब मिलकर सुधार की कोशिश करें, ताकि इस्लामी शरीअत की पवित्र शिक्षा व्यवहारिक रूप में प्रचलित हो जाए ।

निकाह

इस्लामी शरीअत ने निकाह को बहुत महत्व दिया है । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इसे अपनी

सुन्नत बताया है । निकाह लड़के और लड़की की सहमति से और निहायत आसान होना चाहिए । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया "निसंदेह सब से उत्तम (बरकत वाला) निकाह वह है जिसमें कम से कम ख़र्च हो ।" यह बड़ी बदक़िस्मती की बात है कि निकाह और अपने पारिवारिक जीवन को ईश-प्रदत्त वरदान से वंचित कर देते हैं । दहेज और वस्त्रों की क़ीमतों की मांग, शादी की बारातें, तरह-तरह के रस्मो रिवाज का आयोजन और खान-पान का विशेष और ख़र्चीला प्रबंध, आदि इस्लामी शरीअत का खुला उल्लंघन है ।

परिवार के सदस्यों के अधिकार

परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का जो संतुलन इस्लामी शरीअत ने स्थापित किया है वह भी हमारे समाज में असंतुलित होता नज़र आ रहा है । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने अंतिम संबोधन में वसीयत किया था "लोगों ! अपनी पत्नियों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, कि अल्लाह के नाम से तुमने उन्हें पत्नी बनाया है ।" सही मुस्लिम (अध्याय : हुज्जतुन नबी) में दर्ज है "पति पर यह अनिवार्य है कि वह पत्नी के साथ सद्व्यवहार करे, उनका महर (निकाह के बदले दिया गया धन) अदा करे, अपने धन पर उनका (पत्नी) अधिकार स्वीकार करे और उसमें से ख़र्च करने का उन्हें पूरा हक़ दे । पत्नी को महीनों तक मैके में छोड़ देना, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, बच्चों क जन्म और पत्नी के इलाज का ख़र्च पत्नी के मां-बाप से तलब करना, उनको अलग कमरे और बुनियादी आज़ादी से वंचित करना, उसके माल पर जबरन क़ब्ज़ा कर लेना, आदि इस्लामी शरीअत का खुला उल्लंघन और अत्याचार का सबसे निम्न रूप है । याद रखिए, अल्लाह अत्याचार को कभी माफ़ नहीं करता ।"

इस्लामी शरीअत ने मां-बाप, पत्नी, बच्चे, पति, अन्य रिश्तेदार, आदि सबके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया है । अधिकार और कर्तव्यों में इस्लामी शरीअत ने सब के साथ जो संतुलन स्थापित किया है, उसी से सारा पारिवारिक जीवन सुख-शांति और कल्याण का केंद्र बन सकता है ।

पति-पत्नी के बीच मतभेद

पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो उसे हल करने का तरीक़ा भी इस्लामी शरीअत ने बताया है । पहले पति-पत्नी को अपने मतभेद आपस में हल करने की कोशिश करनी चाहिए । इसमें सफलता न मिले, तो दोनों तरफ़ से जज नियुक्त कर उनके माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए । पति और पत्नी दोनों को समझाना चाहिए कि कोई भी इन्सान सर्वगुण संपन्न नहीं होता । सफल वैवाहिक जीवन का मर्म यही है कि एक दसरे की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज़ किया जाए और विशेषताओं पर धयान केंद्रित किया जाए । अगर मजबूरी में संबंध तोड़ना अनिवार्य हो जाए, तो यह काम भी इस्लामी शरीअत के अनुसार होना चाहिए और निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :

(1) क्रोध में आकर अचानक तीन तलाक़ दे देना अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अत्यंत नापसंद है और इस्लामी शरीअत की शिक्षा के ख़िलाफ़ है ।

(2) तलाक़ का फ़ैसला, बात-चीत और सुलह के सभी प्रयासों की नाकामी के बाद ख़ूब सोच-विचार कर करना चाहिए । अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि किसी प्रकार के अधिकारों का हनन और अत्याचार न होने पाए ।

(3) तलाक़ का वह उत्तम तरीक़ा जिसे इस्लामी शरीअत ने बताया है अपनाया जाना चाहिए । अर्थात तलाक़ देने का फ़ैसला हो जाए तो पत्नी को पवित्र हालत में एक तलाक़ दी जाए और इद्दत का इंतिज़ार किया जाए । इद्दत के दौरान पति को रुजू (सानिध्य) करने का अधिकार प्राप्त होता है । अगर इद्दत ख़तम हो जाए तब भी पति को पत्नी की रज़ामंदी से दोबारा निकाह करने का असवर बाक़ी रहता है । हमें इसी तरीक़े को समाज में प्रचलित करने का प्रयास करना चाहिए ।

(4) पत्नी को अनिर्णीत रखना, अर्थात न उसे तलाक़ देना और न साथ रखना, बड़ा गुनाह है । अगर औरत अलगाव चाहती हो, तो वह खुलाअ या फ़िस्ख़ के द्वारा अलग हो सकती है । जो औरतें पति के उत्पीड़न का शिकार हैं और उनसे छुटकारा चाहती हैं, उनकी मदद करनी चाहिए । खुलाअ या फिस्ख़ के बारे में क्या आदेश दिए गए हैं, उन्हें मालूम करना चाहिए और इस्लामी शरीअत के अनुसार अलगाव के रास्ते उन्हें बताना चाहिए । आपसी विवाद के

निवारण के लिए परामर्श केंद्र, शरई पंचायत या दारुल क़ज़ा से संपर्क किया जाना चाहिए । हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्पीड़न की शिकार मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को हम स्वंय हल करें और उन्हें पुलिस थानों या ग़ैर-इस्लामी संस्थाओं या संगठनों से संपर्क स्थापित करने पर लाचार न करें ।

विरासत से संबंधित आदेश

हमारे समाज में विरासत के आदेश को लेकर भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है । अल्लाह ने विरासत के आदेश को क़ुरआन में विस्तार के साथ उल्लेख किया है । अगर किसी की मौत हो जाती है, तो अनिवार्य रूप से विरासत के शरई आदेश के अनुसार उसकी संपत्ति वारिसों के बीच बांट दी जाए । नियमानुसार बंटवारे के बिना कुछ वारिसों की धन-संपत्ति वर्षों तक इस्तेमाल करते रहना दूसरे वारिसों के अधिकारों का हनन और अल्लाह के आदेश का खुला उल्लंघन है । विरासत में बेटियों का भी इस्लामी शरीअत ने हिस्सा सुनिश्चित किया है । दहेज देने या उनकी शादी कर देने से यह हिस्सा ख़तम नहीं हो जाता । बेटियों का हिस्सा मकानों, जोत या बिना जोत की ज़मीनों और जायदादों में भी है । आमतौर पर मां-बाप और वृद्ध वारिसों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है । यह भी अल्लाह के आदेश का उल्लंघन है ।

आवश्यकता इस बात की है कि इस्लामी शरीअत के उन आदेशों को उसके सही तात्पर्यों के साथ मुस्लिम समाज में प्रचलित किया जाए । परिवार के बुजुर्गों का दायित्व है है कि वे अपने परिजनों को शरीअत के प्रति प्रतिबद्ध करें । इस्लामी शरीअत के विरुद्ध प्रथाओं, मनोकामनाओं, सामाजिक रीतियों या बाप-दादा के ग़लत तरीक़ों पर चलने से क़ुरआन ने कठोरता के साथ मना किया है । इस संबंध में अगर हम अल्लाह की मर्ज़ी को प्राथमिकता देंगे, तो अल्लाह की मदद और उसकी दया के पात्र बनेंगे ।

आइए! हम सब मिल कर प्रतिज्ञा करें कि अपने पूरे जीवन, विशेषकर अपने पारिवारिक जीवन को पूरी तरह इस्लाम को समर्पित कर देंगे और दूसरों को इस्लाम और इस्लामी शरीअत को उपहास का विषय बनने का अवसर नहीं देंगे ।

“मुसलमानो, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को अमानत वालों को सौंपो, और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो इन्साफ़ के साथ करो ।”

(क़ुरआन, 4:58)

A Well Wisher
KOLKATA

छोटा-बड़ा अधिकारी

■ डॉ॰ वक़ार अनवर

तेज़ धूप में सड़क के किनारे जहां न पेड़ की छाया न दीवार की जीप का इन्तिज़ार करना बड़ा कठिन था । उसी समय सिंह साहब दिखायी पड़े जो जीप के इन्तिज़ार में बस स्टैंड पर आ गये थे । नज़र मिली ही थी कि उन्होंने चेहरा दूसरी ओर फेर लिया । मैंने भी उनकी नज़रों का पीछा नहीं किया, वैसे भी हम दोनों को किराये की जीप से थोड़ी ही दूर जाना था, जहां से हम दोनों के रास्ते अलग-अलग थे ।

हम दोनों के रास्ते एक वर्ष पूर्व ही अलग हो चुके थे । तीन वर्ष पूर्व जब मैंने इस कोयलरी में एक कनिष्ठ अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था, उस समय वे मुझसे थोड़े बड़े अधिकारी थे । बड़े केवल इस आधार पर थे कि वे यहां सीनियर थे, आयु में भी मुझसे 12 वर्ष बड़े थे । जब मैं नया-नया था तब परिचय में पता चला कि वे मेरे ही शहर के रहने वाले हैं । इस कारण हम दोनों एक-दूसरे से अधिक घुल-मिल गये । वैसे भी परदेस में कोई अपना मिल जाए तो बड़ी ख़ुशी होती है ।

हम दोनों एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये । भेंट होती तो चहक कर मिलते । शाम का समय साथ गुज़ारते । गपशप करते और देस और देस के साथियों की चर्चा करते । हम दोनों में आयु के अन्तर के साथ स्वभाव का अन्तर भी था । वे अपनी अफ़सरी को लेकर बहुत लिये-दिये रहते और मुझसे अक्सर कहते कि मज़दूरों से दूर ही रहना चाहिए । यह बात मेरे स्वभाव के विरुद्ध थी, मैं बिना भेदभाव के हरेक से संबंध रखता था । मैं सोचता था कि चार दिन की नौकरी है, प्यार-मुहब्बत का जितना सौदा हो जाए अच्छा है । सिंह साहब कहा करते कि तुम अभी जूनियर हो समय के साथ मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी ।

सिंह साहब और मेरे बीच की दोस्ती अधिक समय तक नहीं चल सकी, उनकी परोन्नति हो गयी और मैंने उनकी ओर से कुछ खिंचाव महसूस किया । मैंने तुरंत समझ लिया कि वे अब बड़े अधिकारी हो गये हैं और मुझ जैसे छोटे अधिकारी की गिनती वे मज़दूरों में करने लगे हैं । मुलाक़ात होती तो नज़र फेर लेते, बात करने की कोशिश करता तो सपाट लहज़े में जवाब मिलता । मैंने भी उनसे दूर रहने में ही भलाई समझी ।

परोन्नति के बाद उनका तबादला दूसरी कोयलरी में हो गया । इस बीच मुझे भी कुछ प्रोमोशन देकर दूसरी कोयलरी भेज दिया गया । अपने-अपने नये स्थान पर तुरंत आवास नहीं मिलने के कारण हम दोनों ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते-जाते थे । आज ऐसा संयोग हुआ था कि हम दोनों बस स्टैंड पर एक साथ पहुंचे थे ।

जीप पीछे के स्टैंड से आयी थी और भरी हुई थी, पीछे की ओर किसी तरह दो लोगों के बैठने की जगह थी । मैं उसमें बैठने के लिए बढ़ा । सिंह साहब असमंजस्य का शिकार थे । आम मज़दूरों से भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वह भी पीछे की सीट पर बैठने में वे संकोच कर रहे थे । लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था ।

जब तक वे इस कोयलरी के उच्च अधिकारी थे यहां की सरकारी गाड़ियां हर तरह के सरकारी और निजी कामों के लिए उपलब्ध थीं । वे चार क़दम भी पैदल नहीं चलते थे । दूसरी ओर मैं सरकारी गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करता और अधिकतर काम पैदल ही निबटा लेता । सिंह साहब हमेशा जीप के आगे वाले हिस्से में बैठते । मैं जहां जगह मिलती वहीं बैठ रहता ।

लेकिन आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जीप में उन्हें पीछे ही बैठना था । जीप में बैठे लोगों में किसी को क्या पड़ी थी कि वह यहां के एक पूर्व अधिकारी के लिए आगे की सीट ख़ाली कर देते । सिंह साहब को मजबूरन उचक कर मज़दूरों के बीच बैठना पड़ा । मैं भी वहीं बैठ गया ।

इतने में आगे की सीट से एक नवजवान उठकर आया और मेरा हाथ पकड़ कर बोला, ''सर आप आगे बैठ जाइए, यहां मैं बैठ जाता हूं'' मैंने संकोच करना उचित नहीं समझा और जाकर आगे की सीट पर बैठ गया ।

हालांकि मैं भी यहां का एक पूर्व अधिकारी ही था, लेकिन हर वर्ग के लोगों से मुहब्बत का जो रिश्ता मेरा बना था उसमें पूर्व क्या और वर्तमान क्या । यह तो भविष्य में भी बना रहने वाला एक स्थायी संबंध था ।

मध्य पूर्व के परिदृश्य

■ सैयद शाहिद हाशिमी

दुनिया के अधिकतर देशों के मौजूदा नक़्शे और चौहद्दियां बीसवीं सदी के विश्व युद्धों के कारण बनी हैं। नि:संदेह मध्य पूर्व भी इसमें शामिल है। इस क्षेत्र के देश ऐतिहासिक, भौगोलिक, नस्ली, भाषाई, सभ्यता और सांस्कृतिक, किसी भी शासक से ज़्यादा, पूर्व की साम्राज्यवादी शक्तियों की इच्छाओं के तहत मेज़ पर खींची गयी लकीरों से बने हैं, जैसे लेबनान, सीरिया, उर्दुन, इसराईल, इराक़, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान आदि के नक़्शे देखिये, लगता है कि सीधी-सीधी लकीरें खींचकर, ये नये देश, विश्व-मानचित्र में 'काढ़े' गये हैं। ये सारे देश अतीत में बड़े राज्यों के क्षेत्र या ज़िले हुआ करते थे। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी साम्राज्यवादी सोच के तहत ये नये देश सृजित कर दिये। इनके 'सृजन' में अमेरिका अमलन शरीक नहीं था।

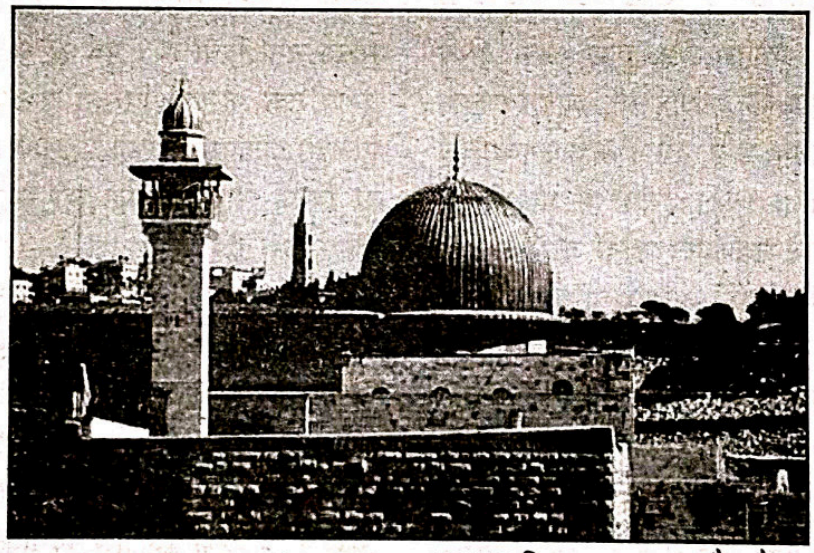

अब इतिहास का पहिया ऐसे स्थान पर आ गया है कि आज की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश और इसराईल को 'नया मध्य पूर्व' वांछित है। अत: पिछली सदी के अंत के साथ ही नये युग और नयी सीमाओं का बिगुल बजा दिया गया है। क्षेत्रीय तत्वों और शासकों को मार्च का आदेश मिल चुका है। सारे विभाग के प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी रोबोट की तरह हरकत में आ चुके हैं। पुराने ज़माने के राजाओं और नवाबों के शिकार के लिए जिस तरह 'हांका लगा करता था' मध्य पूर्व में शिकार व शिकारी और उनके हांका लगाने वाले सभी इस खेल में हिस्सा बनकर, अपनी-अपनी भूमिका भली-भांति निभा रहे हैं। शायद अगले एक दशक के अन्दर ही वांछित 'नया मध्य पूर्व' के निर्मित हो जाने की इच्छा व कोशिश है। हम 'अहले हरम' पहले की तरह इस 'रोमन अखाड़े' की सीढ़ियों पर बैठे केवल तमाशाई व दर्शक हैं, जो अपनी भूख और निर्धनता, अपना दु:ख और ग़म ग़लत करने के लिए यह देख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं या अधिक से अधिक इसमें मददगार व सहायक बनने की इच्छा रखते हैं।

मध्य पूर्व के हालिया अखाड़े में जारी खेल का जायज़ा लिया जाए, तो मुख्य बातें इस तरह सामने आती हैं–

1. दुनिया के मौजूदा संदर्भ में चार मुस्लिम देश ऐसे हैं, जिनके हालात, जिनका अमल और बेअमली (या बदअमली) जिनकी स्थिरता या अस्थिरता और जिनकी शक्ति व एकता या कमज़ोरी व बिखराव सारी मुस्लिम दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है और करेगा। ये देश सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान हैं।

2. अगर चारों देश आपस में मिलकर, एक-दूसरे का हाथ थामकर और आपसी भरोसे व परामर्श के साथ वैश्विक राजनीतिक बिसात पर, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मज़बूत क़दम रखते चलें, तो उम्मते मुस्लिमा की बेचारगी व बेबसी में तेज़ी से, क़ाबिले लिहाज कमी आती नज़र आएगी।

3. इन चारों देशों की एकता के झुरमुट में कई और मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम देश, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ शामिल होते जाएंगे। इस तरह यह नया 'आलमी ब्लॉक' आज की असंतुलित और व्याकुल दुनिया में कुछ संतुलित

व स्थायित्व का माध्यम बन सकेगा ।

4. कुछ साल पहले जब मिस्र में डॉ॰ मुहम्मद मुरसी की जस्टिस पार्टी की सरकार बनी थी और तुर्की में रजब तैयब अर्दगान की, 'ए॰के॰पी॰' की हुकूमत से उसका बड़ा अच्छा संबंध परवान चढ़ रहा था, मानो मुस्लिम एकता के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही थीं ।

5. दुर्भाग्य से सऊद परिवार के पिछले बादशाह और कुछ शहज़ादे, राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी, विशेष रूप से उनके मौजूदा उत्तराधिकारी, इसराईली लॉबी और पश्चिमी साम्राज्य ने मिस्र पर और मुस्लिम समुदाय पर निहायत निकृष्ट अत्याचार किया । यह मानो संभलती और क़िस्मत बदलती मुस्लिम दुनिया की पीठ में ख़ंजर घोंप देने के समतुल्य था ।

6. इसी दौरान सीरिया के मामले में जो हुआ, वह कूटिनीति के लिहाज़ से महान बलंडर था । इसराईल की पृष्ठपोषक शक्तियों ने षड्यंत्र का जो जाल बुना, दुर्भाग्य से उसमें तुर्की, सऊदी अरब, क़तर और कुछ अन्य अरब हुकूमतें यहां तक कि सीरिया के इख़्वान भी, आश्चर्यजनक रूप से बड़ी सरलता के साथ फंस गये । अब उनके गले में मानो ''छछूंदर'' पड़ी है । 1981 ईसवी में भी सीरिया की इख़्वाने मुस्लिमीन अपने नवजवान लोगों के दबाव में आकर शासन के विरुद्ध विद्रोह की आत्महत्या जैसी ग़लती कर चुकी थी, जिसका दंड सदियों तक उसे भुगतना पड़ा । ख़ुदा जाने हमारे ये सहयोगी देश इस साम्राज्यवादी यहूदी जाल से, सलामती के साथ कैसे निकल पाएंगे ?

7. लोगों की एक मज़बूत राय यह रही है कि सीरिया को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए था । बशारुल असद की ''अलवी'' या ''नुसीरी'' हुकूमत से उम्मते मुस्लिमा को या उम्मत के सहयोगियों को कोई तत्काल ख़तरा नहीं था, बल्कि दमिश्क़ में ''हमास'' को मुनासिब और मज़बूत ठिकाना उपलब्ध था, जो अब उससे छिन चुका है । सीरियाई फ़ौज की सूरत में, इसराईल के सामने एक मज़बूत सैनिक शक्ति भी मौजूद थी, जो पूर्णरूप से तबाह हो गयी है ।

अरबों डॉलर में ख़रीदे हुए लड़ाकू जहाज़, तोपें, मिजाइल, गोला-बारूद या तो साम्राज्यवादी शक्तियों की बमबारी से तबाह हो गये या अपने ही लोगों से लड़ने में बरबाद हो गये । सीरिया, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर फ़ौज रखता था । वह फ़ौज इसराईली लोगों को कांटे की तरह खटकती थी । गृहयुद्ध में वह भी तितर-बितर हो गयी ।

8. यहां यह भी अर्ज़ है कि मुस्लिम देशों में प्राचीन काल वाले 'शासन के विरुद्ध विद्रोह की धारणा' पर पुनः विचार की ज़रूरत है । विशेष रूप से ऐसी दुनिया में जहां दीन और इस्लामी समुदाय के दुश्मन हर तरह से देश का तीया-पांचा और कीमा करने की मुहीम पर साफ़ दिखायी दे रहे हैं । यह भी स्पष्ट रहे कि 'विद्रोह' एक राजनीतिक सहयोग और 'राजनीतिक धर्मशास्त्र' की एक पारिभाषिक शब्दावली है । यह न ईमानी मसला है और न फ़र्ज़ व वाजिब से इसका कोई संबंध है । अलबत्ता इन्सानी सभ्यता व संस्कृति के विशेष दौर से संबंधित ज़रूर रहा है । संयोग से मैं राजनीतिशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं ।

9. ईरान भी सासानी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद पहली बार उत्थान की ऐसी सीढ़ी को अपने सामने देख रहा है, जो उसके लिए परिस्थितियों ने और स्वयं उसकी कूटनीति ने संभव बना दिया है । पूर्व में ज़ाहदान से लेकर पश्चिम में बेरूत तक, उसको विस्तृत व व्यापक सत्ता मिल रही है । मुस्लिम इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है । ख़ुद बग़दाद पर किसी शिया हुकूमत की स्थापना, अब से पहले कभी संभव नहीं हुई थी ।

यह सूरतेहाल मुसलमानों की सुन्नी दुनिया के लिए हज़म करना आसान नहीं । पश्चिम वाले इस मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बंटवारे को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं । अमेरिका और ईरान में संभवतः कोई विधिवत रूप से सामंजस्य नहीं है, मगर दुर्योग से दोनों शक्तियां इतिहास के एक ही पन्ने पर ला खड़ी की गयी हैं । ये भी वास्तविकता है कि डिप्लोमेसी में बहरहाल फ़ारस वाले बहुत आगे हैं । इसकी गवाही आये दिन हालात व घटनाएं दे रही हैं ।

बहुत अहम बात जानने और समझने की यह भी है कि इस वक़्त आठ मुस्लिम देश अपना अस्तित्व अमलन खो चुके हैं । वे सिर्फ़ मानचित्र पर नज़र आते हैं । वास्तव में वे असफल राज्य हैं । ग़ौर करने की बात है कि अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, सीरिया, लेबनान, यमन, लीबिया, सोमालिया और माली । अगर इस सूची में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ट्यूनिस, नाइज़ीरिया अल-जज़ाइर या किसी की भी वृद्धि हो जाए, तो दीन और मिल्लत को क्या लाभ पहुंचेगा ?

सच कभी नहीं मरता

■ वेद व्यास

स्वतंत्र भारत में आज जब ग़ैर बराबरी से आज़ादी असहिष्णुता से आज़ादी, भूख और ग़रीबी से आज़ादी, बात कहने जैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर राज और समाज के बीच एक मुठभेड़ तथा हिंसा का माहौल बना हुआ है तब मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का 10 अप्रैल 1960 को लोकसभा में कहा (अटल बिहारी वाजपेयी के प्रश्न का उत्तर) याद आता है । जिसमें नेहरू ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री के ऐसे किसी विशेषाधिकार का पता नहीं है जो प्रेस का नियंत्रण करे और देखे कि प्रेस को क्या छापना चाहिए और क्या नहीं छापना चाहिए ।

अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भारत के किसी प्रधानमंत्री की ऐसी स्पष्टता और विश्वास पिछले 70 साल में हमने नहीं देखा है । भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर राज्य और शासन का सबसे कठोर हमला इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में घोषित आपातकाल में मिलता है या फिर 2014 के बाद आए अच्छे दिनों के राजकाज में अब आए दिन देखने सुनने में आता है । तब और अब के भारत में भारी विकास और परिवर्तन ये हुआ है कि तब 1960 में कोई इलेक्ट्रोनिक मीडिया के असंख्या टी०वी० चैनल और इंटरनेट पर सवार फ़ेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग और कंप्यूटर प्रधान तकनीक उपकरण नहीं थे और आज अब ये सब कुछ, सरकार के नियंत्रण से बाहर है और प्रेस एक विशाल मीडिया जगत बन गया है ।

पनामा पेपर्स विकीलीक्स और हाल के पैराडाइज पेपर्स का खुलासा अब यह ताक़त भी रखता है कि सरकारें हिलने लगती हैं और मीडिया एक प्रेत की तरह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ता हुआ नज़र आता है । वह लगातार भ्रम और यथार्थ का भेद बता रहा है । क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश की आत्मा है, इसलिए हमारे देश का मीडिया भी बावजूद अपनी सभी विसंगतियों के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर 24 गुणा 7 की तरह निरंतर अपनी आंखों देखी कानों सुनी कहानी को प्रस्तुत करता है।

आज हमें इस बात से घबराना और चिंतित नहीं होना चाहिए कि मीडिया पर सरकार, उद्योगपतियों और निहित स्वार्थों का भारी दख़ल है । ज़रूरी ये है कि पत्रकार और लेखक अथवा समाज का जागरूक नागरिक इस लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सच के साथ जीना-मरना सीखे और निरंकुश सत्ता व्यवस्था के ख़िलाफ़, पीड़ित समाज का पक्षधर बने । दुनिया के इतिहास में सुकरात से लेकर मीरां बाई तक इसी सच को दोहरा रहे हैं कि शब्द की विश्वसनीयता उसके निर्भय आचरण में निहित है । गांधी जी इसका नया उदाहरण हैं ।

हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में पत्रकार और लेखकों को सबसे अधिक सच को उजागर करने की सजा दी जा रही है तथा उन्हें अपराधी-राजनीति, औद्योगिक स्वार्थ और तरह-तरह के निहित स्वार्थों द्वारा मारा जा रहा है । पिछले दिनों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में प्रो० कलबुर्गी, डाभोलकर, पनसर, गोरी लंकेश, शांतुन भौमिक रामचंद्र छत्रपति आदि का बेरहमी से मारा जाना इस बात का ही प्रमाण है कि सच को कोई जिंदा नहीं देखना चाहता । पत्रकार, लेखकों, बुद्धिजीवियों और आवाज़ उठाने वालों पर आज सबसे अधिक जानलेवा हमले राजनीति, धार्मिक, उद्योग जगत और भ्रष्टाचार से जुड़े माफियाओं द्वारा हो रहे हैं तथा आज इन उग्रवादी धार्मिक तथा आर्थिक संगठनों को चोरी छिपे राज्य और व्यवस्था का संरक्षण है ।

विश्वास करें कि आज पूंजीवादी और संकीर्ण धार्मिक ताक़तों का पहला दुश्मन एक पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी और सवाल पूछने वाला आम नागरिक ही है जो अपराधियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है । आज सवा करोड़ देशवासियों को ये झूठ गले नहीं उतर रही है कि कोई गाय के नाम पर और गंगा, गीता और राष्ट्रवाद के नशे में सच का गला घोट दे ।

आपातकाल को अनुभव भी भारत में लोकतंत्र, मीडिया, न्यायपालिका और जागरूक नागरिक को मज़बूती दे रहा है । यही कारण है कि आज के अंधेरे युग में निर्भीक पत्रकारिता, साहसी न्याय व्यवस्था और सक्रिय लोकतंत्र ही अब भारत के भविष्य को बचाने का संघर्ष कर रहा है ।

(विविधा फीचर्स)

जैसलमेर : थार मरुस्थल का सुनहरा मुकुट

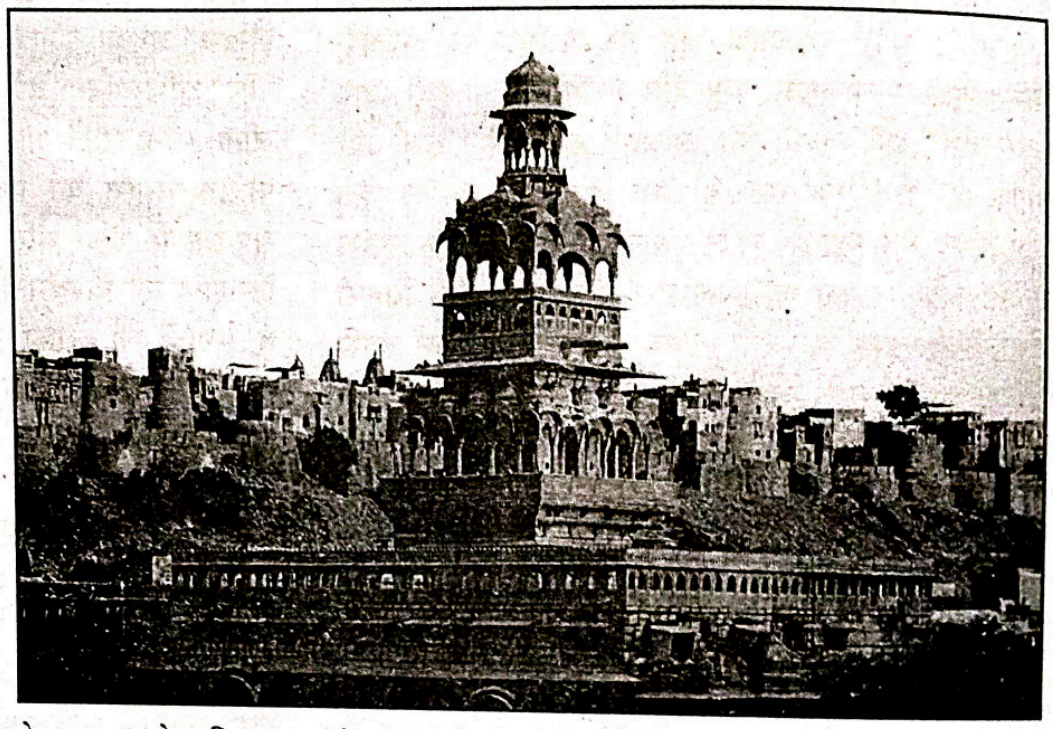

पश्चिमी राजस्थान का रेतीला विस्तार है थार । थार की एक स्वर्णिम कल्पना है जैसलमेर । जैसलमेर का समुद्र-सा फैला यह रेतीला विस्तार ही इसे अन्य पर्यटन स्थलों से अलग करता है । जैसलमेर एक संक्षिप्त-सा शहर है, जिसे 1156 ई॰ में राव जैसल ने बसाया था । यहां का मुख्य आकर्षण है सोनार क़िला जो कि शहर के हर कोने से दिखायी देता है । रेत में आ गिरे किसी स्वर्ण मुकुट-सा लगता है यह सोनार क़िला । यह पीले बलुआ पत्थर से बना है । चार विशाल दरवाज़ों से होकर क़िले के अन्दर प्रवेश किया जाता है जिन्हें पोल कहते हैं ।

यूं तो क़िला बेहद उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण है, मगर बीते दिनों की ख़ूबसूरती की गवाह हैं इसके भीतर के महल और इमारतें । पीले बलुआ पत्थर पर बारीक नक्काशियां यहां की इमारतों की विशेषता है, पत्थरों में नाना प्रकार के बेल-बूटे, जालियां, कंगूरेदार खिड़कियां-गवाक्ष । क़िले के अन्दर कुछ ख़ूबसूरत जैन मंदिर भी हैं । ये मंदिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित हैं ।

कुछ खंडहर हैं जो अपनी बिखरती भव्यता के साथ आकर्षित करते हैं । अगर समय रहते इनका जीर्णोद्धार हो गया होता तो कुछ और महल इस क़िले की शोभा बढ़ाते । क़िले के अन्दर ही एक हिस्सा रिहायशी भी है, जहां कई परिवार रहते हैं । कुछ लोगों ने अपने पुराने पारंपरिक घरों का थोड़े फेर-बदल के साथ गेस्ट हाउसेस में बदल लिया है । यहां रहकर पर्यटक क़िले के भव्य सौन्दर्य को क़रीब से जान सकता है ।

क़िले के परकोटे से बाहर चारों ओर शहर बसा है, पतली-संकरी गलियों में, यही पतली-संकरी गलियां हमें तीन-चार बेहद सुंदर स्थापत्य कला में बेजोड़, नक्काशियों से सुसज्जित हवेलियों तक ले जाती हैं ।

इस रेतीले शहर में एक झील भी है घड़ीसर लेक । क़िले से बाहर अमरसागर गेट के पास एक सुंदर महल स्थित है बादल विलास मंदिर, यह स्थापत्य कला का अनूठा उपहार है ।

जैसलमेर चाहे एक छोटा शहर सही लेकिन अपने आस-पास कई सुन्दर पर्यटक की रुचि के स्थान सहेजे हुए है ।

लुधरवा : जैसलमेर की पुरानी राजधानी और एक महत्वपूर्ण जैन धार्मिक स्थल । इन जैन मंदिरों के समूह का एक तोरणद्वार है जो मूर्तिकला तथा शिल्प में अनोखा है । यहां कल्पतरू का अष्टधातु का बना एक प्रतिरूप है । लुधरवा जैसलमेर से 16 कि॰मी॰ दूर है ।

वुड फॉसिल पार्क, अकाल : जैसलमेर से 17 कि॰मी॰ दूर अकाल में स्थित वुड फॉसिल पार्क में हज़ारों वर्ष पुराने जीवाश्म देखे जा सकते हैं जो कि इस क्षेत्र के भूगर्भीय अतीत के गवाह हैं ।

सम के रेतीले टीले (सैन्ड डयून्स) : हवा की दिशा

के साथ अपनी जगह और दिशा बदलते ये रेतीले टीले (सैन्ड डयून्स) पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं । यहां का सूर्यास्त बेहद मनमोहक और एकदम अलग क़िस्म का होता है । कहते हैं न कि सूर्य से बड़ा कोई चित्रकार नहीं, तो यहां सम में सूर्य ने अलग ही कोई तूलिका और अलग ही कोई कैनवास लिया है । मीलों तक फैले इस रेतीले विस्तार को सजीले ऊंटों पर बैठकर नापा जा सकता है ।

चांदनी रात में सम में ही ढाणियों (छोटी-छोटी झोंपड़ियों का समूह) में ठहर कर चांदनी रात, कालबेलिया नृत्य, राजस्थानी लोक गीतों तथा राजस्थानी भोजन दाल-बाटी-चूरमा का आनंद लिया जा सकता है । सम की ढाणी नामक यह स्थान जैसलमेर से 42 कि॰मी॰ दूर है ।

डेजर्ट नेशनल पार्क : कैमल सफ़ारी के लिए यह एक उत्तम जगह है । इस पार्क का बीस प्रतिशत हिस्सा रेतीला है । उबड़-खाबड़ ज़मीन के परिदृश्य में अपनी जगह बदलते रेतीले टीलों और छोटी-छोटी झाड़ियों से भरी पहाड़ियों वाला यह डेजर्ट नेशनल पार्क रेगिस्तानी पारिस्थितकीय तंत्र (इको सिस्टम) के मनमोहक रूप को दर्शाता है ।

इन सबके बीच खारे पानी की छोटी-छोटी झीलें चिंकारा और ब्लैक बक के रहने के लिए आरामदेह परिस्थिति बनाती हैं । यहां डेजर्ट फॉक्स, बंगाल फॉक्स, भेड़िये और डेजर्ट कैट भी देखने को मिल जाती है ।

रेगिस्तानी वन्य जीवन को क़रीब से जानने के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है । इस नेशनल पार्क में विविध प्रकार के पक्षी अपनी अलग ही छटा बिखेरते हुए यदा-कदा दिखायी दे जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं-सैंड ग्राउज, पॉट्रिज (तीतर), लार्क, श्राइक और बी॰ ईटर आदि । सर्दियों में यहां डेमॉइजल क्रेन डेरा डालते हैं, जिन्हें यहां की लोक-भाषा में कुरज कहते हैं तथा यहां के लोक गीतों में कुरज को बड़े स्नेह से शामिल किया है ।

सबसे महत्वपूर्ण जीव जो अपनी भव्यता के साथ इस डेजर्ट नेशनल पार्क का स्थाई निवासी है वह है गोडावण (ग्रेट इंडियन बर्स्टड) यह एक बड़ा और लंबा पक्षी है, यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है । यह नेशनल पार्क सरिसृपों से भी भरा है । यहां स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, मॉनिटर लिर्जड़, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, करैत आदि सरिसृप मिलते हैं ।

मेले और उत्सव : मेले और उत्सव राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं । इनमें जीवतंता जाग उठती है जब सर्दियां त्योहार और मेले साथ लगते हैं । प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है यहां का मरू-मेला (डेजर्ट फेस्टीवल), इस मेले के लिए विश्व भर के पर्यटक इस स्वर्ण-नगरी में



चले आते हैं । उस समय यहां के गेस्टहाउस और होटल ही नहीं लोगों के घर भी जाने-अनजाने अतिथियों से भर जाते हैं तब अतिथि सत्कार की परंपरा इस गीत में साकार हो उठती है–'पधारो म्हारे देस'। तब जैसलमेर थिरक उठता है इन नृत्यों के साथ-घूमर, गणगौर, गैर, धाप, मोरिया, चारी और तेराताल । इन नृत्यों को ताल देते हैं यहां के लोक वाद्य कामयाचा, सारंगी, अलगोजा, मटका, जलतरंग, नाद, खड़ताल और सतारा । लंगां और मंगनियार गवैयों की टोली लोक गीतों का मनमोहक समां बांध देती है ।

यह मरुउत्सव फ़रवरी माह में पूर्णिमा के दो दिन पहले शुरू होता है । इस दौरान यहां कई प्रतियोगिताएं की जाती हैं जैसे ऊंट रेस, पगड़ी बांधो, मरुसुंदरी, नृत्य, ऊंट पोलो आदि ।

इस दौरान यहां की कारीगरी के उत्कृष्ट नमूनों का प्रदर्शन तथा बिक्री भी की जाती है । जैसे खेजड़े की लकड़ी का नक्काशीदार फ़र्नीचर, ऊंट की काठी के स्टूल, कठपुतलियां आदि । इस मेले का चरम बिन्दु होता है सम सैंड डयूंस जाकर वहां फिर पूरे चांद की रात में नृत्य-संगीत की मनोरम प्रस्तुति ।

● कुमारी अचरंज



मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।





With Best Compliments from :

MAKING THE [EXTRA] ORDINARY

LIS (INDIA) CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.

BUILDERS & DEVELOPERS

Regd. office: A/2, Swati Apartment, Juhu Lane, Andheri (W), Mumbai - 400 058
Ph.: 2625 5702-34 Fax: 262 88474 Email: lis.co.in.@gmail.com

Posted on 20-21 January 2018
February 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.01.2018
Total pages 52 with Cover

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

HINDUSTAN
Pavers & Blocks
Group
Established Since 1977

Anwar Khan
+91 9822427700
Akbar Khan
+91 9822497700

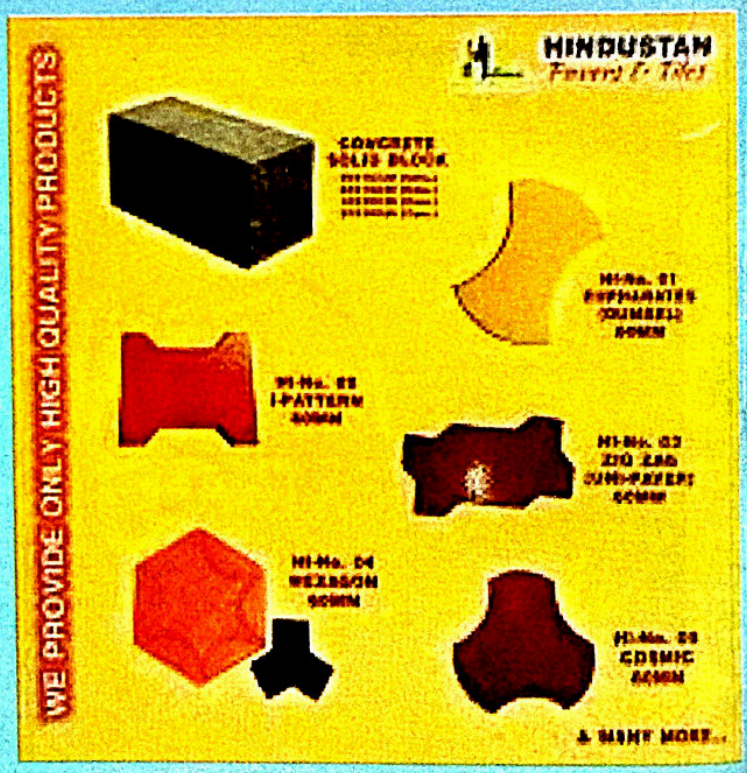

HINDUSTAN INDUSTRIES
Your Lifestyle Paving Company
Manufacturers Of Solid Concrete Blocks,
Interlocking Pavers, Tiles &
Allied Concrete Products

Colvale IDC, Colvale, Mapusa-Goa
Phone : 0832 2257700, 0832 2257900
Email : hindustanindustriesgoa@gmail.com

www.hindustangroupgoa.com